Passports (Amendment) Rules

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : I beg to lay on the Table a copy of the Passports (Amendment) Rules, 1969, Published in Notification No. G.S.R. 212 in Gazette of India dated the 28th January, 1969, under sub-section (3) of section 24 of the Passports Act, 1967. [*Placed in Library, See* No. LT-502/69].

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Delhi Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1969, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 1969, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Forty-sixth Report

SHRI KHADILKAR (Khed) : I beg to present the Forty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

ESTIMATES COMMITTEE

Seventy-eighth Report

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I beg to present the Seventy-eighth Report of the Estimates Committee on the Ministry of Home Affairs-Central Bureau of Investigation.

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL

(i) Report of Joint Committee

SHRI M. B. RANA (Broach) : I beg to present the Report of the Joint Committee on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith.

(ii) Evidence

SHRI M. B. RANA : I beg to lay on the Table a copy of the evidence given before the Joint Committee on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith, along with a copy of the statement containing a gist of main points made by witnesses in their Evidence before the Joint Committee.

(iii) Memoranda/Representations

SHRI M. B. RANA : I beg to lay on the Table copies of Memoranda/Representations received by the Joint Committee on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith.

13.03 hrs.

* DEMANDS FOR GRANTS

Ministry of Home Affairs

MR. SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand

---

* *Moved with the recommendation of the President.*

[Mr. Speaker]

Nos. 43 to 57, 119 and 120 relating to the Ministry of Home Affairs for which 8 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table before 14.15 hours indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. They will be treated as moved if they are otherwise admissible.

The Demands are before the House.

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

Demand No.43--Ministry of Home Affairs

"That a sum not exceeding Rs.1,45,96,000 be granted to the President to complete the sum necessary....to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970 in respect of 'Ministry of Home Affairs'."

Demand No.44--Cabinet

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs. 55,57,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Cabinet'."

Demand No.45--Administration of Justice

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.2,04,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Administration of Justice'."

Demand No.46 -Police

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.48,30,12000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Police'."

Demand No.47 -Census

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.1,31,53,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Census'."

Demand No.48 -Statistics

MR SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum exceeding Rs.3,10,15,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Statistics'."

Demand No.49--Privy Purses and Allowances of Indian Rulers

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.1,36,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Privy Purses and Allowances of Indian Rulers'."

Demand No.50--Territorial and Political Pensions

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs. 15,77,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Territorial and Political Pensions'."

Demand No. 51--Delhi

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.36,08,25,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Delhi'."

Demand No.52--Chandigarh

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.4,90,67000 be granted to the President to complete the sum necessary to defrary the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Chandigarh'."

Demand No. 53--Andaman and Nicobar Islands

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.6,53,55,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Andaman and Nicobar Islands'."

Demand No. 54--Tribal Areas

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.21,20,38,000 be granted to the President to Complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Tribal Areas'."

Demand No. 55--Dadra and Nagar Haveli Area

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.53,54,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1970 in respect of 'Dadra and Nagar Haveli Area'."

Demand No 56-Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands

MR SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs 1,00,82,000, be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

Demand No. 57. other Revenue Expenditure of the Ministry of Home Affairs.

MR SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs.9,33,65,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Home Affairs'."

Demand No. 119. Capital Outlay in Union Territories and Tribal Areas.

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceediug Rs.20,71,83,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1970 in respect of 'Capital Outlay in Union Territories and Tribal Areas'."

Demand No. 120 Other Capital Outlay of the Ministry of Home Affairs.

MR. SPEAKER : *Motion moved* :

"That a sum not exceeding Rs. 40,00,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Home Affairs'."

13.05 hrs.

Lok Sabha adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER: *in the chair*.]

DEMAND FOR GRANTS-*Contd.*

Ministry of Home Affains-contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Member may now move the cut motions.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs.100."

[Growing atmosphere of violence in the country and failure of the Government to devise effective measures to meet the situation in the law and order front as also the sociological front (5)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Growing tension in Andhra Pradesh symptomatic of an undesirable trend of divisive policy in the country and the failure of the Government to create cohesion in the country by removing the causes of grievance and discontent (6)]

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA (Marmagao) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs.1."

[Failure to ensure prompt payment pensions. (67)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re.1."

[Failure to complete absorption of employees in the Union Territory of Goa, Daman and Diu (68)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1".

[Failure to enquire into the approval of land for fertilizer project in Goa (69)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1".

[Failure to ensure a judicial enquiry into the death of union leader D. I. Cruz in Goa while under police custody. (70)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to allocate necessary administrative and financial powers to Union Territories. (71)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to enquire into financial mismangement in the Union Territory of Goa, Daman and Diu. (72)]

"That the Demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check the use of official administrative machinery in Goa, for attempts to create ill feeling between communities. (73)]

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to provide authoritative clarification about the powers of the Governors in different circumstances. (74)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1".

[Failure to check the foreign money and material for the help of foreign Chiristian missionaries in India. (75)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to provide more powers to Delhi Administration to run the Government efficiently. (76)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to improve the law and order situation in Delhi. (77)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check anti-national and disruptive activities in the country. (78)]

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs 100".

[Need to constitute a Parliamentary Committee to enquire into executive action taken with reference to problems of transition with reference to Goa, Daman and Diu. (79)]

SHRI SRINIBAS MISHRA (Cuttack) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to provide a uniform administration in all the Himalayan border. (126)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check Pakistani infiltration into Assam. (127)]

"That the damand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1".

[Failure to curb anti-national activities of foreign agents in the country. (128)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to stop foreign interference in elections in India. (129)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to liquidate the para-military senas from the country. (130)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to deal effectively with the anti-national utterances of Sheikh Abdulla. (131)]

"That the demand under the head Police be reduced to Re. 1."

[Failure to check communal riots. (149)]

"That the demand under the head Police be reduced to Re. 1."

[Failure to check the activities of the Mizo National Front. (150)].

"That the demand under the head Territorial and Political Pensions be reduced to Re. 1".

[Failure to reduce and abolish pensions granted by the British Government. (154)]

"That the demand under the head Delhi be reduced by Rs. 100."

[Failure to teach in primary and secondary schools through Oriya medium. (155)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Failura in developing the tribal areas. (156)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100"

[Failure to Provide communications in in tribal areas. (157)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Lack of medical facilities in tribal areas. (158)]

[Shri Erasmo De Sequeira]

"That the demand under the head Other Revenue Expenditure of the Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Systematic Suppression of the Oriya speaking minority in Bihar and Andhra Pradesh. (159)]

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to change the anti-people policies of the Ministry. (160)]

"That the demand under the head Ministry of Home affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to end the repressive policies. (161)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Need to stop framing repressive laws and to scrap existing such laws. (162)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check increasing communalism and its instigator the R.S.S. (163)].

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs. 100."

[Failure to reduce the number of Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers. (164)].

"That the demand the head Cabinet be reduced by Rs. 100."

[Failure to reduce the salaries and allowances of Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers. (165)].

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to reduce the expenditure on other itmes of the Cabinet. (166)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Failure to avoid all expenditure being incurred on the Security of Ministers. (167)].

"That the demand under head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to allot smaller residence to Ministers. (168)].

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to reduce expenditure being incurred on Ministers residences. (169)].

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to reduce the expenditure on Prime Minister's Secretariat. (170)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs.100."

[Need to stop the payment of salary from Government to Deputy Chief Whip of Congress Parliamentary Party. (171)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs 100."

[Failure to make legal administration easily accessible for the public. (172)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs.100."

[Failure to reduce expenditure on legal administration. (173)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs.100."

[Failure to make justice cheap and accessible for the poor. (174)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Need to provide free justice to the poor and to make it easily available to them. (175)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs.100."

[Need to make available free legal advice by Government to defend the cases of the poor. (176)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Need to fix a time limit for disposal legal cases. (177)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Failure to do away with policy of keeping the culprits in jails for year together pending a decision on their cases. (178)]

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Need to improve the working of Indian Penal Code. (179)]

SHRI S M. BANERJEE (Kanpur) : I beg to move :

"That the demad under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure of the Government to reinstate the Central Government Empolyees discharged on account of Participation in 19th September, 1968 strike. (197)]

"That the demand under the head Ministry Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Restoration of recognition of All Unions and Federations withdrawn after 19th September, 1968 strike. (198)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Non-inclusion of some of the members of J.C.M. in meeting held on 27th December, 1968. (199)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure of the Government to treat the political Party workers political prisoners.(200)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Danger to country by Shiva Sena. (201)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Communal riots in the country. (202)].

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Copper clad cables worth about rupees 36 22 lakhs, imported in 1964, which have not been put to any use so far. (240)]

SHRI S. M. BANERJEE : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[To discuss the Firing by the Central Reserve Police on people in Durgapur even against the directive of the State Deputy Chief Minister and Home Minister

[S. M. Banerjee]

that they do not interfere in State affairs and that they should confine themselves to their barracks. (241)]

SHRI LOBO PRABHU : I beg to move :

"That the demand under the head Police be reduced by Rs 100."

[Taking possession of land from five owners in 1963 and negotiating with fifth owner with the result that after paying rent of Rs. 1.03 lakhs, construction has still not started of buildings for the Central Reserve Police. (255)]

" That the demand under the head Andaman and Nicobar Islands be reduced by Rs.100."

[Abandnoment of training-cum-development Centre in Andaman on which Rs.1.56 lakhs had been spent. (258)]

"That the demand under the head Tribal areas be reduced by Rs.100."

[Overpayment of Rs. 0.63 lakhs by the NEFA administration by buying sugar through an agent. (259)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Avoidable expenditure reported in the Audit of Rs. 131 lakhs on vegetable ghee, Rs. 30,000 on parachutes andRs 0.89 lakhs on dry rations. (260)]

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) : I beg to move.

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to ensure safety to people who live outside their home State (261)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to reinstate all the Central Government employees victimised for participation in one day token strike on 19th September, 1968 (262)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check the activities of pro-Chinese and pro-Pakistani elements. (263)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to maintian law and order in the State during President's Rule. (264)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to implement the Mahajan Commission Report on Maharastra-Mysore border dispute. (265)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to check the growing lawlessness in certain part of the country. (266)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to resolve the dispute between the Nagas and Government through peaceful negotiations (267)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to resolve amicably the Maharashtra-Mysore border dispute. (268)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need for uniform policy in the matter of promotions to section officers grade (281)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need for a set policy for promotions to the section officers grade of the Central Secretariat Services. (282)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to remove the inequality in the matter of promotions to the grade of section officers. (283)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Re. 100"

[Failure to issue a list for promotion to the grade of section officers in the Central Secretariat services. (284)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced to Re. 1."

[Failure to reduce the size of the Cabinet as suggested by Administrative reforms Commission. (285)]

"That the demand under the head Administrative of Justice be reduced to Re. 1."

[Failure to create machinery for cordial relations between Centre and State administration. (289)]

"That the demand under the head Administration of justice be reduced by Rs. 100."

[Failure to check crimes in Delhi (290)].

"That the demand under the head Administration of Justice be reduced by Rs. 100."

[Need for a legistalure for Delhi. (291)]

SHRI RAM SINGH AYARWAL (Sagar) : I beg to move.

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to provide free justice to those whose income is less than Rs. 300/- p.m. (320))

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to stop tyranny and exploitation of the public. (321)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to post more police force in dacoit infested areas. (322)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to find basic solution to solve dacoit problem. (323)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to send abroad prescribed number of Harijan Adivasis. (324)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to provide cheap and speady justice. (325)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Inaction and failure of Government to eradicate untouchability. (326)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to ban use of caste indicative surnames legally. (327)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to ensure the appointment of of Harijans Adivasis on percentage

[Ram Singh Ayarwal]

basis in Government, Semi Government and grant receiving non-Government concerns. (328)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to bring such backward States as Madhya Pradesh at par withthe rest of the country. (329)]

SHRI GEORGE FERNANDES (Bombay-South) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to bring about national integration. (332)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to safeguard the lives, property and religious places of minorities, especially of the Muslims. (333)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced to Re. 1."

[Failure to reduce the size of the Cabinet. (334)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced to Re. 1."

[Failure to reduce the foreign tours of the Ministers, especially of the Prime Minister. (335)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced to Re. 1."

[Use of Government machinery by the Ministers, especially by the Prime Minister, during the midterm elections. (336)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs. 5,00,000."

[Reduction in the tours of Ministers. (337)]

"That the demand under the head Police be reduced to Re. 1."

[Failure to improve the salaries and working conditions of the Police. (338)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced to Re. 1."

[Failure to improve the standard of living of the Tribal people. (339)]

SHRI RAM SINGH AYARWAL : I beg to move :

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100"

[Failure to properly implement Community Development Schemes in Tribal Areas. (344)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Indifference shown towards social and development works and failure to allot more funds therefor. (345)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Failure to spend more on multi-purpose river-vally projects in Tribal Areas. (346)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Failure to construct more roads under Public Works in Tribal Areas. (347)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Need for economy in the expenditure on malaria eradication programme in Tribal Areas. (348)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Failure to check misuse of funds on Public Works in Tribal Areas. (349)]

SHRI GEORGE FERNANDES : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to restore the recognition to the unions whose recognition was withdrawn after the strike of 19th September, 1968. (350)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to reinstate the employees victimised during the 19th September, 1968 strike. (351)]

"That the demand under the head Cabinet be reduced by Rs. 100."

[Misuse of Government machinery by the Prime Minister during the mid-term elections. (354)]

"That the demand under the head Administration of justice be reduced by Rs. 100.

[Need to inrcrease the number of High Court and Supreme Court Judges. (355)]

"That the demand under the head Police be reduced by Rs. 100."

[Need to improve the salary and working conditions of the Police. (356)]

"That the demand under the head Tribal Areas be reduced by Rs. 100."

[Need to improve the conditions of life of the Tribal people. (357)]

MR. DEPUTY-SPEAKER : The cut motions are also before the House.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Before we begin, may I say this ? This morning the Speaker was saying when questions arose here, 'To whom shall I look that side ? There is no leader'. Is there no deputy floor leader for the ruling Party ?

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : We are controlling the house. What is this ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : We meet now after the lunch recess. The other day some questions were raised. Sometimes I feel I should give some latitude for at least mentioning some important events.

Shri Shastri observed that I was rather too generous. I do not want to be generous now. That question is closed. Let us begin our work.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसीजर से संबंधित है। जब सुबह अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि लीडर नहीं है, मैं किस से कहूं तो कम से कम प्रोसीजर के बारे में कोइ सफाई हो कि कोई लीडर है या नहीं ? और अगर है तो कौन है ?

SHRI SHEO NARAIN : May I say that the Home Minister is here and he is in charge of that department. This should be placed before the Speaker. Is is not you, Mr. Deputy Speaker, who said that. स्पीकर के वार्डिक्ट प्रर कुछ नहीं होना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : When the question was raised in the House, I was present in the House. The Speaker made certain observations and I do not think that we should now carry on this debate about procedure.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : On a point of order....(*Interruptions.*) I shall be relevant.

MR. DEPUTY--SPEAKER : You can make your point later on.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : इस की रेलीवेंस सुनिये।

SHRI S. M. BANERJEE : Rule 376 (2) says that a point of order may be raised in

[Shri S. M. Banerjee]

relation to the business before the House at the moment. The Demands of the Home Ministry are before the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : And the Home Minister is present.

SHRI S. M. BANERJEE : That is why I am raising this issue. If the Labour Minister had been present, I would not have raised it. On 13s3-1969 a statement was made by Shri V. C. Shukla regarding lenient action to be taken by the Central Government. Shri George Fernandes, Shri Madhu Limaye and I pointed out to him what he said should also apply to temporary employees and he said that orders on that matter would be issued later on....(*Interruptions.*)

AN HON. MEMBER : It is a point of disorder.

SHRI S. M. BANERJEE : The letter had been issued by the Home Ministry on 15 March 1969 : Strike of Central Government employees, September 1968-follow-up action regarding. This differs from that statement in that this says that the temporary employees .... (*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You want clarification from the Minister; in his reply he will do that.

SHRI S. M. BANERJEE : I did not doubt their intention; they are fighting hard against their own bureaucracy. If you permit me I shall read out this letter or I shall lay it on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : When his party spokesman speaks, he can refer to it.

SHRI S. M. BANERJEE : I am above parties.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are above parties but then somebody else will get an opportunity to read it out and if necessary Government will come with their clarification.

SHRI S. M. BANERJEE : I request the Home Minister to clarify it. Shall I lay it on the Table ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : No permission is given. There is no point of order.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : आप ने अभी मेरे नाम का उल्लेख किया था इसलिये व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मैं आप को देना चाहता हूँ। उस दिन भी और दूसरे दिन भी जो मैं ने यह कहा था कि आप अधिक उदार हैं तो उस के साथ मैं ने आप की उदारता की सराहना की थी, निन्दा नहीं की थी।

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Two thousand years ago Pliny laid down that home is where the heart is.

We are proud today that we have a Home Minister who has a big heart. It is with the heart that you can deal with the affairs of the home....(*Interruptions.*)

SHRI SHEO NARAIN : Speak of the heart, not the head.

SHRI LOBO PRABHU : You have no head. The Home Ministry stands for two of the thee rights enshrined in the American Constitution- right to liberty and right to life. The third right, namely, the pursuit of happiness is elaborated by the other Ministries. I had been Home Secretary to the Government of Madras and I have been interested in the Home Ministry for other reasons also. The Home Ministry was very much in the public eye during the last year and I think no other Ministry had been in the focus and under fire as the Home Ministry.

For that reason, I feel very privileged when I open this debate against the Home Ministry, against the Home Ministry not in the sense that I have to find any fault with any person but against the Home Ministry because there are certain matters in which improvement is possible.

I begin with a thing very near to my heart. I belong to minority communities. There are others also here who belong to a minority community. The responsibility for

minorities is a matter of importance not only to the minorities themselves but to the Government and to this country. We have to remember that this country is linked with one-fifth of the population of the world by Buddhism which it has given to the world. This country is linked with one-fourth of the world which follows Islam, because we are a country which at one time had the largest Muslim population in the world and today we are the second country with the largest Muslim population. Thirdly, this country is linked with nearly the rest of the world through Christians who came here two thousand years ago. St. Thomas came directly after Christ and was treated with great hospitality. We have existed all this time in the friendliest of terms living with the other members of this country, living in complete friendship and co-operation. Anything that you do, therefore, to the minorities affects your relations with the rest of the world. Threfore, it is a matter of great importance that certain doubts should be cleared.

I am very grateful that last year when I raised the question, the Minister of State affirmed that article 25 gives all reglions, not only christians, but to all religians including the Hindu religion the right to practise, profess and propagate their faith. I am glad that the Ministry has observed this dictum time and again when there were some unwarranted attacks on the different religions.

There is one point here which however remains to be clarified I used the word 'clarified' because I think it is due to some misapprehension that it continues to exist so far on the book of instructions of the Home Ministry.

By a Cabinet decision it has been decided that foreign missionaries should not be encouraged in this country and that the priesthood of the Christians should be Indianised. I beg to point out that the choice of the priest is an internal matter and that article 25 should protect us if we chose those persons who serve us best. The Home Minister himself was kind enough on a previous occasion to point out that the Indian clergy was not able or not willing to perform certain disagreeable tasks like attending to lepers and the sick. But beyond that, there is the fact that Catholic church, for instance, is universal. It makes no difference between one colour and another, one country and another. To us, it is a principle that they are the same. If these people bring to us some foreign know-how, why should there be be objection ? There are 58, 272 foreigners in this country. Does it matter that there are 5000 missionaries ? Does it matter that they should be reduced in number ? Last year about 300 of them have left. They have left because they are under the disagreeable necessity of every year renewing their stay here; every year, they have to get their visa renewed, Is this necessary in respect of priests who have been here for 30 or 35 years ? Does the Home Ministry allow the rule of law when they refuse a visa to some of these priests ? The rule of law is that every man should have a right and an opportunity to defend himself. Even if they do not do it, do they give some notice of what the charge against him is ? And then he leaves this country with apparently something on his character that he has been found to be a *persona non grata* with the Government. I would, therefore, suggest one thing. We have no sympathies for any foreigner who interferes in the security of this country. We are with the Home Ministry a hundred times if they turn out such persons, but please let them give chance; let these persons not be made the victims of some kind of intrigues by people who have their own motives.

I need not say to this House that it is not at all fair to doubt the loyalty of minorities in this country. I would like to point out that there is not one instance where a member of a minority community has been found to be a spy. I would like to remind my hon. friends that in the Indo-Pakistan conflict, the first to lay down their lives were Christians and Muslims. I would like to assure this House that if it comes to it's defence, we shall never be behind anyone. In these circumstances, do not let us be in the agony of Shylock and say.

> "we are warmed by the same summer,
> Chilled by the same winter,
>
> If you prick us, do we not bleed ?"

Therefore, I would beg of the Home Ministry that in their broadly secular pol-

[Shri Lobo Prabhu]

icy, let them avoid these slight pin-pricks of getting rid of a priest or two because that places us very wrong with the rest of the world and it makes us feel that you do not accept us.

Secondly, I come to the subject of the other disturbances which the Home Ministry is faced with. I come to the subject of the police. The police are getting a larger and larger part of the budget of the Home Ministry. This year, there is an increase of nearly Rs. 11 crores for the Central police. We had a discussion this morning about that. But first and foremost, let us take the State police, the police who are concerned with the administration of law and order. It is very fortunate that the Calcutta High Court has clearly enunciated that the police have to act according to the law and according to the Criminal Procedure Code, irrespective of any directions from the Government. That is a very important principle, and it is the duty of the Home Ministry and this Parliament to encourage the police to do their duties by making it clear to them that they will be supported when they do their duties irrespective of what the passing Government of the country may say or tell them. Of course, there are difficulties; when that same government which gives instructions also controls their postings/promotions, it is very difficult for the police to ignore the instructions they may receive. May I suggeet that there are two ways in which the police can be assured of independence ? First, we may adopt Rajaji's suggestion made recently that the police and the administration should be a reserved responsibility of the Governor. No doubt, it is a fundamental suggestion, but in due course, the Home Minister will be driven to accepting this that the police as technicians should not be contaminated by politics. If he does not wish to go so far, would he at least place the promotions and postings of the police in the hands of an independent authority like the Public Service Commission. This is happening in Ceylon. This has happened in New Zealand. It is not a new departure. If they were to depend on the Public Service Commission they would be free to act according to the law and in the interests of the police. Secondly, law and order is suffering because the police do not take action under the preventive sections of the Criminal Procedure Code. The hon. Minister was flattering to me when I had raised the question and he had informed me that the State Governments had been informed that after a riot took place, the officers concerned would be asked to report if they had taken the necessary preventive action.

Sir, it is necessary to emphasise this, because if preventive action is taken there will be no riots, and in the 30 years I was in service, there was not a single occasion where I had to face a riot and I was in some of the most inflammable areas of this country. And that I did because I took the simple precaution of demanding bonds under section 107 from whomsoever was likely to break the peace, from whosoever announced a programme which may imperil peace. I would like this to be emphasised: that these bonds should be taken not only from those who declare the political programmes but also from those who declare the labour programmes. No man has a right in the name of labour to destroy the peace of the people. The peace of the people is a fundamental right which, in the interests of the country, no section can imperil.

The third point about the police is, you are spending a lot, but are you getting the best use for your money, particularly on modern equipment for the police ? Are you doing it ? I know from my own experience that after an accident, the two vehicles have to remain on the road for... 24 hours or even more, because the police officer cannot get there.

SHRI RANGA (Srikakulam) : The people are also injured.

SHRI LOBO PRABHU : Yes; they are not allowed to be removed. Can you not, when you are spending so much, provide a motor-cycle for your Station House Officers ? Can you not provide jeeps especially in the bigger cities, and can you not have a control room ?

SHRI RANGA : Not even telephones.

SHRI LOBO PRABHU : Sir, these are two very vital things, and I do not think the country will grudge an extra crore or two if you are going to provide them with this equipment to make the police a modern force.

The third important subject which has been before this House in connection with the Home Ministry is about the Centre-State relationship We have had the spectacle of four Governments collapsing this year.. in the wake of Haryana collapsing before. These four Governments have gone through a mid-term election, and the prospect arising is no better than what it was before. You have had a Committee on Defections. The question is, will you believe in this Committee and implement the recommendations of this Committee ? Even today, you are forming a Government in Madhya Pradesh in the same way with defectors. (*Interruption*) I would not make an exception of my own party or any other party. We all rely on defectors. Our politics is bound up with defectors. Of course, we are not in power everywhere. (*Interruption*) What I would like to say is, you cannot do this by a change of law or convention. There is a simple thing to which I would like to draw your attention in this matter. There is comparative stability in the office of the President of municipalities. Has anyone found out why it is so ? It is because while the President or the Chairman is elected by a simple majority vote, he cannot be removed except by two-thirds majority. Why do we not introduce this simple change Chief Ministers ?

Then comes the question of the Governors. What are you going to do with our Governors ? One Governor in West Bengal refused to read the address against himself presented by the Ministry, and another one in Punjab does it with a great deal of flourish. Who is right ? Have you made up your mind what the Governor should do ? And in the meanwhile what have you done ? You are destroying the independence of the Governor by practically asking Mr. Dharma Vira to go away. No doubt he has put in an application for leave, but he understood where he was. The application would not have been pressed if you had the Congress there. The Governors do not know where their loyalties lie. If you are going to send a Governor whom the West Bengal Government wants, to whom will be the loyalty of the Governor ? To you or to the West Bengal Government ?

In this connection, I again refer to Rajaji who is the prophet not only for my party but is the prophet of this country. He said, make the office of the Governor a functional one. Give him reserve powers to look after the police and administration, and thereafter you will possibly have a situation where the Governor will be better than he has been so far.

The fourth point which I would like to bring forward is concerned with the administration. The administration of this country is largely concentrated in your office. You have the Public Service Commission. Even though 21 years have passed, you have not yet finalised the rules about the appointment and powers of the members. I do not want to go very deep into it, because my time is running out. I would only say this that don't appoint to the Public Service Commission people who remain obliged· If you want members to be independent, let them be serving officers or High Court Judges. Let them not remain at least in the eyes of the public the mere servants of the will of the Home Ministry. You must make this change as soon as opportunities arise If yon appoint serving men, you will get the confidence of the people and of the unemployed, because the unemployed are a very serious problem.

It is a staggering fact that there are at present not less than 333.000 and odd cases-more than a third of a million-pending before the High Courts The Law Commission has warned you that there would be a breakdown if law was so dilatory and civil cases took more than 10 years to be decided. I would like the Home Ministry to consider seriously the question of delay, arising from adjournment, convenience of lawyers or of judges or corruption of officials who want

[Shri Lobo Prabhu]

to make money from delay. This is a problem you cannot allow to linger long. You must ask the High Courts to suggest a way out to reduce delays.

Coming to the Vigilance Commissioner and Grievance Commissioner, the Grievance Commissioner has gone and the Vigilance Commissioner will also probably go in the near future, because the Lokpal is coming in. Your own report discloses that when the Vigilance Commissioner started functioing in 1963, the number of complaints received were nearly 6,000. This year, the number was only 1,000. It does not mean that corruption has decreased. It only means the public have lost confidence in that office, and they feel that the Vigilance Commissioner is of no vital use. Though much is expected, I do not think the Lokpal is going to be very much better. You are giving him probably the same powers. He will be under the Parliament instead of being under you. But what is Parliament with your brute majority ? It will make no difference except that we will have a Vigilance Commissioner more glorified and with a bigger staff.

You have to find out why corruption exists and why you do not attempt to remove it. In this connection, I do not like to outrage my own modesty, but in 1962 you complimented me by adopting a system of spotlighting delays I suggested. That is, whenever an officer failed to write his note within a week of the receipt of the paper, he had to write it in red ink. There was thus a visual demonstration of the delay which the higher officers would take note of and take action. I do not know how far it continues. From my own enquiries, it appears that the higher officers have not taken care to implement it. That will remove one of the very important causes of corruption, because the Grievance Commissioner's figures show that 80 per cent of the complaints relate to delay.

The second reason why the Lokpal may fail is, you are not going to remove the causes of corruption and reduce the opportunities for it through your controls, enterprises and other acts of interference with the life of the private individual. You are presenting opportunities to corruption and there is no wonder that it exists. You have to make up your mind from your end that it should stop.

I am glad the Minister of State is here. There is no use having a Lokpal or Grievance Commissioner, because as long as the minister, is not a public servant, he cannot be touched even if he is exposed in Parliament. Ministers have been exposed many times and I do not think having a Lokpal will make any difference Ministers will only feel the necessity of being honest if like any other citizens, they are exposed to the law of corruption, by being public servants. The hon. minister gave me an assurance in June, 1968 that Government was going to bring a Bill in respect of making ministers public servants. He has not done it nor has the Assurances Committee done anything in this matter. This Bill must come by which ministers should be declared public servants.

Now I shall speak as one who was a public servant to those who are now public servants. I had occasion, when the Bill came for essential services, to differ with the Government on this point that they failed to give these government servants the provision of arbitration of the Joint Consultative Committee and the Industrial Disputes Act. You would not have had a strike if you had followed that Act. It is quite clear. The same thing I repeated when the Act was being passed, that the Act would be infructuous unless you included arbitration and gave them a chance to be heard. Do not delay that. The mement you enforce that provision a strike becomes illegal, the same thing you were trying to get by the Ordinance.

To government servants among whom I once was I would like to say this that their privilege to influence the life of the people is more than of anyone else. They have the power to do so much. They did not show discipline in this matter. They thought too much of their own interest and then they lost the chance. They have to serve the people. I would like, on this occasion, to address them as Lord Curzon addressed the

government servants of his day, because what he said then is true today as it was then. It is a statement which should be hung up in every office. It is a statement worthy for them to note and for this country to benefit from. This was what he addressed them :

> "To feel that somewhere among those millions you have left a little justice or happiness or prosperity, a sense of manliness or moral dignity, a spring of patriotism, a dawn of intellectual enlightenment or a stirring of duty where it did not exist before, that is enough reward. It is good enough as a watchword while in service and an epitaph thereafter".

Curzon added :

> "I worked for no other aim. Let India be my judge".

I would like to add this. I said to myself the same thing when I left service, and I would like to say when I conclude my term of Parliament that I had no other aim than to serve the people and let the people of India be my judge.

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, गृह मन्त्रालय ऐसा मन्त्रालय है जिस में वैदेशिक बातों को छोड़ कर, सुरक्षा को छोड़ कर और रेलवे को छोड़ कर शासन के प्राय: सभी प्रमुख विभाग आ जाते हैं। मैं श्री चव्हाण जी को और अपने भाई श्री विद्या चरण शुक्ल जी को इस बात पर बधाई देना चाहता हूं कि..

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : शुक्ल जी को डबल।

डा० गोविन्द दास : उन्होंने अपने विभाग के काम को बहुत अच्छी तरह से सम्भाला है बहुत अच्छी तरह से किया है। जो रिपोर्ट 1968-69 की मेरे सामने है और जिस के 127 पृष्ठ हैं, उस रिपोर्ट को भी यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो राजनीतिक पकड़ की बात तो अलग है लेकिन मैंने जो कुछ कहा है, निष्पक्षता से यदि विचार किया जाएगा तो सब ओर से उसका समर्थन होगा।

इतने पर भी मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता और वह यह है कि यदि इस सारे काम को अंग्रेजी के एक शब्द के अन्तर्गत ले जाए तो वह शब्द है 'रूटीन'। इतिहास में इसी शब्द से इस समस्त कार्य का विवेचन और विवरण होगा। इसका कारण यह है कि देश के निर्माण के सम्बन्ध में हमारे सामने कोई आदर्श, कोई ध्येय, कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। महात्मा गांधी ने स्वराज्य के बाद के भारत का जो एक चित्र खींचा था वह एक दम धूमिल हो गया है। उस तरफ हमारा कोई भी ध्यान नहीं है और इसका कारण है हमारी सारी दृष्टि उस रूटीन के साथ एक दूसरे हिन्दी शब्द के अन्तर्गत आ जाती है, वह शब्द है भौतिक। हमने केवल भौतिक चीज को अपनी योजनाओं में, अपने आदर्श में, अपने ध्येय में और अपने उद्देश्यों में रख छोड़ा है। उसके आगे हम नहीं जाते। आज जो भ्रष्टाचार चल रहा है और इस प्रकार की दूसरी चीजें चल रही है, उसकी जड़ में क्या है। आप ऊपर ऊपर इलाज करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर इलाज से काम चलने वाला नहीं है। उसकी जड़ में वही भौतिकवाद है, केवल भौतिक उन्नति है, पैसे को ईश्वर से भी बड़ा समझना, यह हमारा आदर्श हो गया है।

मैं एक दृष्टान्त देता हूं। नैतिकता का कहां तक पतन हो गया है, इसका वह दृष्टान्त है। दल बदलने वालों की ओर आप जरा दृष्टि डालिये। वे आज एक दल में होते हैं और कल दूसरे दल में। मैं अनेक बार कह चुका हूं कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिए या हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिये कि यदि व्यक्ति, कोई सदस्य किसी दल को प्रतिज्ञापत्र दे कर आता है और अगर वह अपने प्रतिज्ञापत्र को तोड़ता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जाए। कांग्रेस दल भी इस सम्बन्ध में दूध का

[डा॰ गोविन्द दास]

धुला हुआ नहीं है। कांग्रेस दल और जितने विरोधी दल हैं उनका एक समझौता सा हो गया है कि दल बदलने वालों के लिए कोई कानून न बनाया जाए। सब का उद्देश्य किसी न किसी तरह से मिनिस्ट्री को, पदों को हथियाना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

कामराज योजना को आप लें। उपाध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा नाटककार हूँ। कोई भी नाटककार नाटककार नहीं हो सकता अगर उसका मनोविज्ञान का थोड़ा सा अध्ययन न हो। मन में जो कुछ होता है वह चेहरे पर आ जाता है। मैंने कामराज योजना में देखा था कि उस योजना के अनुसार जिन मन्त्रियों को अलग किया गया था, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ती थीं और जब तक उनको फिर से पद प्राप्त नहीं हो गए तब तक उनको चैन नहीं पड़ा। फिर हमारे अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी ने जब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय कहा था कि मिनिस्टरों के लिए दस वर्ष का समय नियत होना चाहिये, कोई दस वर्ष से अधिक मिनिस्टर न रहे और संसद सदस्यों के लिए और विधान सभाओं के सदस्यों के लिए भी दस वर्ष का समय नियत होना चाहिये। लेकिन उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं। इस सब का भी वही कारण है जो अभी मैंने आप से कहा। भौतिक दृष्टि से हमारे देश के प्रश्नों और संसार के प्रश्नों का हल होने वाला नहीं है। मैं भौतिक उन्नति के विरुद्ध नहीं हूँ। भौतिक उन्नति भी होनी चाहिये लेकिन भौतिकता के साथ यह देश जिस बात के लिए सदियों से ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से प्रसिद्ध रहा है और आज भी प्रसिद्ध है, और जिस को हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था आध्यात्मिकता, उस तरफ भी इसे ध्यान देना होगा। जब तक हम आध्यात्मिकता अपनी योजनाओं में नहीं लाएगे, शिक्षा में नहीं लाएंगे, दूसरी जगहों पर नहीं लाएंगे, तब तक अनैतिकता की समाप्ति नहीं होगी।

अब मैं फिर उस विषय पर आता हूँ, जिस विषय को मैं स्वराज्य के बाद सब से महत्वपूर्ण मानता हूँ– भाषा का विषय। मानव सृष्टि में सब से श्रेष्ठ प्राणी क्यों है? मैंने कई बार कहा है और कहता जाऊंगा– वह इस लिये सर्वश्रेष्ठ है कि निसर्ग ने उसे जो ज्ञान शक्ति दी है, वह किसी अन्य प्राणी को नहीं दी और उस का आधार है– भाषा। इस भाषा के सम्बन्ध में सब से पहले मैं हिन्दी के संविधान के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। संविधान सभा के अब कितने सदस्य लोक सभा और राज्य सभा में हैं, मुझे नहीं मालूम– लेकिन श्री गोविन्द मैनन हैं मै हूं, शायद और भी कुछ सदस्य हों। जहां तक हिन्दी के संविधान का रूप है, उस के सम्बन्ध में संविधान सभा के अन्तिम दिन क्या हुआ था? डा॰ राजेन्द्र प्रसाद जी जो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा था—

> "Now there are two things more which remain to be done. One is the authentication or rather the certification of the Hindi Translation of the Constitution. Hon. Members will recollect that this House authorised me by a resolution to get the Hindi Translation prepared, and printed and published before the 26th of January. That has been done. The House also authorised me to get translations in other languages prepared, printed and published. This work has not yet been completed; it has been taken up.
>
> I will ask Shri Ghanshyam Singh Gupta to let me have the Hindi Translation so that I may formally place it before the House and certify it."

14.42 hrs.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए]

उस के बाद वह संविधान सभा के सामने रखा गया, राजेन्द्र बाबू ने उस पर हस्ताक्षर किये, हम लोगों ने, सब ने, उस पर हस्ताक्षर किये। अब आप देखें कि यह जो विवाद उठा है

कि हमारा हिन्दी संविधान प्रामाणिक नहीं है, इसका एक कारण यह कहा जाता है कि उसकी धारायें प्रथक रूप से संविधान सभा में स्वीकृत नहीं की गई थीं। इसकी आवश्यकता नहीं थी। संविधान सभा की नियमावली में यह बात कही गई है कि—

"it shall be in discretion of the President when a motion that the Constitution or a Bill taken into consideration has been made to submit the Constitution or any part of the Constitution to the Assembly clause by clause."

यह संविधान सभा के अध्यक्ष के ऊपर निर्भर था। संविधान सभा का काम किसी विधेयक के द्वारा नहीं चलता था, संकल्पों के द्वारा, रेजोल्यूशन के द्वारा चलता था और यह स्पष्ट प्रस्ताव था कि संविधान की प्रत्येक धारा अलग अलग ली जाये, इसकी आवश्यकता नहीं थी। यदि हमारे अध्यक्ष चाहते तो पूरे संविधान को रख कर, उस को प्रामाणिक मान कर उस को स्वीकृत करा सकते थे। यही हम ने किया भी। लेकिन इस सम्बन्ध में अगर कोई सन्देह है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सन्देह की निवृत्ति तुरन्त होनी चाहिये। कारण यह है कि कम से कम पांच राज्यों में उन राज्यों की सरकारों ने और वहां की विधान सभाओं ने निश्चय कर लिया है कि उन का कुल काम हिन्दी में चलेगा, वे राज्य हैं– उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा ...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री हिमाचल प्रदेश भी है।

डा० गोविन्द दास : जब तक संविधान का हिन्दी स्वरूप प्रामाणिक नहीं माना जायेगा, तब तक इन राज्यों का और आगे चल कर इन राज्यों की हाईकोर्टों का भी काम हिन्दी में नहीं चल सकेगा। इस लिये मैं तो यह मानता हूं कि हमारा संविधान प्रामाणिक है, लेकिन इस सम्बन्ध में यदि कोई सन्देह हो तो इस सन्देह की निवृत्ति तुरन्त होनी चाहिये।

अब मैं कुछ और बातें हिन्दी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है– संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी 26 जनवरी, 1965 से संघ की राजभाषा हो गई। तथापि उस तारीख के पश्चात् भी राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अनुसार हिन्दी के साथ साथ संघ के उन सभी सरकारी कार्यों के लिए जिनके लिए उस तारीख से पूर्व इस का प्रयोग किया जा रहा था और संसद् में काम काज चलाने के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था है। मैं इस में शब्द "हिन्दी के साथ साथ" पर जोर देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं– चव्हाण जी इस समय नहीं हैं, श्री विद्या चरण शुक्ल से पूछना चाहता हूं जिस संविधान के प्रति वफादार रहने की हम प्रतिज्ञा करते है, उस संविधान के अनुसार क्या केन्द्रीय सरकार का समूचा काम इस समय पहले हिन्दी में चलता है और उस के साथ अंग्रेजी में चल रहा है? मैं कहना हूं-- नहीं चल रहा है। हम हर पल संविधान को तोड़ रहे हैं, जिसके प्रति हम वफादार रहने की शपथ लेते हैं। उस की हम परवाह नहीं करते और सब काम धड़ल्ले से अंग्रेजी में चल रहा है।

आप यह भी देखें–इसी रिपोर्ट में कहा गया है· 2 लाख 19 हजार कर्मचारियों ने हिन्दी की एक या अधिक निर्धारित परीक्षायें पास कर ली हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन 2 लाख 19 हजार में से कितने ऐसे राज्य कर्मचारी है जो हिन्दी में कार्य करते हैं और उन में से कितने भूल गये हैं। बड़े अफसर हिन्दी में काम नहीं चाहते, जब बड़े अफ़सर काम नहीं करना चाहते तो छोटे अफ़सर इसलिये काम नहीं करते कि बड़े अफसर नाराज हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में जब तक सख्ती से कदम नहीं उठाये जाते, तब तक नहीं चलने वाला है।

[डा० गोविन्द दास]

संघ लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में मैं श्री विद्याचरण जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने दो विषयों में हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में परीक्षा लेना स्वीकार कर लिया है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के शायद पांच या छः विषय हैं, अभी केवल दो विषयों के लिये यह किया गया है। हम ने अपने संविधान में यह बात निश्चित की थी कि 15 वर्षों के भीतर अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी चलने लगेगी, मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी विषयों को हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में चलाने के लिये कितना समय लगेगा। 15 वर्षों में हिन्दी नहीं चली, अभी केवल दो विषयों के लिये व्यवस्था की गई है और मुझे इस बात का डर है कि यदि आपने कोई समय निश्चित नहीं किया तो लोक संघ सेवा आयोग की पूरी परीक्षाओं को हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में चलाने के लिये 50 वर्ष लगेंगे। इस लिये मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस के लिये कोई समय निश्चित कीजिये कि कितने दिनों में आप इसे करना चाहते हैं।

गृह मन्त्री जी प्रत्येक मन्त्रालय को हिन्दी में काम करने के लिये प्रोत्साहन दें। हिन्दी भाषी राज्यों से हिन्दी में पत्र व्यवहार करें। संसद् में विधेयक और संकल्प आदि हिन्दी में उपस्थित करें। सब से अच्छा तो यह होगा कि हिन्दी का मन्त्रालय ही अलग स्थापित हो। यदि हम अपने देश में प्रजातन्त्र चलाना चाहते हैं तो प्रजातन्त्र विदेशी भाषा से नहीं चल सकता। आज सरकारी कामों में यहां की जनता की जो रूचि कम हो गई है, उस का मुख्य कारण यह है कि यहां का अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में चलता है। मैंने कहा था कि स्वराज्य के बाद में सब से महत्वपूर्ण काम भाषा को मानता हूं और मैं तो सरकार के काम की जांच इस तरह से करूंगा कि वह कहां तक हिन्दी को चला सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर से चव्हाण जी और विद्या चरण जी को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस रुटीन से बाहर निकलिये, अध्यात्मिकता को स्थान दीजिये, भौतिकता से ऊपर उठ कर। हिन्दी और भारतीय भाषाओं को उन का स्थान दें, तभी इतिहास में उन का स्थान रहने वाला है, नहीं तो केवल रुटीन के एक शब्द में दोनों के नाम लिखे जाने वाले हैं।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : In the very 'introduction' of the Report, I find the following observations:—

> "One of the important functions of the Ministry has been to identify and remove causes of friction---communal, linguistic or regional."

I am sorry to say that, on all these three counts, the Home Minister has failed. It is not to be blamed entirely, the reason being that there is something radically topsy-turvied in the whole approach to problems that this Government as a whole is making. But what I would like to concentrate more is on the question of language, but before entering into that, I would like to say a few words about Centre-State relations.

I am glad that Government are at least giving an indication that they are trying to appreciate the difficulties of the States. Even today the hon. Home Minister, while answering during Question Hour, has stated that Gove nment is taking up the matter in the Integration Council and they will be pursuing it. I remember, in the recent meeting of the Council, the Prime Minister, referring to this particular aspect of Centre-State relations, has said that we should pay very careful attention to the various demands of different States, but at the same time we should not lose sight of the fact that while various States are pulling in different directions, the unity and the strength of the Centre should not be undermined. This is what she said. I do not know where the question of the Centre's strength being attenuated or affected comes into this because even if you decentralise the who'e thing, so long as this power of superseding a State and installing your

own Government is there when there is some threat to the unity or a challenge to the sovereignty and Integrity of the nation, when you have got the power to supersede a State, you need not give this reason that the Centre will be undermined. It will never be undermined. The Governor will be there. The various powers vested under the Constitution are there. So, there is no use going on suspecting the *bona fides* of the various State Governments to whichever political party they may belong. It is high time that they were entrusted with more powers to carry on the responsibilities that are already vested in them under the Constitution. I do not want to dilate or elaborate much on this point because we have already spoken during the General Debate on the Budget and the hon. Finance Minister also has a little bit dilated on that; also, my State Government, along with, I think, Kerala and West Bengal, are presently working out some proposals to be placed before the Government expressing their views as to how best the financial devalution and other things could be adjusted to give a satisfactory position to the State Governments concerned. So, since this matter will be pursued at Government's level, I do not want to elaborate further on that, but I only appeal that the Home Minister should also play his constructive and vital role at this juncture and see to it that we evolve a healthy set-up instead of allowing things to drag on like this which will ultimately lead to our facing a lot of difficulties all over the country.

Dr. Seth Govind Das was referring to certain discussions that took place in the Constituent Assembly. Of course, he picked up some of the points which were very convenient to him and he expressed his views on them. He was very sore and angry that Government have not been able to fully replace English by Hindi in all walks of life in India. When I was going through the debates of the Constituent Assembly, what struck me most was an expression used by one Mr. M. V. Dhulekar. He affirmed that people who did not know Hindustani had no right to stay in India or in the Constituent Assembly.

AN HON. MEMBER : Who is he ?

SHRI S. KANDAPPAN : I do not know who he is.

AN HON. MEMBER : Where is he ?

SHRI S. KANDAPPAN : He is one of the fathers of our constitution because I found this expression in the debates of the Constituent Assembly.

I am sure things are not so bad as they were at that time. Still I am not able to appreciate what the Home Ministry or the various Ministries at the Centre are driving at when they take measures to vigorously implement this policy of Hindi. Without going into the basic issue–I will come to that later because rather our problem is that we are totally against the provisions with regard to the official language that are there in the Constitution. That is the basic issue. The Home Minister will simply answer my point that they strick to the Constitution. Even with regard to the constitutional provisions, what is the day-to-day practice ? I may point out one thing. There is a provision in the Constitution with regard to linguistic minorities. There is a Commissioner for linguistic minorities. Whenever there is some trouble or some difficulties for the minorities living in any State, for that matter whichever be the ruling Party, the Central Government takes upon itself the responsibility to see that they get education in their mother tongue at the primary level and at other levels. On the basis of the recommendation of the Commissioner, they instruct the State Governments to provide them with educational facilities in their mother tongue. It is working well so far in some of the States. But, here, under the very nose of the Central Government in Delhi as well as particularly in Andaman and Nicobar islands which are the direct responsibility of the Centre, nothing has been done to provide facility even to have primary education in their mother tongue for the children of non-Hindi people who are residents of that area. I had been to those islands in 1963. Soon after that I took up this matter with the Home Minister. Every time when I wrote to them, I received an acknowledgment and nothing more If I talk to them, they say that they will look into the matter.

[Shri Kandappan]

When the matter was further pursued very seriously, by that time they lose sight of my earlier representation I am sorry to say that the letter I wrote and the representation I made to the present Home Minister received an acknowledgment but nothing happened afterwards. Probably, Sir, I am too small a man to get a reply from too big a man like the Home Minister. The latest information is that things are still as bad as they were 7 years ago. Why should it be so ? There are fine schools. It is a fine location. The islands are so beautiful. In fact when I was there I did not want to leave those islands at all. But I cannot it help.

The Government there has also provided free education upto middle or secondary school stage. Unfortunately in all these schools in that Union Territory I find Hindi medium excepting in some areas where Bengalis were rehabilitated, some facility for primary education was provided in their mother tongue. But with regard to other areas I found not a single primary school provided for education in their mother tongue either for the Tamil children or for the Malayalee children or for the Telugu children. If the Minister has got the figure, let him contradict me. There are 500 Tamil school-going children in Port Blair, the capital of Andaman. We are forced to have recourse to Hindi because they do not have facility in their own language and the Tamil Sangham by collecting money have built a building and they are now trying to teach them at least primary education in Tamil. Even when I was in that island, I took it up with the Chief Commissioner there. In fact I was not against Hindi being taught there. I advocated and pleaded with the Tamilians there to continue Hindi. I found that many of them in their homes were speaking Hindustani. So I do not want to make it a point of dispute at all. What I was pleading as to why the Tamil children should be deprived of their mother tongue ? What is the harm if it is provided ? The only answer so far I have been able to get was that they were not able to get enough teachers. That is no excuse at all. In fact I gave my word to the Chief Commissioner and also I wrote a letter to the Home Minister that if they have any difficulty with regard to teachers, I am prepared to take it up with my Government at the State level and see that as many teachers as needed are supplied to that island.

15 hrs.

But they have not done anything. What I am driving at is that they pretend to do, but in fact do nothing for the other linguistic groups and their intention seems to be to see by fair or foul means that everyone in this country learns Hindi and Hindi alone. That is not going to help Hindi or even this country in the long run. They should remember this while making provisions for education in the various Union Territories and also in other States where there are linguistic minorities which I do not want to elaborate as others will speak on that. Even a cursory perusal of the Constituent Assembly debates on the question of language goes to prove that there were deep differences. The debate on language started as soon as the Constituent Assembly was formed and it ended only after it was dissolved after the Constitution was adopted. No lasting compromise could be worked out; only a workable formula could be agreed upon; even so there were a lot of differences and some strong views were expressed. I came across an interesting proposal made on 12 September 1949 by one Mr Naziruddin Ahmed from Bengal who pleaded for the postponement of the whole issue He said that the language question should be postponed till primary education is made compulsory and about sixty percent of the population became literate and a commission was appointed and its recommendations were considered by provincial and central legislatures and also by the Press and the public for a long time. Then only, he felt, we could come to an agreeable settlement. The Hindi bloc did not agree to that suggestion as they feared that if they lost that opportunity they would get no other.

The impression I gathered on going through those debates was that the Non-Hindi bloc was somewhat susceptible

because of their patriotic and national sentiments. Probably they felt that they should put up a big show before the British imperialists who left our country but expressed their apprehensions that this country would never remain united or pull together. Possibly, they wanted to prove to the outside world that they could pull together, come what may. All of them reluctantly agreed to some kind of a compromise formula. If you read the debates you will find that no Member from the Non-Hindi areas willingly and spontaneously gave his support to this formula on language in the Constitution. In the beginning there was some talk of Hindustani but probably after the death of Gandhiji and after Pakistan came into being, it was given a decent burial and Hindi seems to have come up. Whether it should be in Devanagiri or Persian or Arabic script, even that was not properly thrashed out. So, all this rather goes to prove that we should not shut our eyes to the realities. After all, when people were not able to agree to the compromise resolution even at the time when we were in the first flush of freedom, how could you expect them, simply because it is there in the constitution, to be loyal or to agree to the language resolution when they know full well that it is making them second class citizens ? But till now, repeatedly, even the Home Minister and responsible people in this Cabinet and other leaders of some parties have been telling us : "After all, your language, or for that matter, any other language, is not inferior to Hindi. It is on a par with that language and that has been recognised." If it is so, if it is really true that all the languages of this country are put on a par with Hindi,-I would like to ask one question. Three or four years back my colleague Shri Sezhiyan brought a Constitution (Amendment) Bill on the floor of the House. He wanted to amend Article 15. Sir, this relates to discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The word 'language' is conspicuous by its absence. In this country, everybody knows that there are differences on the basis of language. Religion, race, all these are mentioned. I do not find much difference with regard to race but still it is mentioned there. Religion is mentioned there So, everything finds a place here. But they are not prepared to include 'language' in this category. This Article reads as follows, namely--

> "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

I would like to know from the hon. Minister, Shri Shukla, whether they are prepared to include language in this category. If they are prepared to include language in this category, I am prepared to concede their claim that all the languages are treated on a par with Hindi. But so long as they are not prepared to put language in this category, it is obvious, there is some disability with regard to the other languages. Everything seems to be going on very smoothly in my part of the country and the Government here do not realise what is the actual difficulty with regard to the Tamilians and also with regard to the Government that is there, whichever might be the party that is ruling. I Challenge the Home Minister that if today the DMK were to resign in Madras, in Tamil Nadu, and if the Congress were to take over power I tell you, they have to come before the public openly and say 'We are not for Hindi'. Because, Sir, it is not a political issue. Many peoply do not appreciate the origin of this anti-feeling. As far as the language of my part of the country is concerned, it is as old as 2500 years, I should say. We had our ancient Tamil history and there were ancient Tamil poems before the Pallava age, say before 2nd or 3rd century A. D. In all the poems that they had written there is a clear note against the Sanskrit culture. I do not know the reason. But there is that note. It is very much there. The literature is very popular and people read it widely. And, after that ancient period during the Pallava age, there was royal patronage to Sanskrit. Along with other languages, in Tamil also there was lot of admixture of Sanskrit and Tamil, Even at that time side by side with this mixed language there were assertions by poets and essayists and other people to retain the puritanism of the old language also It went on for quite some time. In Tamil it is known as the *manipravaala* style, or mixed style. We find that mixed style in some of

[Shri Kandappan]

the inscriptions of the middle ages, which are quite similar to Telugu, quite similar to Kannada and quite similar to Malayalam in some places. In fact, the first book in Malayalam, namely Ezuthachan's Ramayana, if it could be written in Tamil script, could be understood by us also. That was the position at that time. But fortunately or unfortunately, at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century, a lot of the ancient manuscripts were found out and printed. It synchronised with the modern reniassance all over the world with regard to literature and their outlook. That literature being so modern in its outlook, the people were very much enamoured of that. Then, there started a movement, long before the political movement in Tamil Nadu. Among the Tamil scholars, there was a right royal battle going on whether we should use the pure form of Tamil or we should use the mixed form of Tamil. Later development went in favour of the Pure Tamil movement leaders; among them were Marumalaiadigal, Naralam, Somasundaram and T.V. Kalyanasundaran, who happened to be the founder of some of the labour unions in my part of the country. All those people popularised that movement among the intelligentia and at the academic level. What happened afterwards was this. There was the political movement and the Dravidian movement, and the DMK made it a popular movement. But even before that, the origin was there and the seeds were sown.

Today, the position is this. Unless you totally do away with the literature in Tamil which was there before the 2nd century AD you cannot change the attitude that they are having with regard to language and the scare that they have got against Hindi. This is the historical reason behind it. If the mixed Tamil had been allowed probably to continue, things would not have been so hard for the Tamilians as far as their acceptance of Hindi is concerned, but some how historically it has not come to stay. So, now you cannot do anything about it, unless it be that you are going to ask us to throw into the Arabian Sea all that ancient Tamil literature?...

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Why not Bay of Bengal ?

SHRI S. KANDAPPAN : Anywhere you like. But that is not going to happen. This being the case, Government should appreciate the realities. So, they should approach the problem in such a way that people are not provoked there. But unfortunately, what has happened is this.

I would like Shri Y. B. Chavan as well as the House to appreciate what happened with regard to language in Tamil Nadu after we came to power. The three-language formula was there with regard to education. We did not do anything. It continued. After we assumed power, the three--languagre formula continued in my State for one year. After the Home Minister brought forwad a Bill with regard to the Language Act for further amending it, even at the introduction stage, we supported it. After that, it was further diluted, and we had some fear; at the final stage only we opposed it. Then, the trouble started. People started burning buses, railway wagons, trucks and things like that; the law and order situation became very grave. Then, we were forced to call the Assembly. Then, we suspended the three-language formula, and we adopted the two-language formula. And it is important to remember here that the two-language formula was adopted unanimously. With regard to the NCC also, we did not suspend them After we came to power, the NCC commands were in Hindi for a year. Nobody objected to them. It is only because of provocation from the Centre that the students' attitude stiffened and they forced us to drop those commands also. So, we had to drop it. After that, some time elapsed, and before everything subsided and before time was given for things to cool off, the radio business came. So, you are not helping us to see how far we can adjust. Rather, you are unnecessarily provoking and putting the DMK Government there into trouble. Today, the propaganda there in Tamil Nadu ..

MR. CHAIRMAN : The hon. Member should try to conclude now.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Practically he is representing the entire South India, and so, let him continue.

SHRI S. KANDAPPAN : The whole propaganda there is this. Even from the Congress platform, people are approaching the masseses and telling them that the DMK Government has led the Tamilians very badly on the language issue. That is the impression that is sought to be created. Fortunately, the people still have faith in us. If we are going to lose the faith of the people on this issue, I am sure that nobody is going to solve the language problem, and what may happen in Tamil Nadu may be something which we may not like. Either you have to live with the Tamil language, giving more importance to it, or they may tolerate English, if you accede to that demand, or you will be forcing them to secede. There are not other alternatives, as far as I could see.

So, I would appeal to the hon. Home Minister as well as to the Members to see that their guardian angels who want to see that Hindi is propagated in this country and who by their attitude sometimes unwittingly damage the cause of Hindi should place confidence in the DMK Government in Tamil Nadu. Then, you can really hope to settle this matter amicably. I am not in a position to indicate the manner in which it would be possible. In fact, our leaders are very hopeful that it would be possible to come to some kind of settlement. So, I appeal to the hon. Minister to see that this very irritating and one of the grave issues that are facing us in this country is settled in the proper way and in a democratic way and in a way where persuasion will prevail and not force or burte majority.

SHRI RANE (Buldana) : I rise to support the Demands of the Home Ministry which is one of the most important Ministries of ours. If you look at the number of cut motions tabled, you will see that they number more than 360. That itself shows the importance that this Ministry has got

I congratulate the Home Minister and his colleagues Shri Vidya Charan Shukla and Shri K. S. Ramaswamy for the excellent job that they have done during the year under review. Last year was an year of stress and strain for the Home Minister. Perhaps it was unprecedented year in India. After the Constitution came into force in 1950, till 1967, there was not a single year in which there was President's rule in four or five or six States. Then, there were mid-term elections on such a large scale in five States and one Union Territory. Besides, in September last, there was the token strike by the Government employees. I believe that the Home Minister has successfully done his job. The speeches made by Shri Lobo Prabhu and Shri S. Kandappan themselves show that they had no criticism to offer. All the suggestions were of a constructive nature. That itself shows that the Home Minister has done his job very successfully.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : 14 लोगों को मारना क्या यह सक्सैसफुली काम करना कहलायेगा ?

SHRI RANE : Let him look at what the non-Congress Governments have done. They have so taken also many lives. A part from that, this is my view.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : और चीजों में भले ही तारीफ कीजिये लेकिन यह 19 सितम्बर के बारे में मत करिये ।

SHRI RANE : Had it not been for the present Home Minister perhaps Shri George Fernanades and Shri Madhu Limaye would not have got that leniency towards the strikers, I am quite sure. They must thank him for showing that leniency towards the strikers. I would like to convey to the Home Minister that his action of firmly dealing with the strikers was appreciated by the public. But now the public say that the Home Minister and the Governmant have surrendered to the threats of Shri George Fernanades and others.

Before I go to other points, I would like to make a few submissions to the Home Minister on three or four main points. My first submission is that nothing should be done to weaken the Centre. Now, attempts are being made by States to see that the Centre is weakened and it has been attacked on almost all fronts. So, I would sugg-

[Shri Rane]

est that the Centre should not be weakened. Then, I would submit that there is a growing tendency to challenge the Centre's authority and to flout the Centre. This must also be firmly checked and dealt with sternly. Then, I would submit that the convention of appointing Governors in consultation with the States should be discontinued, because this has created new problems which we have to face every day. That is my third submission. My fourth submission is that the Union employees or the Central Government employees should be warned that in case they go on strike in future, they will not be shown the same leniency as was shown to them recently. These are my four suggestions.

I said that same State Governments are trying to weaken the Centre. You yourself have seen that the office of Governor is being attacked during the whole year on different grounds. Of course, they have double standards. If we read the same speeches of the same members, we will see different theories. The second attack is now on the services. I am reading from the *Times of India*, Bombay Dak Edition of the 24th March, 1969. The caption is "All India Services meeting a new challenge" and the article is by Mr. Karad. From that article, I shall quote a few lines. Here it relates to the West Bengal Government :

> "In its 32-point common programme, the United Front Government has declared that it will take steps to change the rules governing ICS, IAS and IPS."

The article goes on to say :

> "What the United Front has in mind is to have the service conditions which will put the Central Services as members of the State Services."

Again it says :

> "Significantly the West Bengal Government is not alone. Shri Namboodiripad, the Chief Minister of Kerala is also thinking on the same lines and Shri Karunanidhi, Chief Minister of DMK, has gone a step further."

This is the quotation from this article. I want to bring to the notice of the Home Minister that it is not only the office of the Governor that they have attacked, but now there is a cry that the rules of the Central Services should be changed and they should be according to their wishes. The Home Minister should be very cautious in relaxing the rules. My submission is that the Central Servicesis one of the factors that we are having an integrated India. Now these State Governments want to nominate Governors, not that the President should do it. They want to take over the powers of nominating Governors from the President. The State Cabinets want that power. Shri Sundarayya, the Marxist leader, said that 'we do not want nominated Governors by the President, we want to elect the Governors'. The provision to elect the Governor was there when the draft Constitution was being considered. But our Constitution-makers wisely gave it up and they put down that the Governors should be appointed by the President. This was a very wise decision and it should be continued. Even if some State Cabinets press for this, the Home Minister should not yield to their demand.

As regards the language question, Seth Govind Das spoke of it at great length. Mr. Kandappan gave very nice arguments for Tamil and other languages. This is not the first time that I am speaking on the subject, even when I spoke in 1967 and last year I said that Hindi alone can be the official language. It is the only integrating force that can unite India. There cannot be any other language.

As regards the other arguments of Shri Kandappan, I am not conversant with Telugu or Tamil language, but I only say that at least in the interest of the unity of the country, we should return to the three-language formula. I would appeal to him and through him to the Tamil Nadu Government to recognise this and return to three-language formula.

As regards Shri Lobo Prabhu, I appreciate one of his suggestions. After the fourth general elections, we find that stability of State Governments has been disturbed. He has made a suggestion that instead of a simple majority, a vote of no-confidence

against the cabinet should be carried only by a two-thirds majority. I agree with him on this.

I have experience in this matter in respect of municipal bodies in Maharashtra state. The Maharashtra Government has an enactment by which the President of a Municipality can be removed by a majority. During this one year, since the Act came into force—they are now amending it--in the Manmad Municipality, the President was changed about eight times. Speaking of my own Municipality of Jalgaon, the present President is the fourth or fifth we have had during one year.

Of course, there is nothing in the Constitution specifying that the vote of no-confidence against the Cabinet should be by a simple majority or a two-thirds majority. But it is time we evolved some such convention so that we do not allow a few defectors to change a Government and introduce instability of Government.

This is all I have to say.

श्री राम गोपाल शालवाले (चांदनी चौक): सभापति महोदय, मैं श्री कण्डप्पन के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि हिन्दी के समर्थक यह चाहते हैं कि केवल हिन्दी ही भारतवर्ष में पढ़ाई जाय, और किसी दूसरी भाषा को न पढ़ाया जाये। जहां तक मेरा विचार है, उन के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि किसी भी हिन्दी समर्थक ने यह दावा किया हो या यह मांग की हो। मैं मूलभूत-रूप से कहना चाहता हूं कि हम भारत की सभी भाषाओं को फलते और फूलते देखना चाहते हैं। यदि हमारा झगड़ा है तो वह विदेशी भाषा अंग्रेजी के साथ है, और मेरे ख्याल में श्री कण्डप्पन और दूसरे सज्जन जो इस देश में रह कर देश की आजादी और सुरक्षा चाहते हैं, किसी विदेशी भाषा का समर्थन नहीं कर सकते। आज वह हिन्दी का विरोध करते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि जब अंग्रेज यहां पर राज्य करते थे, और वह विदेशी थे, तब उन्होंने अंग्रेजी का विरोध क्यों नहीं किया। मैं उन के सामने यह सवाल रख रहा हूं और उन से इस का जवाब चाहता हूं।

मैं डा० गोविन्द दास के उन विचारों का, जो उन्होंने भाषा के सम्बन्ध में रक्खे हैं, हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने महात्मा गांधी जी के विचारों को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विचारों को यहां रख कर एक बहुत बड़ा काम किया है।

एक माननीय सदस्य : यह विचार कांग्रेस के कहां हैं ?

श्री राम गोपाल शालवाले : कांग्रेस के प्रस्ताव हैं, उन के संविधान में है।

सब से पहले मैं दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध अपने विचार आप के सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि गृह-कार्य मंत्री जी उन पर विचार करेंगे। पिछले पचास वर्षों में दिल्ली व आस पास के क्षेत्रों में भारी पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। सन् 1911 में दिल्ली शहर की जनसंख्या 2 लाख 38 हजार थी और 1967 में वह 37 लाख हो गई, और आज विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि सन 1981 में वह बढ़ कर 67 लाख तक पहुंच जायेगी। दिल्ली की बढ़ती हुई जन-संख्या के कारण राजधानी में 11 नगरपालिकायें-नोटिफाइड एरिया कमेटी बना दी गई हैं और बिजली, यातायात जल प्रदाय के दिल्ली राज्य के अन्तर्गत 3 बोर्ड बना दिये गये हैं। यह स्थानीय संस्थायें 1956 तक कार्य करती रहीं, उस समय दिल्ली के जन-जीवन की गति धीमी थी। जन-संख्या की वृद्धि तथा औद्योगीकरण तथा सरकार की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण यह जरूरी था कि दिल्ली की नागरिक सुविधाओं के लिये बड़े स्तर पर प्रबन्ध किया जाय।

1967 में राजधानी की जनता ने केन्द्रीय सत्ता की ठीक नाक के नीचे कांग्रेस के 18 वर्ष पुराने मोह को त्याग कर एक दल को

[श्री राम गोपाल शालवाले]

सत्तारूढ़ करके उस पर जिम्मेदारी डाली कि दोहरे प्रशासन वाले प्रदेश में मिली जुली राजनीतिक व्यवस्था को सफल बना कर स्वस्थ लोकतन्त्र की स्थापना करें। इस परिवर्तन से पहले केन्द्रीय सरकार ने रेड्डी आयोग की स्थापना की थी। नगर निगम की कांग्रेस के पुराने और लम्बे शासनकाल में वित्तीय स्थिति कितनी शोचनीय हो गई थी इस पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने 1966 में रेड्डी आयोग नियुक्त किया था। उस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1967 के फरवरी मास में दिया जबकि आम चुनाव हो रहे थे। आयोग की मुख्य सिफारिशें ये थीं कि केन्द्र निगम की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए पांच करोड़ का ऋण दे और साथ ही निगम को दो करोड़ रुपये का अनुदान भी दे। किन्तु बीस फरवरी सन् 1967 को चुनाव का परिणाम प्रतिकूल निकलने से केन्द्रीय सरकार ने रेड्डी आयोग की सिफारिशों को वापिस ले लिया।

इसके पश्चात राजधानी के नागरिकों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा जन हित कार्यों में ठोस कदम उठाने पर रोक लगाने के लिए रेड्डी आयोग की सिफारिशों को ताक पर रख दिया और लोक सभा के कांग्रेसी सदस्य श्री आर. आर. मुरारका की अध्यक्षता में एक नया आयोग बिठाया। इसका मुख्य उद्देश्य जनता पर बड़े बड़े करों का बोझ डाल कर दिल्ली के सत्तारूढ़ दल को बदनाम करना था। इसी प्रकार के सुझाव मुरारका आयोग ने दिये हैं। किन्तु दिल्ली प्रशासन ने उलटा छोटे मकानों पर हाउस टैक्स घटा कर 11 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया। आयोग चाहता था कि गृह कर कम से कम 15 प्रतिशत कर दिया जाए और उसको 24 प्रतिशत तक ले जाया जाए। इस वर्ष निगमायुक्त ने कर बढ़ाने और नए कर लगाने की घोषणा अपने बजट में की थी। मुरारका आयोग ने पानी कर को कम से कम चार प्रतिशत, सफाई कर को ढाई प्रतिशत, गृह कर में पचास प्रतिशत की वृद्धि, चुंगी कर, साइकल कर, विज्ञापन कर, आय कर आदि कर बढ़ाने तथा कुछ नए कर जैसे शिक्षा कर, व्यवसाय कर, नौकरी कर, व्यापार रक लगाने की भी सिफारिशें की थीं। लेकिन नगर निगम तथा महानगर परिषद ने उन सिफारिशों को मानने से इन्कार कर दिया और अगर ऐसा न किया गया होता तो दिल्ली की जनता को दस गुना करों का शिकार होना पड़ता

केन्द्रीय सरकार ने निगम और प्रशासन की सहायता करने के बजाय, उनकी योजनाओं को स्वीकृति देने में भी आनाकानी की जिससे निगम को लाखों रुपये का नुकसान सहना पड़ा। प्रतिवर्ष ग्राम विकास के लिए आयोग ने कहा था कि 15 लाख रुपये निगम को देने चाहियें किन्तु केन्द्र इस पर खामोश है। आयोग की इस सिफारिश पर भी आचरण नहीं किया गया कि निगम क्षेत्र में केन्द्रीय सम्पत्ति की देखरेख का सम्पूर्ण खर्चा केन्द्र उठाये। इससे निगम को 35 लाख रुपये और मिलेंगे। भारत सरकार ने निगम के नौ करोड़ रुपये बकाया देने हैं और केन्द्र द्वारा संचालित नई दिल्ली नगरपालिका से निगम ने तीन करोड़ रुपये लेने हैं। यह बकाया धन यदि मिल जाए तो दिल्ली नगर निगम को कर बढ़ाने के बजाय जनता को राहत देने का अवसर मिल सकता है। इतना ही नहीं जो धन राशि पहले निगम को मिला करती थी वह भी काट ली गई है। बसों के लिए अस्सी लाख और पीने के पानी के लिए ढाई करोड़ रुपया देने के आश्वासन पूरे नहीं किये गये।

दिल्ली प्रशासन ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली जोकि भारत की राजधानी है, उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल, इसको बनाने के लिए चार सौ करोड़ रुपये की मांग की है और विकास की योजनायें केन्द्र को भेजी हैं। किन्तु योजना आयोग ने 155 करोड़ रुपये ही

स्वीकृत किये हैं । अब इसके अनुसार भी दिल्ली को इस वर्ष 31 करोड़ रुपये मिलने चाहियें । किन्तु दिये जा रहे हैं केवल 23 करोड़ 40 लाख रुपये । चालू वर्ष में बचत के 1 करोड़ रुपये की राशि भी प्रशासन को मिलनी चाहिये थी । यह एक करोड़ और अगले वर्ष के तीन करोड़ मिला कर 35 करोड़ मिलने चाहिये थें । किन्तु बारह करोड़ कम दिये जा रहे हैं । अब विचारणीय प्रश्न है कि राजधानी जहां संसार भर के राजनीतिज्ञ आते रहते हैं उसका विकास कैसे हो । अत मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रालय दलगत विचारों से ऊपर उठ कर वस्तु स्थिति पर विचार करे और दिल्ली प्रशासन की उचित मांगों को स्वीकार करके स्वस्थ परम्परा का संचालन करे ।

भूतपूर्व गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने गोहत्या बन्दी आन्दोलन के समय जो आश्वासन दिये थे, उन आश्वासनों को मैं चाहता हूँ कि पूरा किया जाए । उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में गोहत्या के सम्बन्ध में कानून नहीं बने हैं, केन्द्रीय सरकार अपने प्रभाव से काम ले कर सभी प्रान्तों में उत्तर प्रदेश जैसे कानून बनवा देगी । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है । उलटे गो हत्या बन्द करने के लिए जो सरकारी कमेटी बनाई गई थी उस में भी गतिरोध उत्पन्न हो गया है और तीन गैर सरकारी सदस्यों ने कमेटी के गलत कार्यक्रम के कारण त्यागपत्र दे दिये हैं । साथ ही 29 प्रतिष्ठित गवाहों ने गवाही देने से इन्कार कर दिया है । ऐसी अवस्था में उस कमेटी को तोड़ कर मेरी यह मांग है कि जो आश्वासन उस समय गृह मंत्री जी ने दिये थे गोरक्षा महाभियान समिति को, उनको पूरा करके सम्पूर्ण देश में गोहत्या को बन्द किया जाए ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिस पर आपको चाहिये कि आप मानवता के आधार पर विचार करें । स्वामी रामेश्वरानन्द जी को जो इसी सदन के सदस्य थे 85 अन्य व्यक्तियों के साथ तब गिरफ्तार किया गया था । यह निश्चित बात है कि उस समय पुलिस रिपोर्ट के अनुसार यह प्रकाश में आया था कि गोहत्या बन्दी आन्दोलन में प्रदर्शनकारियों ने कोई तोड़ फोड़ का काम नहीं किया था । लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया । आप देखें कि किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? उन बेचारों को किया गया जो दफ्तर जा रहे थे या कोई बाहर से आए थे । स्वामी रामेश्वरानन्द जी का कसूर यही था कि उन्होंने इतना ही कहा कि संसद में जा कर मंत्रियों को घेर लो, तब वे तुम्हारी बात मानेंगे । कृपा करके गृह मंत्री जी बतायें कि इस में कौनसी हिंसा की बात है जिस के कारण उनको गिरफ्तार किया गया था और तब से ले कर आज तीस महीने से उन पर मुकदमा चल रहा है और उनको बार बार अदालत में घसीटा जा रहा है । मैं कहना चाहता हूँ कि जिन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं वे जरूर छूट जायेंगे और उसी प्रकार से छूट जायेंगे जिस प्रकार कामराज की कोठी पर प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमे चलाये गये थे और वे अदालतों से साफ छूट गए थे । यह आपको शोभा नहीं देता है कि बार बार आप उनको अदालतों में घसीटें । तीस महीने उनको घसीटते हुए हो गए हैं । उन गरीब लोगों पर भी मुकदमे चलाये जा रहे हैं जो बाहर के हैं और जो बाहर से आने में असमर्थ हैं और किराया खर्च करके नहीं आ सकते हैं । मैं निवेदन करता हूँ कि इन मुकदमों को वापिस ले कर आप उदारता का परिचय दें और जनता की बात को मानें ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म निरपेक्ष राज्य मे सब को धर्म प्रचार करने का अधिकार हैं और मैं इसका विरोध नहीं करता । किन्तु गरीब वनवासियों और हरिजनों का जिस ढंग से बीमारी और गरीबी का लाभ उठा कर धर्म परिवर्तन किया जाता

[श्री राम गोपाल शालवाले]

है उस खतरनाक स्थिति के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम ने कहा था कि हरिजनों के धर्म परिवर्तन का यदि यह दौर चलता रहा तो पंद्रह बीस वर्ष में विदेशी दासता के पुनः दुर्दिन हमें देखने पड़ेंगे। उन्होंने इस पर चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था कि देश का नक्शा बदलने के पूरे प्रयत्न धर्म परिवर्तन के माध्यम से किये जा रहे हैं। नियोगी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। रेगे कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून पास कर दिया है। इन आयोगों ने विदेशी पादरियों की गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है। मैं निवेदन करता हूं कि इंडियन नैशनल चर्च के प्रधान फादर विलियम्ज ने भारत सरकार से विदेशी पादरियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी और सरकार को प्रतिवेदन दिया था कि धर्म प्रचार का अधिकार विदेशी मिशनरियों से ले कर इंडियन नैशनल चर्च के पादरियों को दिया जाए। किन्तु सरकार इस पर भी मौन है।

आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि आज पादरी फेरर भारत में आ गए हैं। वह जब बम्बई में थे तब महाराष्ट्र सरकार ने उनका बम्बई में टिकना, वहां रहना बन्द कर दिया था। बम्बई में किसी गाड़ी पर चढ़ने की भी इजाजत उनको नहीं थी। बम्बई में किसी को उनके साथ मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी थी। मैं हैरान हूं कि जिस पादरी फेरर को महाराष्ट्र की सरकार खतरनाक समझती थी, उसको केन्द्रीय सरकार ने आंध्र में बसने की और वहां प्रचार करने की सुविधा क्यों दी ?

अब मैं केवल एक बात कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा और वह काश्मीर के सम्बन्ध में। जब परमेश्वरी हाण्डू का प्रश्न उठा था, उस समय गृह मंत्री चव्हाण वहां गये थे और मैं भी उन की सेवा में उपस्थित हुआ था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि परमेश्वरी हाण्डू को किसी तीसरे पक्ष के पास रखा जायगा, हम न्याय करेंगे। लेकिन आज दुखी हृदय से कहता हूँ-आप अल्पसंख्यकों के हितों का नारा लगाते हैं, लेकिन काश्मीर में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर कितना अत्याचार हुआ है, उस का यह नमूना है। परमेश्वरी हाण्डू की 42 पेशियां होने के बावजूद भी उस को अदालत में पेश नहीं किया गया है। आपने कोहली कमीशन को बैठाया था, मैं जानना चाहता हूँ कि उस पर कितना रुपया खर्च हुआ, क्या उस का प्रतिवेदन आपको प्राप्त हो गया है। यदि प्राप्त हो गया है तो उसकी सिफारिशें क्या हैं, आप उसे सदन के टेबिल पर रखिये और यदि उस कमीशन ने सादिक सरकार की साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों को खोला है तो आपका कर्तव्य है कि आप काश्मीर के अल्पसंख्यकों के साथ भी वही व्यवहार करें जो दूसरों के साथ करना चाहते हैं।

श्री गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति जी, मैं आपका तहेदिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे यह मौका इनायत फरमाया कि मैं खास कर मुल्क में बढ़ते हुए ला-लेसनेस के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकूं। जो हालात बम्बई और आन्ध्र में पैदा हुए-हिन्दुस्तान की तकसीमे जदीद के सिलसिले में-उसकी तवारीख 1905 से शुरू होती है। 1905 में जब बंगाल के दो हिस्से हुए, तब कांग्रेस ने यह आवाज बुलन्द की थी कि एक जुबान बोलने वाले एक ही प्रदेश में रखे जायं और उसके टुकड़े न किये जायं। उसके बाद 1917 में, 1920 में, 1927 में और 1928 में इस किस्म के रेजोल्यूशन्ज एडाप्ट किये गये। 1938 में वर्धा कांग्रेस में यह निर्णय लिया गया कि आजादी के बाद अगर कांग्रेस इक्तदार में आई तो

हिन्दुस्तान की तकसीमे जदीद इन्सानी बुनियादों पर करेगी । 1945-46 के इलैक्शन में कांग्रेस ने अपने मेनीफेस्टो में इस बात को लेकर इलेक्शन-कोन्टेस्ट किया, लेकिन उस के एक साल बाद जब आजादी मिली तो पं० जवाहर लाल नेहरू ने 27 नवम्बर, 1947 को इसी सदन में कहा था कि बदले हुए हालात के मद्देनजर हम को यह चीज़ सोचनी चाहिये । इस के बाद धर कमीशन और जे. वी. पी. कमीशन बैठाये गये । उन्होंने यह कहा कि महज़ लोगों के विचार और लोगों की रजामन्दी से ही ऐसी चीजें अमल में लानी चाहियें । उस के बाद 1952 में नेहरू जी ने इस सदन में यह कहा कि ऐसी चीजों से हिन्दुस्तानी इस्तेहकाम और यकसानियत को नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिये । इस के बारे में राजाजी ने भी कहा है-कि यह एक ट्राइबल अफेयर है । सरदार पटेल के वियूज़ थे कि जिस हिन्दुस्तान को एक करने के लिये खून बहाया है, इस को डिसइन्टीग्रेट नहीं करना चाहिये । लेकिन इस के बर खिलाफ 1953 में आन्ध्र अमल में आया । उस के बाद विशाल आन्ध्र का मुतालबा चलता रहा और आन्ध्र प्रदेश के फोर्म होने के पहले हैदराबाद के मुताल्लिक एस०आर०सी० रिपोर्ट में जिन अल्फाज़ का इस्तेमाल किया गया है-मैं उन को आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

"Hyderabad was an integrated unit with common geo-political features and it presented a miniature real culture of India and be preserved as a model of other States."

काश कि यह बात मानी जाती, तो आज मुल्क के जो हालात हैं, वह न होते । लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और विशाल आन्ध्र के बारे में सोचा गया । हैदराबाद का यह मुतालबा था-हमारी स्टेट हर लिहाज से एक मौजूं स्टेट है, यहां भिन्न भिन्न जुबानों के बोलने वाले, भिन्न जगहों पर रहते हैं यहां इण्डिया का कल्चर है, इस लिये इस को न तोड़ा जाय । उनकी इकानामिक कन्सीड्रेशन्ज भी थीं, वायाविल्टी भी थी, आबादी के लिहाज से और मालिये के लिहाज से भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आन्ध्र में अगर हम को डम्प कर दिया जायगा तो जो एन्टरप्राइजिंग एरियाज हैं, व हम को कालोनी में तबदील कर देंगे । मैं उन अलफाज़ को भी आपको सुनाना चाहता हूं–

"The real fear of Telengana is that if they join Andhra they will be unequally placed in relation to the people of Andhra and in this partnership the major partner will deprive all the advantages immediately while Telengana itself may be converted into a colony by the enterprising coastal Andhra."

इस के बाद फज़लअली कमीशन ने कई दूसरी बातों पर गौर करते हुए कहा कि गो आन्ध्र का कायम होना डिज़ायरेबिल है, मगर उस में कुछ तबानियत हो और किसी को कुछ शुब्हा न हो । इस के बाद तेलंगाना लीडर्स से गुफ्तगु हुई और नतीजे के तौर पर एक जेन्टिलमैन एग्रीमेन्ट हुआ इस जेन्टिलमैन एग्रीमेन्ट की इस चीज की मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि उस में यह एक प्रीकन्डीशन थी कि जिसकी बिना पर आन्ध्रप्रदेश का कयाम अमल में आया– जिस तरह से यू०एन०ओ० में व्हीटो पावर न होती तो आज यू०एन०ओ० न होता, उसी तरस से अगर यह प्रीकन्डीशन न होती तो आन्ध्र प्रदेश फार्म न होता । फजलअली कमीशन ने उस वक्त जो कुछ कहा था वह आज लफ्ज़-ब-लफ्ज़ सही साबित हुआ है । आज हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है । अब अगर यह कहा जाय कि वहां के पब्लिक के नुमाइन्दे क्या करते थे, उन्होंने सामने आकर इस चीज़ को क्यों नहीं उठाया । उन्होंने उठाया, लेकिन जब वह कामयाब नहीं हुए, तो आम तौर पर यह इन्सानी फितरत होती है कि वह खुद-बखुद

[श्री गंगा रेड्डी]

उभर कर सामने आ जाती है। अब लोग मुतालबा करते हैं, एजीटेशन करते हैं और आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है कि जब तक लोग एजीटेशन न करें, तोड़फोड़ न करें, उस चीज़ की तरफ़ निगाह नहीं जाती। यही आन्ध्र में भी हुआ।

लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आन्ध्र में कोई ऐसा वायलेंस नहीं हुआ, जिसको शिव सेना से कम्पेअर किया जाय। आन्ध्र का एजीटेशन कम्पेरेटिवली बिलकुल पीसफुल था। आज भी लाबी में या बाहर प्रेस के लोग हम से पूछते हैं कि आप पब्लिक के नुमाइन्दे हैं, आपकी रिजनल कमेटी क्या करती रही, आपके एम०पीज० और एम०एल० एज० क्या करते रहे। मैं बड़ी नम्रता से मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ–

नाहक यह तोहमत है हम मजबूरों पर
जो चाहें आप करें, अब्स हमें बदनाम किया।

जब आप पावर में हैं तो जो चाहते हैं, हम से मनवा लेते हैं। जब जिम्मेदारी की बात आती है तो कहते हैं कि तुम जिम्मेदार हो, तुमने क्या किया। आप अगर रिजनल कमेटी की रिपोर्ट पर नजर डालें तो आपको वाज़ा होगा कि हर वक्त बिना किसी हिचकिचाहट के हम उन तमाम चीजों को उनकी नजर में लाते रहे, यह चीज़ गलत है, यह इस तरह से होनी चाहिये, मगर उन पर कभी अमल नहीं हुआ और आप जानते हैं एक मसल मशहूर है कि हमेशा मजबूत आदमी कमजोर आदमी को दबा देता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वही चीज़ हमारे साथ हुई। अगर हम कोई दिल की आवाज निकालते तो हमें कहा जाता कि तुम गलत कह रहे हो। मैं यह कहता हूं कि हमें ऐसा सोचने का मौका ही क्यों दिया गया, क्यों हमारे साथ नाइन्साफी की गई। हमारे 6 हजार मुलाज़मीन के साथ अन्याय हुआ है, उन का बहुत नुकसान हुआ है, जो मल्स उस वक्त नौकरी की उम्र में थे, आज वे एज-बार हो गये हैं–इस की तलाफी कैसे होगी? ललित कुमार की रिपोर्ट आई है, उस पर चर्चा हो रही है कि वह सही नहीं है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह अर्ज जरूर करना चाहता हूँ कि अगर वरवक्त खर्च होता तो आज तेलंगाना बैकवर्ड न होता। वहां पर जितने वसायल हैं उन को अगर प्रापरली डवेलप किया जाता तो आज आन्ध्र की बदकिस्मती ऐसी न होती। आन्ध्र जिसको अन्नदाता कहते हैं, अगर आप उस में घुम कर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां कितने जिले ऐसे हैं जहां वसायल रहते हुए भी ध्यान नहीं दिया गया और उसकी यह दुर्दशा हुई।

मैं अपने कुलीग्स को बताना चाहता हूं कि आन्ध्र बनने के पहले हैदराबाद एक ऐसी स्टेट थी कि जहां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थीं, घरों में पर्दा करती थी, लेकिन आज वे औरतें घर से बाहर निकल कर भूख-हड़ताल कर रही हैं। क्या कोई बाप पसन्द करेगा कि अपनी बेटी को बाहर बेपर्दा होने दे– आप को देखना चाहिये कि क्या तकलीफें हैं, जिनकी वजह से वह बाहर निकलने को मजबूर हुईं और उन को एजीटेशन करना पड़ा। मेरे किसी दोस्त ने कहा कि वहां पुलिसमैन पर अण्डे फेंके गये, टमाटर फेंके गये–मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप उन की मजबूरी का पता लगाइये कि ऐसा क्यों हुआ, उनकी बीमारी का पता लगाइये और उस के बाद दवा दीजिये। ऐसा न कहिये कि वह क्यों शोर मचाते हैं, यह बीमारी तक एप्रोच करने का गलत तरीका है।

मैं एक चीज पूछना चाहता हूं–जब 9 जिलों की आबादी डेढ़ करोड़ है और इतना बड़ा एजीटेशन चल रहा है, क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां पर कितने कत्ल हुए, कितनी औरतों की अस्मत लूटी गई, कितने गोली के निशान बनाये गये, कितने लोगों की जानें

गईं । महज़ लोगों की अटेन्शन को डायवर्ट करने के लिये ऐसी बातें कही जाती हैं । मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कोई भी ऐसी बदइखलाकी या ऐसी चीज़ नहीं हुई है । मैं यह मानता हूँ कि जब इतना बड़ा कोई आन्दोलन होता है तो थोड़े एन्टीसोशल एलीमेन्ट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ऐसी हरकतें कर बैठते हैं ।

बहुत से लोगों ने हमारे चीफ़ मिनिस्टर को दोष दिया है और कहते हैं कि वह इस्तीफा दें । मैं तो यह कहूंगा कि हमारे प्रदेश में कोई और आदमी ऐसा हिम्मतवाला नहीं है जो कहे कि चलिये, ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब, आप हट जाइये, मुझे मौका दीजिये, मैं हालात को सुधार सकता हूँ-ऐसा कोई नहीं कह सकता । अगर वह यह कहेगा तो दूसरे आदमी नाराज़ होंगे । यह बात सही है कि सभी को खुश करना बड़ा मुश्किल होता है । लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस खूबी के साथ इस सिचुएशन को सम्हाल रहे थे उससे अच्छा हो नहीं सकता । पर बदकिस्मती की बात यह है कि जो मतालिबात सन् 56 में दिए गए थे वही मांग रहे थे और आन्ध्र के भाई यह समझ बैठे कि हमको लूटना चाहते हैं । उन्होंने काउन्टर एजिटेशन शुरू किया बजाये इसके कि वे चीफ मिनिस्टर के हाथ और मजबूत करते और तेलंगाना वालों के दिलों में यह उम्मीद पैदा करते कि हम आपके साथ हैं, आप चाहते हैं तो थोड़ा और ले लें । जब बड़ा भाई माना तब फिर इतना जेनरस होना ही चाहिये था । वे थोड़ा दिलदार होते और कहते कि जो नुकसान हुआ उसके लिए और ज्यादा ले लो । लेकिन बजाय इसके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करने के लिए कदम उठाये ।

एक बात और है । हमारे दोस्तों ने यहां तक किया कि रेफ्यूजी कैम्प्स लगा दिए और उनको इस तरह से आर्गेनाइज़ किया जैसे कि पहले पाकिस्तान से आये हुए रेफ्यूजीज़ को हिन्दुस्तान में कैम्पस में रखा गया था । उसी पैमाने पर उन कैम्प्स को अरेंज किया गया विजयवाड़ा वगैरह में ताकि उनकी गम्भीरता मालूम हो सके । मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 56 का जो मुआहिदा था उसी को वे चाहते थे, कोई नयी चीज नहीं चाहते थे, फिर क्या जरूरत थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की । मैं समझता हूँ कि हरएक का यह फर्ज है कि उनकी जो तकलीफ है उसको हल करने का काम करे । लेकिन इस मामले में जितने हमारे लीडरान हैं या जो दूसरे लोग हैं, सभी कन्फ्यूज्ड हैं कि इसका हल कैसे होगा । लीडर्स और पब्लिक के नुमाइन्दों की राय के बारे में आपने पढ़ा होगा, एम० एल० एज़० और एम० पीज० भी अपने नये नये विचार दे रहे हैं, एक विचार के कोई भी नहीं हैं । मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि ऐसी स्टेज आयेगी जिसमें ऐसी लालेसनेस होगी जिसको आप बन्दूक की गोलियों और पुलिस की लाठियों से सम्हाल नहीं सकेंगे । एक ह्यू मन प्राब्लम समझकर ही इसे आपको टैकिल करना होगा । जिस एरिया को आप बैकवर्ड समझते हैं उसकी तरक्की करने का रास्ता आपको निकालना चाहिये । इस मामले में मैं सेन्टर को भी दोष देता हूं । रीजनल इम्बैलेसेज़ को दूर करने के लिए सेन्टर को इमदाद करनी चाहिए । आज आन्ध्र प्रदेश की इतनी आमदनी नहीं है कि जो सरप्लस खर्च किया गया उसको वह पूरा कर सके और बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करने के लिए उतना पैसा खर्च कर सके । इसलिए सेन्टर को चाहिये माली तौर पर, इन्तजामी तौर पर जितनी सहायता की जरूरत है उसको पूरा करे ।

मुझे थोड़ा सा मौका और दें क्योंकि यह मेरी रियासत का मामला है और मैं इसको अच्छी तरह से लोगों के सामने रख सकता हूं । तो मैं यह कह रहा था कि इसके बारे में नये नये विचार आ रहे हैं, किसी के दिमाग में

[श्री गंगा रेड्डी]

क्लियर थिंकिंग नहीं हैं, कोई भी मसले को सुलझाने वाला नहीं है। इसकी वजह से अवाम और लीडर्स के बीच गल्फ और बढ़ गया है। इस समस्या को कोई समझना ही नहीं चाहता है और न कोई इस स्थिति में है कि इसको कन्ट्रोल कर सके। मैं चाहूँगा कि इस समस्या के भड़कने से पहले ही इसका इन्तजाम किया जाये वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी जिसको फिर सम्हालना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मेरी अर्ज है कि जहांतक सरप्लस की बात है या मुलाजिमत की बात है जितना भी पैसा देने की बात है, उसके लिए कागज पर लिखने से या प्रेस स्टेटमेन्ट देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है बल्कि अमली तौर पर यह बताना होगा कि यह हम करेंगे। काफी अरसा गुजर चुका है, गवर्नर एड्रेस में बताया गया, असेम्बली में वोट आन एकाउन्ट के वक्त बताया गया और पार्टी मीटिंग में भी हुआ, अब तो इसके लिए शाक ट्रीटमेन्ट की जरूरत है। पैसा फौरन रिलीज किया जाना चाहिये क्योंकि बरसात आने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 9 करोड़ दिया गया है वह भी खर्च नहीं हो पायेगा, उसका बेश्तर हिस्सा लैप्स हो जायेगा। फिर यह बात कही जायेगी कि हमने पैसा दिया लेकिन आप खर्च नहीं कर पाये। मुझे इस बात का तजुर्बा है कि अगर 9 करोड़ खर्च करना है तो 25 करोड़ का काम लेना होगा। और अगर वक्त पर पैसा रिलीज होगा तभी वह काम हो पायेगा। आजकल वह रिलीज नहीं हुआ है और न कोई काम ही देखा गया है, न खर्चे के लिए कोई आर्डर्स ही दिए गए हैं। अगर बरसात में रिलीज होगा तो उसके बाद मार्च में माली साल खत्म हो जायेगा और वह पैसा भी लैप्स हो जायेगा। लोगों में जो डिसकन्टेन्टमेन्ट है वह उसी तरह से बरकरार रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का फर्ज है और साथ ही साथ अपोजीशन के लीडर्स का और हर भाई का फर्ज है कि वे बैठ कर इस मसले पर गौर करें इसमें एक दूसरे पर तोहमत लगाने या जिम्मेदारी आयद करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर इसका हल वह नहीं सोचते हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा :

न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दोस्तां वालो
तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में।

[شری گنگا ریڈی (عادل آباد) سبھاپتی جی میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں خاصکر ملک میں بڑھتی ہوئی Lawlessness افراتفری کے بارے میں میں اپنے وچار بیان کر سکوں جو بھی اور اندھرا میں پیدا ہوئے ہندوستان کی تقسیم جدید لسانی بنیادوں کی تاریخ ۱۹۰۵ سے شروع ہوئی ہے جبکہ بنگال کی تقسیم ہوئی تب کانگریس نے یہ آواز بلند کی تھی کہ ایک زبان کے بولنے والے ایک ہی پردیش میں رکھے جائیں اور اس کے ٹکڑے نہ کیئے جائیں —

اس کے بعد ۱۹۱۷ میں-۱۹۲۰ میں ۱۹۲۷ اور ۱۹۲۸ میں اس قسم Resolution adopt کیئے گئے-۱۹۳۸ میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے وردھا میں یہ طے کر لیا کہ آزادی کے بعد اگر کانگریس برسراقتدار آئے-تو ہندوستان کی تقسیم جدید لسانی بنیادوں پر کریگی-۱۹۴۵-۴۶ کے الیکشن میں کانگریس نے اپنے Election Menefesto میں اسی بات کو لیکر الیکشن لڑا لیکن اسکے ایک ہی سال بعد جب آزادی ملی تو پنڈت نہرو نے

۲۷-۱۱-۴۷ کو اسی سدن میں کہا تھا کہ بدلے ہوے حالات کے مدنظر ہم کو یہ چیزیں پواچھنی چاہئیے-اس کے بعد دھار کمیٹی-.J.V.P کمیٹی کی تقریر ہوئی- انھوں نے یہ کہا کہ محض لوگوں کے وچار اور رضامندی سے یہ چیزیں عمل میں لائی جائیں-اس کے بعد ۱۹۵۲ میں پنڈت نہرو نے اسی سدن میں یہ بھی کہا تھا کہ ایسی چیزوں کے عمل آوری سے ہندوستان کے انتظام اور یکسالمیت کو نقصان پہنچے گا-لہاذا ایسی چیزوں کو ابھی سوچا نہیں جائے اس کے بارے میں راجگوپال آچاریہ نے کہا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم انسانی بنیادوں پر سوچنا ہی ایک Tribal affair ہے-سردار ولبھ بھائی پٹیل کے وچار تھے کہ جس ہندوستان کو ایک کرنے میں جو لاکھوں کا نقصان بھایا گیا اس کو Disintegrate نہیں کرنا چاہئیے لیکن اس کے برخلاف اندھرا کا خیال ۱۹۵۳ میں عمل آیا اس کے بعد وشال اندھرا کا مطالبہ جاری رہا اور آندھرا پردیش کے قیام سے پہلے حیدرآباد کے متعلق .S. R. C رپورٹ میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے میں ان کو پڑھکر سنانا چاہتا ہوں-

"Hyderabad was an integrated unit with common geopolitical features and it preserved a miniature real culture of India and be preserved as a model for other states"

کاش کہ یہ بات مانی جاتی تو آج ملک کے جو حالات ہیں وہ نہ ہوتے لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا-اور قیام وشال آندھرا کے بارے میں سوچا گیا-

حیدرآباد کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ ریاست ہر لحاظ سے ایک موزون ریاست ہے یہاں ہر بھن بھن جاتی اور زبان کے بولنے والے بستے ہیں-یہاں کا culture صحیح طور پر ہندستان کا culture ہے اس سے اسکے ٹکڑے نہ کئے جائیں اس کی آبادی- مالیتی اور ہر لحاظ سے یہ ایک Voible unit ہے-

حیدرآباد والوں نے یہ Protest (اعتراز) کیا کہ اگر ہم کو آندھرا میں ضم کر دیا جائے تو جو enterprising Andhra والے ہیں وہ ہم کو Colony (کالونی) میں تبدیل کردینگے میں .S. R. C کے یہ الفاظ بھی سنانا چاہتا ہوں-

"The real fear of Telengana is that if they Join Andhra, they will be unequally placed in relation to the people of Andhra and in this partnership the major partner wil deprive all the advantages immediately while Telengana itself may be converted into a colony by the enterprising coastal Andhra".

اس کے بعد فضل علی کمیشن .S.R.C نے کئی دوسری باتوں پر غور کرتے ہوے کہا کہ گو آندھرا پردیش کا قیام Desirable ہے مگر اس کے لئے کچھ تحفظات Guarantee ہوتا کہ تلنگانا والوں کو شبہ نہ ہو اس کے بعد تلنگانا اور آندھرا لیڈرس کی گفتگو ہوئی اور نتیجہ کے طور پر ایک معاہدہ ہوا جسکو Gentlmen's agreement کہتے ہیں میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاہدہ آندھرا پردیش کے قیام کے لئے ایک (شرط) Precondition تھی جنکے بنا پر آندھرا پردیش کا قیام عمل میں

سے آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔

"ناحق یہ تہمت ہے ہم مجبوروں پر
جو چاہے سو آپ کریں عبث ہمیں
بدنام کیا"

جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم سے منوالیتے ہیں اور جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو کہتے ہو کہ تم ذمہ دار ہو تم نے کیا کیا۔ آپ اگر Regional Committee کے رپورٹس پر نظر ڈالیں تو آپ پر یہ واضح ہو جائیگا کہ ہروقت بنا ہچکچاہٹ کے ہم نے ان تمام چیزوں کو ان کے توجہ میں لائے کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور وہ اس طرح سے ہونی چاہئے مگر ان پر کبھی عمل نہیں ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مثل مشہور ہے کہ ہمیشہ مضبوط آدمی کمزور آدمی کو دبا دیتا ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے وہی ہمارے ساتھ ہوا۔ جب ہم کبھی دل کی آواز نکالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو میں کہوں گا کہ ہمیں ایسا سوچنے اور کہنے کا موقع ہی کیوں دیا گیا۔ کیوں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہمارے تقریباً ۶۰۰۰ ملازمین employees کے ساتھ انیائے (ناانصافی) ہوئی ان کا وہ نقصان ہوا ہے جسکی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اسوقت نوکری کے اہل تھا مگر وہ agebar ہوگیا۔

کمارللت (Kumar Lalit) کی رپورٹ آئی ہے اس پر چرچا ہورہی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا مگر یہ عرض کر

[شری گنگا ریڈی]

آیا۔ جس طرح سے کہ U. N. O. میں Veto-power نہ مانی جاتی تو U. N. O. کا قیام نہ ہوتا اس طرح سے یہ Precondition نہ ہوتی تو آندھرا پردیش قایم نہ ہوتا۔

فضل علی کمیشن نے اس وقت جو کچھ کہا تھا آج وہ لفظ بہ لفظ صحیح ثابت ہوا اور ہم کو آج یہ ماننا پڑیگا کہ ہمارے ساتھ بھاری انیائے (ناانصافی) ہوا اور ہمارا بھاری نقصان ہوا۔ اب یہ کہا جائے تو تلنگانا کے عوامی نمائندے اب تک کیا کرتے رہے۔ انھوں نے ہر وقت سامنے آکر اس مسلہ کو کیوں نہیں اٹھایا اس مسلہ کو انھوں نے کئی بار اٹھایا مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے عام طور پر ایسا ہوتا ہی ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب ناانصافی ہوتی ہے تو جذبات خود بہ خود اٹھکر سامنے آجاتے ہیں۔ اور لوگ agitation کرتے ہیں۔ آجکل ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ جبتک لوگ agitation نہ کریں توڑ پھوڑ نہ کریں نہ اس چیزوں کی طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی ایسا ہی آندھرا میں ہوا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آندھرا میں کوئی ایسا Voilence نہیں ہوا جس کو بمبئی کے شیو سینا سے مقابلہ کیا جائے آندھرا کا agitation مقابلتاً Peaceful تھا آج بھی lobby میں اور دوسرے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کے پبلک کے نمایندے اور آپکی Regional Committee کیا کرتے رہی آپ کے M-Ps اور M.L.As کیا کرتے رہیں میں بڑی امرتا (ادب)

دینا چاہتا ہوں کہ اگر بروقت یہ رقم تلنگانا میں خرچ ہوتی تو آج تلنگانا Backward نہیں ہوتا اور وہاں پر جتنے وسائل ہیں اگر انکو Properly develop کیا جاتا تو اس علاقہ کی ایسی درگتی نہیں ہوتی-آندھرا جس کو ان داتا کہتے ہیں اگر اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کتنے ضلع ایسے ہیں کہ جہاں ہر وسائل کے رہتے ہوئے بھی ان کے Development کا خیال نہیں کیا گیا اور اس کی یہ دردشا ہوئی-

میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد ایک ایسی ریاست تھی جہاں عورتیں پردا کرتی اور گھر سے باہر نہیں آتیں-لیکن آج وہی عورتیں گھر سے باہر آکر بھوک ہڑتال کررہی ہیں کیا کوئی باپ یہ پسند کریگا کہ اس کی بچیوں کو بےپردہ ہوکر ایسی ہڑتال کرانے دیں-مگر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو کیا تکلیف ہے جس کی وجہہ سے وہ باہر نکلنے کے لئے مجبور ہوئیں اور ان کو احتجام agitation کرنا پڑ رہا ہے میرے کسی دوست نے یہ کہا کہ وہاں پر سینٹر کے وزرا پر انڈے اور ٹماٹر پھینکے گئے میں آپ سے یہ عرض کرونگا کہ آپ ان کی تکلیف اور مجبوریوں کا پتہ لگائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کی بیماری کا پتا لگا کر اس بیماری کی دوا دیجئے ایسا نہ کہیئے کہ وہ کیوں شور مچاتا ہے اور تڑپتا ہے ورنہ یہ بیماری کے علاج کا غلط طریقہ ہوگا-میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ۹ ضلع کے آبادی ۱½ کروڑ کی ہو جہاں پر اتنا بڑا agitation چل رہا ہوگیا گرہ منتری جی Home Minister یہ بتائنگے کہ وہاں پر کتنے قتل ہوئے کتنی عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں کتنے لوگ گولی کے نشانے بنے اور کتنے لوگوں کی جانیں گئیں-میں یقین کے ساتھ کہونگا کوئی ایسی خطرناک حالت نہیں ہوئی محض لوگوں کو متاثر کرنیکے لئے ایسی باتیں کہیں جاتیں ہیں-جہاں کہ ایسا بڑا آندولن ہوتا ہے تو تھوڑے بہت Unsocial element ایسے موقع سے فائدہ اٹھاکر کچھ غلط حرکتیں کر بیٹھتے ہیں-

بہت سے لوگوں نے ہمارے چیف منسٹر کو دوش دیا اور کہتے ہیں کہ وہ فوری مستعفی ہوجائیں میں یہ کہونگا کہ اب وہاں پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ چلئے برہمانند ریڈی صاحب آپ مستعفی ہو میں حالات کو بالکل درست کردونگا آج کے حالات میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا اگر ایسا کریگا تو دوسرے حصوں سے اسکی مخالفت ہوگی یہ سچ ہے کہ ایک شخص ہر ایک کو خوش نہیں کرسکتا-

میں یہ کہونگا کہ چیف منسٹر نے شروع میں جس خوبی کے ساتھ situation کو سنبھال رکھے تھے اس سے اچھا ممکن نہیں تھا مگر بدقسمتی کی بات جبکہ ہمیں وہی نشان Guarntees مانگ رہے تھے جو ۱۹۵۶ میں دیے گئے تھے مگر ہمارے آندھرا کے بھائی یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ان کو لوٹنا چاہتے ہیں-انھوں نے غیر ضروری Counter agitation شروع کیا بجائے چیف منسٹر کے ہاتھ مضبوط کرنے اور

(شری گنگا ریڈی)

تلنگانا والوں کے دلوں میں یہ یقین پیدا کرتے کہ ھم سب تمہارے ساتھ ھیں آپ اپنا حصہ ھی میں اگر چاھیں تو تھوڑا بہت زیادہ بھی لے لو تو ایسا نہیں ھوتا-جب ھم نے انکو اپنا بڑا بھائی مانا تو انکو Generous ھونا تھا اگر وہ تھوڑے سے بہت دلدار ھوتے اور کہتے کہ جو نقصان ھوا اس کی تلافی ھی نہیں بلکہ زیادہ لے لو ایسا کرنے کے بجائے انھوں نے معاملہ کو سنگین بنا دیا اور انھوں نے یہاں تک کیا کہ انھوں نے Refugee Camps وغیرہ کھولے اور ان کو ایسے Organise کیا جیسے حکومت ھند نے پاکستان کے Refugees کے لئے کیا تھا-وجہ وارڈ وغیرہ ھیں ایسا ھوتا کہ مسئلہ کی گہرائی معلوم ھو-میں آپ کو یہ بتانا چاھتا ھوں کہ ۱۹۵۶ کا معاھدہ تھا ھم اس کی عمل آزادی چاھتے تھے اور کوئی نئی بات نہیں چاھتے تھے پھر آندھرا والوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ Supreme Court, High court کے دروازے کھٹکھٹاتے-

میں سمجھتا ھوں کہ یہ ھر ایک کا فرض ھے کہ تلنگانا والوں کی جو تکلیف ھے اس کے حل کا طریقہ سوچے لیکن اس مسئلہ میں جتنے ھمارے لیڈر ھیں وہ سب کے سب Confused ھیں کہ اس کا حل کیسے ھو-لیڈر MLAs-MPs کی رائے میں نئے نئے وچار ھیں میں آپ کو بتانا چاھتا ھوں کہ اگر اس کا حل فوری نہ نکالا جائے تو ایسی حالت ھونے والی ھے جس کو آپ بندوق کی گولیوں اور پولس کی لاٹھیوں سے اسکو نہیں سنبھال سکیں گے-میں اس معاملے میں سنٹرل گورنمنٹ کو دوش دیتا ھوں- دیش میں Regional Imbalances کو دور کرنیکے لئے سنٹرل گونمینٹ کو امداد دینی چاھیئے-

آج آندھرا کی اتنی آمدنی نہیں ھے کہ جو تلنگانا کے Surpluses آندھرا میں خرچ کرسکے وہ واپس کرسکے اس لئے سنٹر کو چاھئے کہ آندھرا کو مالی طور پر انتظامی طور پر جتنی امداد ھو فوری دیں-سبھاپتی جی مجھے کچھ اور وقت دیجئے چونکہ یہ میری ریاست کا مسئلہ ھے میں وھاں کے حالات اس سدن کے سامنے رکھنا چاھتا ھوں-

تلنگانا کے بارے میں نئے نئے وچار آرھے ھیں کسی کے دماغ میں اس بارے میں Clear thinking نہیں ھے کوئی ٹھوس اقدام لیکر اسکو حل کرنا ھی چاھئے- اس کی وجہ سے آج اندھرا پردیش میں عوامی نمائندوں میں اور عوام بھی ایک (Gulf)خلا پیدا ھو گیا ھے اور ربط باقی نہیں ھے اس مسئلہ کو سنجیدگی سے کوئی سلجھانا نہیں چاھتا اور اگر اس معاملے کو فوری حل نہ جائے تو یہ مسئلہ بڑھیگا اور اس سے قبل ھی اس کا موزوں انتظام ھوجانا چاھئے ورنہ ھمیں پچھتانا پڑے گا کہ ایسی گمبھیر استھتی (حالت) پیدا ھوجائیگی کہ جس کو سنبھالنا بالکل مشکل ھوجائیگا- اس لئے میری عرض ھے کہ جہاں تک کہ Safeguards کی عمل آوری ھے-ملازمین

کا مسلہ ہو کہ Surpluses کا کاغذ پر لکھنے سے یا Press statements دینے سے اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اقدامات کئے جائیں اب تک کافی عرصہ گذرچکا گورنر ایڈریس میں اس بارے میں بتایا گیا اسمبلی میں اس بارے میں اعلان کیا گیا اور کانگریس پارٹی میں اسکا ذکر کے باہر آیا مگر ایسے عملیات سے کچھ ہونے والا نہیں اس کے لئے اب تو Shock treatment کی ضرورت ہے Supluses فوری Release کیتے جائیں چونکہ برسات آنے والی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ۹ کروڑ دئیے گئے ہیں وہ خرچ ہو نہیں پائگا اس کا بیشتر حصہ lapse ہو جائیگا پھر یہ بات کہی جائگی کہ ہمنے پیسہ دیا لیکن آپ خرچ نہیں کرپائے مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ اگر ۹ کروڑ خرچ کرتے ہیں تو کم از کم ۲۵ کروڑ کا کام ہاتھ میں لیں اور رقم بر وقت Release ہو ابتک نہ ہی کام شروع ہوئے نہ ہی رقم Release ہوئی اگر برسات میں رقم Release ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا اور مارچ ختم پر رقم lapse ہو جائگی اور لوگوں میں جو Discontent ہے وہ جوں کہ توں برقرار رہیگی-

میں سمجھتا ہوں کہ سنٹر گورنمینٹ اور Oposition leaders کا فرض ہے کہ وہ سب بیٹھکر اس مسلہ پر غور کریں اور اس کا حل نکالیں ایک دوسرے پر تہمت لگانے یا ذمہداری عائد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اگر اس کا حل فوری نہ نکالا گیا تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑیگا-

نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندوستان والو

تمہاری داستاں تک — نہ بھی ہوگی داستانوں میں]

श्री निहाल सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदय, मैं इस मांग का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि दो ढ़ाई साल के अन्दर गृह मन्त्रालय ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। लगातार खराबियों पर खराबियां बढ़ती गई हैं। दो साल के अन्दर विद्यार्थियों की हड़ताल इतनी उच्चतम सीमा पर हुई कि सरकार ने विश्व-विद्यालयों की स्वायत्तता को नष्ट करके वहां पर पुलिस और पी० ए० सी० का अखाड़ा बना दिया। शिक्षकों, गुरुजनों की हड़ताल अपनी रोजी रोटी के लिए इतनी तेज बढ़ी कि दो वर्ष के अन्दर गुरुजन यूनिवर्सिटीज़ में न जाकर जेलों की हवा खाने लगे।

इसके साथ-साथ आश्चर्य की बात है कि हिन्दुस्तान इतना पिछड़ा हुआ देश है जहां पर इन्जीनियर्स के द्वारा तरक्की करने के लिए इतने भू-भाग खाली हैं, उन्नति के करने इतने जरिए हैं, फिर भी इस देश के इन्जीनियर्स इस सर-कार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तरक्की करने का कोई स्थान नहीं रह गया है, इन्जीनियर्स बेकार होने लगे हैं। इसी के साथ साथ पुलिस के द्वारा भी अपनी रोजी रोटी के लिए प्रदर्शन होने लगे। पुलिस इसलिए प्रदर्शन करती है कि उसको भरपेट खाना नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार का नाम बहुत लिया जाता है लेकिन भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से कराया जाता है। सरकार का रवैया ही ऐसा है जिसके कारण भ्रष्टाचार में इतनी बढ़ोत्तरी हो रही है। जब पुलिस का नौजवान जाड़े की रात्रि में पहरा देता है और उसके बाद जब घर आकर देखता है कि उसके बच्चे खाने के बिना बिलबिला रहे हैं, जाड़े के मौसम में उसके बच्चों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है

[श्री निहाल सिंह]

तो फिर दीवाल पर लिखी हुई लाइन को, कि घूस लेना पाप है, वह सहन नहीं कर सकता है और घूस लेने के लिए बाध्य हो जाता है। ज्यों-ज्यों इस देश में पुलिस की संख्या बढ़ती गई है त्यों-त्यों इस देश में अपराधों की संख्या बढ़ती गई है। पुलिस की संख्या ......

15 57 hrs.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

अपराधों को रोक नहीं सकती है। पुलिस की दशा सुधारने से भ्रष्टाचार मिट सकता है और घूसखोरी मिट सकती है लेकिन सरकार का ध्यान कभी भी उनकी दशा सुधारने की तरफ नहीं गया बल्कि उनकी बढ़ोतरी की तरफ ही गया है। सरकार तो यही चाहती थी कि एक ऐसी पलटन तैयार हो जाये जोकि वक्त बे वक्त सरकार को काम देती रहे लेकिन नतीजा उलटा ही होता रहा। गृह मन्त्री का घर घेरा जाता रहा, पुलिस के प्रदर्शन होते रहे। दो ढ़ाई वर्षों का नतीजा यही रहा।

इसी के साथ-साथ साम्प्रदायिकता का इतना उभाड़ हुआ कि जिसकी कहानी कही नहीं जा सकती है। अभी तक तो हिन्दू मुसलमानों के बीच में ही साम्प्रदायिकता का उभाड़ होता था लेकिन इस चुनाव के दर्मियान हमने देखा कि ऊंची जाति और छोटी जाति के दो वर्ग तैयार हो गये। छोटी जातियां सोचती थीं कि हम संख्या बल में अधिक हैं, हम सरकार पर हावी हों और ऊंची जातियां सोचती थीं कि बुद्धी बल तो हमारे पास है, हम उस पर कब्जा करें। अब ये दो वर्ग खुलकर इस देश में सामने आये हैं। छोटी जाति और बड़ी जाति में कितना संघर्ष हुआ है, इस सम्बन्ध में मैं जहां से जीत कर आया हूं चन्दौली से, जहां से कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लड़े थे, वहां का मैंने जिक्र भी किया था कि जिन-जिन पोलिंग स्टेशन्स पर हरिजनों को वोट देने नहीं दिया गया, उन्हीं पोलिंग स्टेशन्स पर सबसे अधिक वोट पोल हुए हैं। यह पुलिस की करामात और कांग्रेस अध्यक्ष की करामात थी कि सरकारी नौकरों को मिला जुला कर वोट दिलाये गये और मूवेबिल वोट दिलाये गये, जो एक ही वोट कई स्थानों पर वोट देता था और सरकारी तन्त्र उन से मिला हुआ था। कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो निर्दोष था। निगुरा पोलिंग स्टेशन पर पुलिस ने एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एजेन्ट को जबरदस्ती पटक दिया और पुलिस के एस० एस० पी० ने उस के नीचे से एक जाली पिस्तौल उठाया और कहा कि यह पिस्तौल इस के हाथ में था, और उस को जेल भेज दिया। इस तरीके से वहां का चुनाव जीता गया है। कारण क्या था? कारण यह था कि वहां जो दूसरा कैंडीडेट था वह हरिजन था और उस का दूसरा नम्बर था। अगर स्वतन्त्र वोट कराया गया होता तो शायद जिस तरह से 1967 के चुनाव में कमलापति जी हारे थे उसी तरह से इस चुनाव में भी हार गये होते। भ्रष्टाचार का यह सब से बड़ा नमूना इस दो वर्ष की सरकार में आया है। गोलियों का तांता इतना तेज चला है कि जिस की गणना नहीं की जा सकती है।

16 hrs.

गवर्नर स्वतन्त्र तो थे ही अब वह स्वच्छन्द भी हो गये। जो भी सरकार अल्पमत में हो, जहां अल्पमत के लोग हैं उन्हीं के पक्ष के नेता को नियुक्त करना और एक ऐसी व्यवस्था बना देना ताकि सरकार चलती रहे इस तरीके का रवैया केन्द्र के इशारे पर चला है। और जहां बहुमत का नेता हो, उस नेता की और उस सरकार की बातों को न मानना और स्वच्छन्द दृष्टि से कार्य करना यही गवर्नरों का काम

हो गया। गवर्नर स्वच्छन्द हो गये हैं, ऐसा मालूम होता है कि गवर्नर अपनी स्वतन्त्रता से नहीं बल्कि किसी केन्द्रीय इशारे पर चल रहे हैं। जब तक केन्द्र का गवर्नरों के साथ और प्रान्तों के साथ इस तरीके का रिश्ता लगा रहेगा तब तक केन्द्र और प्रान्त का रिश्ता ठीक से नहीं निभ सकेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आज जो केन्द्रीय सरकार कर रही है यह रवैया ठीक नहीं है।

सभापति जी, इस देश में अन्ध विश्वास बढ़ा है। नरबलि की घटनायें इतनी तेज हुई हैं कि लोग यह सोचने लगे हैं कि जो हजारों वर्ष पूर्व कहानियों में सुना जाता था उसी तरीके से नर बलि की घटनायें इस देश में चली हैं। अन्ध विश्वास बढ़ा है। मनुष्य का जीवन कबूतर की तरह हो गया है। इतना ही नहीं एक अमानवीय कार्य भी प्रारम्भ हुआ है। माता के साथ बेटे का यौन सम्बन्ध पुलिस थाने में बैठा कर के और जबरदस्ती माता के ऊपर बेटे को लिटा कर के इस तरह से यौन सम्बन्ध कराया गया है जिस से प्रकृति भी लज्जित हो गई है। यह रवैया आज तक सरकार का रहा है।

सेनाओं का निर्माण इतनी तेजी से बढ़ा है जैसे शंकर को एक बार व्यामोह हो गया था और उन्हों ने भस्मासुर को तलवार दे दी और उस ने अपना प्रथम परीक्षण शंकर पर ही किया था तो शंकर को बचाने के लिए विष्णु भगवान को एक सुन्दरी का रूप धारण कर के आना पड़ा। उसी प्रकार से गृह मन्त्री महोदय ने जो सेनाओं को आशीर्वाद दे दिया है बम्बई में, उस की हालत यह रही है कि अभी तक तो गृह मन्त्री गृह को जलाते थे लेकिन उस सेना ने बम्बई की अट्टालिकाओं को जलाना प्रारम्भ कर दिया है। यदि उस ने अन्तिम परीक्षण गृह मन्त्री पर शुरू कर दिया तो आप बतलाइये कि कौन सी सुन्दरी आयेगी अपना रूप धारण कर के जो गृह मन्त्री को बचायेगी ?

इसी तरह से कर्मचारियों की हड़ताल इतनी तेजी से चली है कि ऐसा लगता था कि कुछ दिन तक इस देश में कोई सरकार ही नहीं रह गयी है, और सरकार विहीन देश हो गया हैं। इस तरह से देश की हालत एकदम खराब हो गई है। साथ ही साथ मन्त्रियों की सेना बढ़ती गई है। मन्त्रियों की सेना कम कर के खर्च घटाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दिनों दिन मन्त्रियों की सेना बढ़ती जा रही है, और देशी नरेशों की थैलियों को कम कर के जो खर्चा घटाया जा सकता था वह भी काम नहीं किया गया है। इसलिए मैं गृह मन्त्रालय की मांग का विरोध करता हूं।

श्री सीता राम केसरी (कटिहार) : मान्यवर, गृह मंत्रालय की मांग का समर्थन करते हुए मैं भी कुछ अपने सुझाव पेश करना चाहता हूँ। सर्व प्रथम भाषा के सम्बन्ध में जो सेठ गोविन्ददास जी ने कहा और हमारे एक जनसंघ के माननीय शालवाले जी ने जो तर्क दिये हैं उन के उत्तर में ये बातें आप के सामने मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को हटाने के लिए विरोध नहीं है। अंग्रेजों को हटाने में सारे देश में एकता थी और अंग्रेजी भी हटाने में एकता थी। यह ठीक है कि जिस समय अंग्रेज यहां थे हमारे देश में अंग्रेजों को हटाने के लिए एक मत था देश एक मत था और अंग्रेज गये उस समय भाषा का जहां तक प्रश्न है और जो गांधीजी का नाम लेते हैं, लोगों को मैं तो नहीं समझता भाषा का नाम लेकर गांधी जी का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी। और जहां तक मुझे याद है अगर कांग्रेस के इतिहास के पन्नों को उलटें तो देखेंगे गांधी जी ने हिन्दी की जगह पर हिन्दुस्तानी चलाने की एक योजना बनाई थी। मगर वह नहीं चली।

दूसरी बात यह है कि आज अंग्रेजी हटाने के लिए मेरे ख्याल में इस देश में वह एकता नहीं है जो अंग्रेजों को हटाने के लिए

[श्री सीताराम केसरी]

इस देश में एकता थी। इसलिए अब देश की एकता कैसे बरकरार हो उस को मद्देनजर रखते हुए हमें भाषा के सम्बन्ध में आन्दोलन चलाना चाहिए या विरोध करना चाहिए।

डी० एम० के० के मित्र ने ठीक ही कहा कि यदि आप भाषा को ले कर आन्दोलन करेंगे तो दक्षिण में, विशेष कर मद्रास, आन्ध्र या मैसूर, जहां पर भी भाषा को ले कर आन्दोलन है, वह आन्दोलन ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता यदि हम लोगों ने हिन्दी के सम्बन्ध में उत्तर भारत में आंदोलन नहीं चलाया होता। जैसा मुझे पता है वहां पर सिनेमा जो हिन्दी में होते हैं उसे देखने में वह ज्यादा लोग दिलचस्पी लेते हैं, और हिन्दी का प्रचार जिस ढंग से हो रहा था उस में एक अवरोध आ गया है और अब वह एक राजनैतिक हथकंडा बन गया है। भाषा और उसके आधार पर लोग देखते हैं कि कितनी दूरी तक हम जनता को अपने स्वार्थ अनुसार बना सकते हैं, या ऐक्सप्लायट कर सकते हैं। राष्ट्रीय सरकार ने भाषा के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी है उन का मैं समर्थन करता हूं और अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भाषा को ले कर के जो आज मुल्क में बहुत सारी समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं, जो विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं, देश को जो बिखराव की तरफ जा रहा है, देश की अखण्डता पर जो आघात हो रहा है, उन कारणों में भाषा भी एक मुख्य कारण बनती जा रही है। विघटनकारी इसी प्रकार से महाराष्ट्र में शिव सेना है दक्षिण भारत में गोपाल सेना, केराला में लाल सेना इत्यादि जो प्रान्तों में क्षेत्रीय विचारधारा को फैलाती जा रही है। देश को बिखेरती हुई जा रही है उस में अभी तक रुकाव नहीं आया है। इसलिए मैं गृह मन्त्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आज देश में, विशेषकर दो सालों से जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है क्षेत्रीय आधार पर प्रदेशों की मांग यह देश की अखण्डता के लिए एक चुनौती है, खतरा है, इस प्रवृत्ति का हमें मनोवैज्ञानिक आधार पर हल निकालना चाहिए और ये जो आंदोलन विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं इन को रोकें। और कोइ ऐसी योजना बनाये जिस से जो बिखराव की प्रवृत्ति है, राष्ट्रीय भावना का अभाव है उस में रुकावट हो। नहीं तो मुझे सन्देह है कि देश की अखण्डता, लोकतन्त्र की अखण्डता खतरे में पड़ जायेगी।

दूसरे दिन मैं अखबार पढ़ रहा था कि किस प्रकार देश की अखण्डता के विरोधी सीमाओं पर काम कर रहे हैं। मैंने पढ़ा कि नागालैंड से ले कर लद्दाख तक हिमालय की तराई में हिन्दुस्तान की अखडता पर आघात करने के लिए एक भयंकर योजना बन रही है। दुश्मन देश के लोग इसके सक्रिय हैं उस ओर मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्रालय का ध्यान जाय। हालांकि उस मे डिफेंस डिपार्टमेंट का ध्यान जाना ही चाहिए क्योंकि उस का काम है। परन्तु जहां तक आप की सीमा सुरक्षा का सवाल है, सीमा सुरक्षा से पुलिस का सम्बन्ध है। जैसे कि नागालैंड और मीजोलैंड में, तो पुलिस का ध्यान जाना चाहिए। यद्यपि आप ने असम का पुनर्गठन किया, एक अच्छी चीज हैं, क्षेत्रीय जो विचार हैं उस को आप ने एक सान्तवना के रूप में दिया है मगर समूचे देश को मद्देनजर रखते हुए और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अगर रोक नहीं लगाई जायगी, अंकुश नहीं लगाया जायगा तो देश की अखण्डता खतरे में पड़ेगी।

होम मिनिस्टरी ने अपनी बजट मांगों में आदिमजातियों के सुधार और कल्याणार्थ विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है। जो धनराशि इस के लिए इस मन्त्रालय ने सन् 67-68 के दौरान रक्खी थी वही रकम सन् 68-69 के लिए भी दी है। उसे आप ने बढ़ाया नहीं है। इस के विपरीत हम देखते हैं कि पुलिस के लिए

और गृह मन्त्रालय के लिए आप ने पहले की अपेक्षा काफी रकम बढ़ाई है। मेरा ख्याल है कि पुलिस में जो एक भावना पैदा होनी चाहिए थी जैसी कि यू० के० की पुलिस में है कि देश के तमाम नागरिक को अपने मित्र व बन्धु समझते हैं। यह भावना अपनी पुलिस के अन्दर पैदा नहीं की है। पुलिस में जो कार्यक्षमता आनी चाहिए वह उन में अभी नहीं आई है। मन्त्रालय में एफिशिऐन्सी का अभाव है जिस के कि कारण से वह अराजकता और एनार्की को रोकने में असफल रहा है। आज चारों तरफ जो राज्यों के साथ एक सामजस्य नहीं पैदा हो रहा है, एक तारतम्य नहीं पैदा हो रहा है उस के पीछे भी मैं समझता हूं कि नौकरशाही की इनएफिशिएन्सी का ज्यादा हाथ है।

मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि गवर्नर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आदेश ले कर चलते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे वह दोस्त अपना इस तरीके का प्रचार करके जो सारी वह खुद गलतियां राज्यों में करते हैं और जो उन की कमजोरियां रहती हैं यह कह कर केन्द्रीय सरकार पर दोष मढ़ना चाहते हैं। यह बात कह कर गवर्नर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आदेश लेकर चलते हैं वह केन्द्रीय सरकार पर सारा लांछन लाना चाहते हैं और यह आरोप लगाना चाहते है कि गवर्नर के द्वारा आप अमुक प्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकार को गिरा रहे हैं जब कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जब महामाया की सरकार बनी थी उस समय कांग्रेस की वहां पर साफ मेजारिटी थी और वहां भी महेश प्रसाद सिंह ने 162 आदमियों के नाम लिए थे मगर उस समय वहां के गवर्नर ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन न देकर भी महामाया प्रसाद की सरकार के निर्माण कराने में सहयोग दिया था। हम कांग्रेस वाले हैं और चूंकि कांग्रेस सत्ता में है इसलिए हम शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन यह विरोधी दल वालों की एक टैकनिक होती है, प्रचार करने के लिए, और यह उन की साजिश होती है जिसको कि आप को समझना चाहिए और उस का मुकाबला करने के लिए आपके पास कोई माकूल योजना होनी चाहिए ताकि जो इस तरह का गलत और भ्रामक प्रचार करते हैं वह उस का नाजायज फायदा न उठा सकें।

अब यह दुर्गापुरा स्टील प्लांट में घटी घटना को ही ले लीजिए। यह ठीक है कि ला ऐन्ड आर्डर राज्य का विषय है और सी० आर० पी० को साधारण तौर पर सीधे वहां पर दखल नहीं देना चाहिए था लेकिन वह जो उन्होंने वहां दखल दिया तो उसके विशेष कारण और विशेष परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिसके लिए कि वह बाध्य हो गए थे। लेकिन मेरे उधर के मित्रों ने जनता में यह प्रचार किया कि केन्द्र के लोग और केन्द्रीय सरकार ने इस तरीके से अपनी इस सी० आर० पी० के द्वारा जनता की भावना पर आघात किया है तो मेरा कहना है कि इस तरह के प्रचार का भी आप को मुकाबला करने के लिए कार-गर योजना बनानी चाहिए।

इस के अलावा एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि विरोधी दल वालों के द्वारा जो सरकारी कर्मचारियों में एक सरकार के प्रति असन्तोष फैलाया जाता है, विभिन्न दल वाले उन में प्रवेश कर सरकार के प्रति और इस लोकतन्त्र के प्रति जो लाएल्टी है उस को वह तोड़ रहे हैं, उस पर जो आघात कर रहे हैं तो इस ओर भी सरकार को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक मनोवैज्ञानि ढंग पर जो उन की डिमाण्ड्स है, जो भी उन की जायज मांगें सरकार के पास आई हुई हैं उन की पूर्ति करके सरकारी कर्म-चारियों में सरकार के प्रति जो एक असन्तोष की भावना पैदा की जा रही है उस का अन्त कीजिए।

[श्री सीताराम केसरी]

सरकारी कर्मचारियों द्वारा 19 सितम्बर, 1968 को की गई स्ट्राइक आखिर किस बात का संकेत थी ? दरअसल वह आप की सत्ता को उलटने का संकेत था, लोकतांत्रिक सरकार को उलटने का एक संकेत था। गृह मन्त्रालय का ध्यान मैं उस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि आप यह मत सोचियेगा कि एक सामाजिक आधार पर एक मांग के आधार पर वह एक आन्दोलन था। दरअसल वह उन लोगों की एक ताकत की आजमाईश थी। यह उन का एक अन्दरूनी फैसला था कि सरकार को परोलाइज् कर दो। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकारी कर्मचारियों की जो नीड बेस्ट वेजेज की डिमांड थी जो कि मेरी समझ में एक परिवार के भरण-पोषण के लिए आवश्यक होती है वह मांग यदि आप पूरी कर देंगे तो मैं समझता हूं कि वह असन्तोष का कारण ही नहीं रहेगा। जब वह असन्तोष रूपी बीज ही नहीं रह जायेगा तब उधर के मेरे मित्र कैसे उनको इन्स्टीगेट कर सकते हैं अथवा बहका सकते है।

हमारे देश में साम्प्रदायिक भावना के आधार पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी आप ने मुल्क में देखा कि इधर कुछ दिनों से विशेष कर हमारे देश मे जो एक साम्प्रदायिक भावना को उभारा जाता है और उसके आधार पर उस में भी आप पायेंगे कि एक विघटन करने की प्रवृत्ति और आप पर आघात करने की प्रवृत्ति किस तरीके से पैदा की जाती है। हमारे जो अल्पसंख्यक भाई है उनके दिमाग में यह बैठाया जाता है कि बहुसंख्यक जाति वाले तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं, वह आततायी हैं और तुम्हारी जो मांग है उस की वह पूर्ति नहीं करते हैं। इस तरह की जो एक भावना अल्पसंख्यक लोगों में भर गई हैं उस का भी उन्मूलन कीजिए। उन के दिमाग से यह बात निकालिए। सद्भावना का प्रचार किजीये नहीं तो मैं आप से कहता हूं कि जिस तरीके से केरल में साम्प्रदायिक आधार पर दो जिलों का निर्माण हुआ एक बार पुनः इस देश की अखडता खतरे में पड़ जाएगी। इस देश में यह मांग हो सकती है कि आप साम्प्रदायिक आधार पर एक अलग प्रान्त का निर्माण करें। उस के लिए एक वार्निंग है और इस लिए मैं आप से कहूंगा कि इस ओर आप का ध्यान जाना चाहिए और जो अल्पसंख्यक लोगों की जायज मांग है नौकरी में असेम्बली में, पार्लियामेंट में उन की मांगों की पूर्ति की जाय। उन को आप प्रतिनिधित्व दीजिए तभी आप का यह लोक-तन्त्र व जनतन्त्र जिन्दा रह सकता है नहीं तो मैं तभी आप से कहता हूं कि यह आपका जन-तन्त्र खतरे में पड़ जायेगा।

जहां तक आदिम जातियों के सुधार की बात है उसके बारे में कहना यह है कि आदिम जातियों के लिए अपनी डिमांड में आप ने उतनी ही रकम दी है जितनी कि सन् 67-68 में दी थी। इसलिए मैं कहूंगा कि आदिम जातियों के सुधार के लिए, उन के मकान अच्छे हों, उन के बच्चों की पढ़ाई का पूरा इन्तजाम हो, उन की गरीबी का स्तर घटे और वह एक अच्छे और खुशहाल जीवन की ओर प्रगति कर सकें मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आदिवासी जातियों के लिए, हरिजनों के लिए जो आप के यहां प्राविजन है उस में खास तौर से आदिम जातियों की प्रगति के हेतु आप ज्यादा रकम बढ़ाइये वरना आप याद रखिये कि जो हरिजन या गिरिजन हैं और जिनके कि संरक्षण का भार आप के मन्त्रालय के अन्तर्गत आता हैं उस पर आप ने उचित ध्यान नहीं दिया, नागालैंड से लेकर लद्दाख तक जो हमारी सीमा हैं और वहां के जो गिरिजन और आदिवासी हैं, अगर उन की जायज् मांग की, उन के रहन-सहन की पूर्ति के लिए, उन के भोजन, पढ़ाई और शिक्षा आदि के हेतु अगर आप उचित प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे तो मैं आप को चेतावनी

देना चाहता हूं कि सीमा पर एक गम्भीर खतरा पैदा होगा तो उस का भी आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे ।

गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत जो द्वीप है जैसे कि अण्डेमान द्वीप है तो उस के लिए मैं गृह मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि चूंकि वह आजादी की लड़ाई में राजनैतिक लोगों का एक ऐसाइलम था इस लिए उसका सुन्दर नाम रखिए और इलाके का बढ़िया प्रबन्ध कीजिये । उस इलाके की बहुत थोड़ी बढ़ोतरी की गई है । मैं चाहता हूँ कि उस इलाके की तरक्की के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : सभापति महोदय, मुझे इस मौके पर वह कहावत याद आ रही है कि चिराग तले अंधेरा । सब से पहले तो मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो पुलिस कमीशन ने रिपोर्ट की थी उस पर हरियाणा और पंजाब जैसी छोटी स्टेटों में तो अमल किया गया लेकिन यह अमल नहीं करते है । मुझे यकीन है कि इस की तरफ उन का ध्यान जरूर जायगा ।

यह बात सच है कि दिल्ली पुलिस ने यूनियन बनाने का हक लेने के वास्ते जद्दोजहद की थी । उस पर कुछ न कुछ गुस्सा आया सरकार को और काफी ले दे हुई, काफी उन को सजाएं भी मिली बाद में लेकिन मुझे मालूम यह पड़ता है कि अभी भी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने गुस्सा ठंडा नहीं किया है । उन्हें अब अपना गुस्सा ठंडा करना चाहिए ।

दूसरी एक छोटी सी बात जिस पर मैं चाहता हूँ कि वह गौर करें वह यह है कि यहां दिल्ली पुलिस के कुछ हिस्से हमारी पार्लियामैंट में भी खिदमत करते हैं । जो ओवर टाइम मिलता है वह उन्हें नहीं मिलता । मै समझता हूँ कि इस से यकीनन अन्याय होता है । जब घर में ही अन्याय हो तब बाहर कैसे तवक्को की जाये ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : एम पीज को भी ओवर-टाइम मिलना चाहिये । वह भी आठ आठ घण्टे यहां बैठते हैं ।

श्री अब्दुल गनी डार : आप में और उन में फर्क है । आप इस वक्त जनता के सेवादार के रंग में है और वह और रंग में हैं । हमारे लिये और रास्ते खुले हुए हैं । अगर हमारे एम पी भाई सेशन्स कोर्ट में भी जायेंगे तो लोग उन को हजारों रुपये फीस खुशी खुशी देंगे । मगर उन बेचारों के लिए कोई और रास्ता खुला हुआ नहीं है ।

मैं जबान के बारे में यह अर्ज करूंगा कि यह बात सच है कि वह देश देश नहीं जिसकी कोई जबान नहीं । आखिर देश की कोई न कोई जबान तो होती ही है । जब यह मसला पहले पेश हुआ था तब कहते हैं कि वहां एक वोट से हिन्दी पास हो गई और फैसला हो गया । बापू ने कहा था कि हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी । लेकिन कोई बापू की सुनता नहीं । कल मैं ने हाउस में भी कहा था कि ब्राह्मण एक हिन्दू है और दूसरा मुसलमान है तो वह दो कौम तो नहीं है । मैं भी ब्राह्मण हूँ और शुक्ल भी ब्राह्मण हैं, लेकिन दोनों एक कौम हैं । हमारे बाप दादे हिन्दू थे, लेकिन गांधीजी की कुर्बानी हुई थी । गांधी जी ने कहा था कि मैजारिटी जो है, अक्सरियत जो है उस की जबान मुश्तरका जबान हैं, और वह हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी ही हो सकती है । जब कोई भाई हिन्दी के हक में बड़े जोर से बोलते हैं तो मैं यकीनन उनकी बात की तारीफ करता हूँ क्योंकि उन को हक हासिल है उसका । वह देश देश नहीं जिस की कोई जबान न हो । लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि केल्टिक की जगह अंग्रेजी को आते आते 700 बरस लग गये । श्री चव्हाण बड़े बाहिम्मत हैं, वह बड़े बाप के बेटे हैं और कांग्रेस सरकार में बड़ा असर रखते हैं । वह अगर लगा सकें, या श्री बाजपेयी उन की जगह बैठ जाये और वह मोर्चा लगा सकें

[श्री अब्दुल गनी डार]

और तीन दिन में हिन्दी को लागू कर दें सारे देश में तो मैं समझता हूँ कि ऐसा चमत्कार न भगवान राम ने किया होगा न किसी ऋषि मुनि ने भी किया होगा और न किसी पैगम्बर ने किया होगा। शायद भगवान ने भी नहीं किया होगा। कहते हैं कि भगवान ने भी दुनिया बनाते बनाते सात दिन लगा दिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दी को चाहते हैं उन को एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि साउथ में हिन्दी आते आते आयेगी, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इस वक्त भी साउथ में उर्दू के अखबार ज्यादा निकलते है, यानी फारसी रस्मुल-खत में ज्यादा निकलते है बमुकाबले देवनागरी रस्मुल खत के। यही हाल बाकी स्टेट्स में भी है। पंजाब में पंजाबी सरकार की जबान है, हरियाणा में हिन्दी जबान है, लेकिन जो अखबार निकलते है रोजाना वह अंग्रेजी के बाद सब से ज्यादा उर्दू में निकलते हैं।

होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब तुम कहते हो कि उर्दू के साथ अन्याय किया जाता है तब उस का असर होता है और सारी दुनिया में यह बात फैलती है। मुसलमानों की एक बड़ी कमजोरी यह है कि उनका जितना भी मजहबी लिट्रेचर है वह तमाम उर्दू जबान में है। उनको धीरे धीरे देवनागरी में बदला जायेगा। हम लोग इस बात के हामी हैं कि उस को हिन्दी रस्मुल-खत में आहिस्ता आहिस्ता लिखा जाये। लेकिन यह काम एक दिन में तो नहीं हो सकता। जैसा में ने कहा, अगर श्री चह्वाण एक दिन में हिन्दी को लागू कर दें तो वह एक ऐसा चमत्कार होगा जैसा भगवान राम ने भी नहीं किया है। अगर मैं भी चाहूं कि ऐसा चमत्कार कर दूं कि मुसलमानों का तमाम लिट्रेचर एक दिन में हिन्दी में कर दूं, तो यह नामुमकिन है। जैसा मैंने तामिलनाडु के बारे में कहा था, अंडमन के बारे में भी और सारे हिन्दुस्तान के बारे में दुनिया वाले शिकायत करते हैं। हाल में ही मैं हज को गया था। वहां से मैंने रिपोर्ट भेजी है कि वहां पर गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को दीन से बेबहरा करने के लिए जान बूझ कर उर्दू के साथ अन्याय किया जाता है, उन को डिस्करेज किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : उर्दू हमारी जबान है।

श्री अब्दुल गनी डार : यकीनन उर्दू आप की जबान हैं। जैसा मैंने कल अर्ज किया था कि यहां 7 करोड़ मुसलमान हैं या 5 करोड़ मुसलमान हैं, इस से मुझे बहस नहीं। अदद के बारे में मेरा कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि सेन्सस जो होता है उस के मुताबिक 1961 में तकरीबन 5 करोड़ की उन की तादाद थी। लेकिन अगर सब को कत्ल कर दिया जाये तो यह मुझे कबूल है मगर हम अपने देश को छोड़ कर चले जायें, यह मुझे कबूल नहीं है क्योंकि हमने इस देश के लिये बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस देश को बनाने के लिये ....

एक माननीय सदस्य : कत्ल कौन करता है ?

श्री अब्दुल गनी डार : बूटा सिंह जी, आप तो खुद मदद करने गये थे मेरठ में, आप ने मदद की कलकत्ते में, आप ने मदद की कई जगह गुरुद्वारों में, अपने मकानों में। मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं होम मिनिस्टर साहब की रिपोर्ट को सामने रखता हूँ, और किसी चीज से मुझे बहस नहीं है। वह फरमाते हैं कि 1966 में 133 कम्यूनल झगड़े हुए, 1967 में 209 हुए और 1968 में 331 हुए। इस के माने क्या यह हुये कि यहां फसादात रुक नहीं सकते ? अगर रुक नहीं सकते तो इस का कोई न कोई प्रबन्ध करना ही होगा क्योंकि कभी भी आप कोई बात एक दिन के लिए कर सकते

हैं, हमेशा के लिए करना चाहें तो यह नामुमकिन है। मैंने श्री राजगोपालाचार्य को लिखा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वहां तो श्री चव्हाण की हुकूमत नहीं है, न कांग्रेस वालों की हैं। वहां पर 1 या सवा फीसदी मुसलमान हैं। कटक में तकरीबन 24 फीसदी मुसलमान हैं जो बीड़ी बनाते हैं। उन के ऊपर कुछ हल्ला हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन उस के बाद उनका बायकाट कर दिया जाये तो एक फीसदी मुसलमान कहां जायेंगे, उन के लिये समाज में कहां जगह रह जाती है। कहते हैं कि एक बड़ा बम फटा था। यकीनन फटा होगा क्योंकि तीन लोग मर गये, पांच जख्मी हो गये। मैंने प्राइवेट तौर पर इस के बारे में बातें की। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां की हालत सुधरनी चाहिये क्योंकि उड़ीसा में जन संघ नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर ने जो और नाम दिये हैं कि किन स्टेटों में झगड़े हुए है, उन में असम का नाम है, मैसूर का नाम है, उस में उड़ीसा का नाम है, उस में आन्ध्र महाराष्ट्र का नाम भी है। बहरहाल इस बात को मैं छोड़ता हूँ। यह वह जगह है जहां पर जन संघ का कोई जोर नही, कोई उन को रिप्रेजेन्टेशन नहीं, उन का कोई आर्गेनाइजेशन नहीं। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि जन संघ वाले अमृतसर से उठे या मध्य प्रदेश से उठे, उत्तर प्रदेश से उठे, और वहां जाकर हल्ला गुल्ला करे। इसे मेरा दिमाग मानता नहीं, क्योंकि अब भी मैं अपनी सरकार को ऐसा सरकार नहीं मानता जैसे कि बहादुरशाह की थी जो कि लाल किले के अन्दर रह जाये और शाहंशाह हिन्द कहलाये।

आप को सोचना चाहिये कि यह सब क्यों होता है। कहते हैं कि चूंकि अच्छा सलूक नहीं करते थे इसलिए नई स्टेट फलां जगह बन गई। कल यकीनन बारी आयेगी उत्तर प्रदेश की। उस में लोग कहेंगे कि पहाड़ी इलाका जो है उन के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, जो मशरिक के रहने वाले हैं वह कहेंगे कि आगरा डिवीजन और मेरठ डिवीजन बहुत अच्छे हैं, उन के साथ अच्छा सलूक है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता। इस तरह से कब तक आप मुल्क के टुकडे करते चले जायेंगे। मैं इस बात पर बधाई नहीं दे सकता। जहां श्री चव्हाण में बाकी खूबियां हैं और उन की मैं जितनी भी तारीफ करूं, कोई बडी बात नहीं है क्योंकि डिसिप्लन में कई बाते अच्छी आती हैं, लेकिन इस बात को अच्छा नहीं कहा जा सकता, यह अलग बात है।

अभी मेरे भाई श्री लाल वाले ने एक बात कही। इस का जवाब तो होम मिनिस्टर ही देंगे, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं जानता नहीं अपनी बहन के बारे में। ब्राहमणों की आबादी छः परसेंट होगी। लेकिन काश्मीर के सैक्रेटेरिएट में या सेंट्रल गवर्नमैंट में, पार्लिमैंट में या और दूसरे जो सरकारी दफ्तर हैं वहां आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो 94 परसेंट हैं वे तो नौकरियों में 6 परसेंट है और जो 6 परसेंट हैं वे नौकरियों में 94 परसेंट हैं। इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

कुरप्शन का भी बहुत जिक्र होता है। मैंने डाकुमैंट्स पेश किये हैं कि किस तरह से बैंकों के जरिये बेईमानी होती है। जब मैं इसके बारे में होम मिनिस्टर को लिखता हूं तो वह कह देते हैं कि इसकी इबतदाई जिम्मेदारी तो फाइनेंस मिनिस्टरी पर है। वह कहेंगी तो मुकदमा चलेगा। यह चीज मैंने 1955 में आपके नोटिस में लाई थी और आज 1969 है। डालमियां ग्रुप, शान्ति प्रसाद जैन ग्रुप है, साहू जैन ग्रुप के मामले थे और विवियन बोस की रिपोर्ट भी उनके बारे में आई थी। मैंने भी दो डाकुमैंट्स छपवाये थे, आई ओपनर नम्बर 1 और आइ ओपनर नम्बर 2 लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने 28 अगस्त को श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा था। मैंने इसको डेढ़ बरस तक सीने में छिपाये रखा। इसकी वजह यह थी कि मैं चीप पापुलैरिटी का हामी नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी को ब्लैकमेल किया जाए।

[श्री अब्दुल गनी डार]

मैंने चैकों का नम्बर दिया था और बताया था कि किस पार्टी ने जारी किये, किस कांग्रेस के नेता के नाम जारी किये और किस ब्रांच से उस कांग्रेस के नेता ने चैकों को वसूल किया। मेरी बहन ने लिखा कि मैं भी इस बारे में कंसर्न्ड हूं और मैं चाहती हूं कि किसी तरह से इस कुरप्शन को कम किया जाए। मैं हैरान हूं कि वही तारीख फिर दोहराई गई। मेरे पास चैकों के नम्बर हैं, किस पार्टी ने जारी किये उसके नाम हैं, जिस पार्टी ने वसूल किए, उसके नाम हैं। तीस जनवरी को जिस दिन बापू को शहीद किया गया था उस दिन वे चैक जारी हुए और कांग्रेसी नेताओं ने वसूल किये।

हमारे होम मिनिस्टर बहुत दूर अंदेश हैं। क्या वे छोटी छोटी बातों को रोक नहीं सकते हैं। अगर नहीं रोक सकते तो क्या नतीजा होने वाला है? आप जरा पाकिस्तान की तरफ देखें वहां क्या हुआ है। अयूब ने अपने जमाने में पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की या ताकत दिखाई। लेकिन वह भी आखिर को मजबूर हो गया। आप भी क्या अपनी ताकत एक सिपाही के खिलाफ दिखायेंगे जो कि दो रुपये रिश्वत लेता है और पकड़ा जाता है और अखबारों में उसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है? लेकिन जब एक वजीर घर में बैठा हुआ अब्दुल गनी को तीस लाख रुपया दे दे या अब्दुल गनी से नौ लाख ले ले तो क्या वह कुरप्शन नहीं है? आप देखें कि पावर लूम्ज को खरीदने का हुक्म दिया गया था। पुरानी पावर लूम्ज जो थी जिन को रद्द करके नये सिर से बदला गया था, उनके लिए हुकम दिया गया कि एस. टी. सी. उनको खरीदे। लेकिन कानपुर की जो चार सौ थी उनके बारे में हुकम दिया गया कि वे प्राइवेट पार्टी की हैं उनको न लिया जाए। इस वास्ते कि उनको अब्दुल गनी ने पहले मैनेज कर लिया था, तीन सौ पावर लूम्ज ले ली उसने, उनको दस दस हजार में बेच दिया और दस लाख एक ही सौदे में पैदा कर लिया तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इस तरह की मैं दसियों मिसालें दे सकता हूं। कामर्स मिनिस्टरी में इस तरह से करोड़ों रुपये का जोड़तोड़ हुआ है। क्या इस तरह से काम चलेगा?

मैं चाहता हूं कि देश को बनाया जाए। जुबान का मामला हल हो, कम्युनल झगड़े बन्द हों, कुरप्शन खत्म हो। पाकिस्तान का असर आप देख रहे हैं। मुझे डर है मुझ जैसे अन्धे जो हैं ये तो कत्ल हो जायेंगे लेकिन ये बच जायेंगे। इनके आगे पीछे, दायें बायें, रिवाल्वर लिये पुलिस रहती है। कुरप्शन जो बढ़ रही है इस को आप चैक करें। मैं कह चुका हूं कि मैं चीफ लीडरशिप का हामी नहीं हूं। मेरे पास फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज हैं। तारीखें हैं, नाम मैं दे सकता हूं। मैंने श्रीमती गांधी को दिये भी हैं। मैं डेढ़ बरस तक सीने में इसको छिपाये रखा है। अब मैं तंग आ गया हूं आप कोई काम नहीं करते हैं। क्या साहू जैन ग्रुप इतना मजबूत ग्रुप हो गया है कि उसने जनरल असगर को भी मात दे दी है, क्या अयूब से भी वह मजबूत है कि आपका उस पर हाथ ही नहीं पड़ता है। क्या इसलिए आप उस पर हाथ नहीं डालते कि वह आपको लाखों रुपये देता है इलैकशन लड़ने के लिए? आप देखें कि सी बी गुप्त के लिए शराब के जो कारखाने हैं उन्होंने ढोल खोल कर रख दिये थे और कहा था कि बोतलों में देने की कोई जरूरत नहीं है, इन ढोलों में से शराब पिलाओ। मोहन बूरी ने लाखों रुपये खर्च किये और आगे पता नहीं कितना खर्च करने जा रही हैं।

मैं आपकी खिदमत में आखिर में यही कहना चाहता हूं कि एक एक मुसलमान इस वक्त कहता है :—

किस तरह से सताते हैं ये बुत हमें निजाम
हम ऐसे हैं कि जैसे किसी का खुदा न हो।

मैं कहूंगा कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिये ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y B CHAVAN) : I would like to say, Sir, that the hon Member is making wild allegations against a person of the status of the Chief Minister of U P without any proof and I do not think such allegations should be made These are very mischievous and irresponsible allegations

श्री अब्दुल गनी डार : मैंने होम मिनिस्टर को भी लिखा था । उस में से ही मैंने यह सब कहा है । मैंने यह खत बहन इन्दिरा को भी लिखा था । मैंने नाम किसी के नहीं लिये हैं । लेकिन में जरूर कहता हूं कि डालमिया जैन ग्रुप है और पंजाब नेशनल बैंक है जिन्होंने लाखों रुपये के चैक दिये हैं और लाखों रुपये के चैक आपने वसूल किये हैं । जिस ब्रांच ने दिये और जिस लीडर ने वसूल किये उसके नाम और एड्रेस मैं दे सकता हूं । मैं इनको मेज पर रख सकता हूं । मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा करने की इजाज़त दें ।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگاؤں) سبھاپتی مہودے-مجھے اس موقعہ پر وہ کہاوت یاد آرہی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا-سب سے پہلے تو میں ہوم منسٹر صاحب سے گذارش کرنا چاہونگا کہ جو پولس کمیشن نے رپورٹ کی تھی اس پر ہریانا اور پنجاب جیسی چھوٹی اسٹیٹوں میں تو عمل کیا گیا لیکن یہ عمل نہیں کرتے ہیں-مجھے یقین ہے کہ اس طرف ان کا دھیان ضرور جائیگا-

یہ بات سچ ہے کہ دلی پولس نے یونین بنانے کا حق لینے کے واسطے جدوجہد کی تھی-اس پر کچھ نہ کچھ غصہ آیا سرکار کو اور کافی لے دے ہوئی کافی ان کو سزائیں بھی ملیں بعد میں لیکن مجھے معلوم یہ پڑتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے غصہ ٹھنڈا نہیں کیا ہے-انہیں اب اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہئے-

دوسری آپ ایک چھوٹی سی بات جس پر میں چاہتا ہوں کہ وہ غور کریں وہ یہ ہے کہ یہاں دلی پولس کے کچھ حصے ہماری پارلیامینٹ میں بھی خدمت کرتے ہیں-جو اور ٹائم ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً انیائے ہوتا ہے-جب گھر میں ہی انیائے ہو تب باہر کیسے توقع کی جائے-

شری رنویرسنگھ (روھتک) ایم پیز کو بھی اور ٹائم ملنا چاہئے-وہ بھی آٹھ آٹھ گھنٹے یہاں بیٹھتے ہیں-

شری عبدالغنی ڈار-آپ میں اور ان میں فرق ہے-آپ اس وقت جنتا کے سیوادار کے رنگ میں ہیں اور وہ اور رنگ میں ہیں-ہمارے لئے اور راستے کھلے ہوئے ہیں-اگر ہمارے ایم پی بھائی سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے تو لوگ ان کو ہزاروں روپے فیس خوشی خوشی دے دیں گے-مگر ان بیچاروں کے لئے کوئی اور راستہ کھلا ہوا نہیں ہے-

میں یہاں کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ بات سچ ہے کہ وہ دیش دیش نہیں جس کی کوئی زبان نہیں-آخر دیش کی کوئی نہ کوئی زبان تو ہوتی ہی ہے-جب یہ مسئلہ پیش ہوا تھا

(شری عبدالغنی ڈار)

تب کہتے ہیں وہاں ایک ووٹ سے ہندی پاس ہوگئی اور فیصلہ ہوگیا- باپو نے کہا تھا کہ ہندی اتھوا ہندوستانی لیکن کوئی باپو کی سنتا نہیں- کل میں نے هاؤس میں بھی کہا تھا کہ براہمن ایک ہندو ہے اور دوسرا مسلماں ہے تو وہ دو قوم تو نہیں ہیں- میں بھی براہمن ہوں اور شری شکل بھی براہمن ہیں- لیکن دونوں ایک قوم ہیں- ہمارے باپ دادے ہندو تھے- لیکن گاندھی جی کی قربانی ہوئی تھی- گاندھی جی نے کہا تھا کہ مجاریٹی جو ہے- اکثریت جو ہے اس کی زبان مشترکہ زباں ہے- اور وہ ہندی اتھوا ہندوستانی ہی ہو سکتی ہے- جب کوئی بھائی ہندی کے حق میں بڑے زور سے بولتے ہیں تو میں یقین ان کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ ان کو حق حاصل ہے اس کا- وہ دیش دیش نہیں جس کی کوئی زبان نہ ہو- لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کینٹکٹ کی جگہ انگریزی کو آتے آتے ۷۰۰ برس لگ گئے- شری چوہان بڑے باہمت ہیں- وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور کانگریس سرکار میں بڑا اثر رکھتے ہیں- وہ اگر مورچا لگا سکیں- یا شری واجپئی ان کی جگہ بیٹھ جائیں اور وہ مورچا لگا سکیں اور تین دن میں ہندی کو لاگو کر دیے سارے دیش میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا چمتکار نہ بھگوان رام نے کیا ہوگا نہ کسی رشی منی نے کیا ہوگا اور نہ کسی پیغمبر نے کیا ہوگا- شائد بھگوان نے بھی نہیں کیا ہوگا- کہتے ہیں کہ بھگوان نے بھی دنیا بناتے بناتے سات دن لگا دئے- میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہندی کو چاہتے ہیں ان کو ایک بات نہیں بھولنی چاہئے کہ ساؤتھ میں ہندی آتے آتے آئی گئی- یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے- اس وقت بھی ساؤتھ میں اردو کے اخبار زیادہ نکلتے ہیں- یعنی فارسی رسمالخط میں زیادہ نکلتے ہیں بمقابلے دیوناگری رسمالخط کے- یہی حال باقی اسٹیٹس میں بھی ہے- پنجاب میں پنجابی سرکار کی زبان ہے- ہریانہ میں ہندی زبان ہے لیکن جو اخبار نکلتے ہیں روزانہ وہ انگریزی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں نکلتے ہیں-

ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ اردو کے ساتھ انیائے کیا جاتا ہے تب اس کا اثر ہوتا ہے اور ساری دنیا میں یہ بات پھیلتی ہے- مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کا جتنا بھی مذہبی لٹریچر ہے وہ تمام کا تمام اردو زبان میں ہے- اس کو دھیرے دھیرے دیوناگری میں بدلا جائیگا- ہم لوگ اس بات کے حامی ہیں کہ اس کو ہندی رسمالخط میں آہستہ آہستہ لکھا جائے- لیکن یہ کام ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا- جیسا میں نے کہا- اگر شری چوہان ایک دن میں ہندی کو لاگو کردیں تو وہ ایک ایسا چمتکار ہوگا جیسا بھگوان رام نے بھی نہیں کیا ہے- اگر میں بھی چاہوں کہ ایسا چمتکار کر دوں کہ مسلمانوں کا

مدد کی گئی جگهه گرودواروں میں— اپنے مکانوں میں-میں اس بحث میں نهیں پڑتا-میں هوم منسٹر صاحب کی رپورٹ کو سامنے رکھتا هوں-اور کسی چیز سے مجھے بحث نهیں هے-وه فرماتے هیں که ۱۹۶۶ میں ۱۳۳ کمیونل جھگڑے هوئے-۱۹۶۷ میں ۲۰۹ هوئے اور ۱۹۶۸ میں ۳۳۱ هوئے-اس کے معنی کیا یه هوئے که یهاں فسادات رک نهیں سکتے اگر رک نهیں سکتے تو اس کا کوئی نه کوئی پربندھ کرنا هی هوگا-کیونکه کبھی بھی آپ کوئی بات ایک دن کے لئے کر سکتے هیں-همیشه کے لئے کرنا چاهیں تو یه ناممکن هے-میں نے شری راجگوپال آچاریه کو لکھا-لیکن انهوں نے جواب نهیں دیا کیونکه وهاں تو شری چوهان کی حکومت نهیں هے-نه کانگریس والوں کی هے-وهاں پر آیا سوا فی صدی مسلمان هیں-کٹک میں تقریباً ۲۹ فی صدی مسلمان هیں جو بیڑی بناتے هیں-ان کے اوپر کچھ حمله هوا-میں مانتا هوں-لیکن اس کے بعد ان کا بائکاٹ کر دیا جائے تو ایک فیصدی مسلمان کهاں جائیں گے-ان کے لئے سماج میں کهاں جگه ره جاتی هے-کهتے هیں که ایک بڑا بم پھٹا تھا-یقین پھٹا هوگا کیونکه تین لوگ مر گئے پانچ زخمی هوگئے-میں نے پرائیویٹ طور پر اس کے بارے میں پالیس کیس-میں کهنا چاهتا هوں که وهاں کی حالت سدھرنی چاهئے کیونکه اڑیسا میں جن سنگھ نهیں هے-همارے هوم منسٹر نے جو اور نام دیئے هیں که کن اسٹیٹوں میں جھگڑے هوئے هیں-ان میں اسم کا نام هے-میسور کا

تمام لٹریچر ایک دن میں هندی میں کر دوں-تو یه ناممکن هے-جیسا میں نے تاملناڈ کے بارے میں کها تھا-انڈمن کے بارے میں بھی اور سارے هندوستان کے بارے میں دنیا والے شکایت کرتے هیں-

حال میں هی میں حج کو گیا تھا-وهاں سے میں نے رپورٹ بھیجی هے که وهاں پر غلطفهمی پھیلانے کی کوشش کی جارهی هے که مسلمانوں کو دین سے بے بهره کرنے کے لئے جان بوجھ کر اردو کے ساتھ انیائے کیا جاتا هے-ان کوڑ سکویچ کیا جاتا هے-

ایک مانیه سدسیه-اردو هماری زبان هے-

شری عبدالغنی ڈار-یقین اردو آپ کی زبان هے-جیسا میں نے کل عرض کیا تھا که یهاں ۷ کروڑ مسلمان هیں یا ۵ کروڑ مسلمان هیں-اس سے مجھے بحث نهیں-عدد کے بارے میں میرا کوئی جھگڑا نهیں هے کیونکه سینسس جو هوتا هے اس کے مطابق ۱۹۶۱ میں تقریباً ۵ کروڑ کی ان کی تعداد تھی-لیکن اگر سب کے سب کو قتل کر دیا جائے تو یه مجھے قبول هے کیونکه هم نے اس دیش کے لئے بهت بڑی قربانیاں دی هیں-اس دیش کو بنانے کے لئے...

ایک مانیه سدسیه-قتل کون کرتا هے-

شری عبدالغنی ڈار-بوٹا سنگھ جی-آپ تو خود مدد کرنے گئے تھے میرٹھ میں آپ نے مدد کی کلکتے میں آپ نے

(شری عبدالغنی ڈار)

نام ھے-اس میں اڑیسا کا نام ھے-اس میں آندھرا، مھاراشٹر کا نام بھی ھے-بھرحال اس بات کو میں چھوڑتا ھوں-یہ وہ جگہیں ھیں جہاں پر جن سنگھ کا کوئی زور نھیں-کوئی ان کا ریپریزینٹیشن نھیں-ان کا کوئی آرگنائزیشن نھیں-میں یہ ماننے کے لئے تیار نھیں کہ جن سنگھ والے امرتسر سے اٹھیں یا مدھیہ پردیش سے اٹھیں-اترپردیش سے اٹھیں اور وھاں جاکر ھلا گلا کریں-اسے میرا دماغ مانتا نھیں کیونکہ اب بھی میں اپنی سرکار کو ایسی سرکار نھیں مانتا جیسے کہ بھادر شاہ کی تھی جو کہ لال قلعے کے اندر وہ جائیں اور شاھنشاہ ھند کھلائیں-

آپ کو سوچنا چاھئیے کہ یہ سب کیوں ھوتا ھے-کھتے ھیں کہ چونکہ اچھا سلوک نھیں کرتے تھے اس لئے نئی اسٹیٹ فلاں جگہ بن گئی-کل بھیں باری آئے گی اترپردیش کی-اس میں لوگ کھیں گے کہ پھاڑی علاقہ جو ھے اس کے ساتھ اچھا سلوک نھیں ھوا- جو مشرق کے رھنے والے ھیں وہ کھیں گے کہ آگرہ ڈویژن اور میرٹھ ڈویژن بھت اچھے ھیں-ان کے ساتھ اچھا سلوک ھے-ھمارے ساتھ اچھا سلوک نھیں ھوتا-اس طرح سے کب تک آپ ملک کے ٹکڑے کرتے چلے جائیں گے-میں اس بات پر بدھائی نھیں دے سکتا-جھاں شری چوھان میں باقی خوبیاں ھیں اور ان کی میں جتنی بھی تعریف کروں-کوئی بڑی بات نھیں ھے کیونکہ ڈسپلین میں کئی باتیں اچھی آئی ھیں-لیکن اس بات کو اچھا نھیں کھا جا سکتا-یہ الگ بات ھے-

ابھی میرے بھائی شری شالوالے نے ایک بات کھی-اس کا جواب تو ھوم منسٹر ھی دیں گے-میں نھیں دے سکتا کیونکہ میں جانتا نھیں اپنی بھن کے بارے میں-براھمنوں کی آبادی ٦ پرسینٹ ھوگی - لیکن کشمیر کے سیکریٹیریٹ میں یا سینٹرل گورنمنٹ میں پالیمینٹ میں یا اور دوسرے جو سرکاری دفتر ھیں وھاں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ٩٤ پرسینٹ ھیں وہ تو نوکریوں میں ٦ پرسینٹ ھیں اور جو ٦ پرسینٹ ھیں وہ نوکریوں میں ٩٤ پرسینٹ ھیں-اس طرف آپ کا دھیان جانا چاھئیے—

کرپشن کا بھی بھت ذکر ھوتا ھے-میں نے ڈاکومنٹس پیش کئے ھیں کہ کس طرح سے بنکوں کے ذریعے بے ایمانی ھوتی ھے-جب میں اس کے بارے میں ھوم منسٹر کو لکھتا ھوں تو وہ کھہ دیتے ھیں کہ اس کی ابتدائی ذمہ داری تو فائننس منسٹری پر ھے-وہ کھے گی تو مقدمہ چلے گا-یہ چیز میں نے ١٩٥٥ میں آپ کے نوٹس میں لائی تھی اور آج ١٩٦٩ ھے-ڈالمیا گروپ ھے-شانتی پرشاد جین گروپ ھے ساھو جین گروپ کے معاملے تھے اور ویس یوس کی رپورٹ ان کے بارے میں آئی تھی-میں نے بھی دو ڈاکومنٹس چھپوائے تھے آئی او یو نمبر ١ اور آئی او یو نمبر ٢-لیکن ابھی تک کچھ نھیں ھوا ھے-میں نے ٢٨ اگست کو شریمتی اندرا گاندھی کو لکھا تھا -

ایک وزیر گھر میں بیٹھا ہوا عبدالغنی کو تیس لاکھ روپیہ دے دیے یا عبدالغنی سے تو لاکھ لے لے تو کیا وہ کروڑپتی نہیں ہے-آپ دیکھیں کہ پاور لومز کو خریدنے کا حکم دیا گیا تھا-پرانی پاور لومز جو تھیں جن کو رد کرکے نئے سرے سے بدلا گیا تھا ان کے لئے حکم دیا گیا کہ ایس-ٹی-سی-ان کو خریدے لیکن کانپور کی جو چار سو تھیں انکے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ پراؤیٹ پارٹی کی ہیں انکو نہ لیا جائے اس واسطے کہ انکو عبدالغنی نے پہلے مینیج کر لیا تھا-تین سو پاور لو ز لے لیں-اس نے انکو دس دس ہزار میں بیچ دیا اور دس لاکھ ایک ہی سودے میں پیدا کر لیا-تو اسکو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے-اس طرح کی میں دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں-کامرس منسٹری میں اس طرح سے کروڑوں روپے کا جوڑ توڑ ہوا ہے-کیا اس طرح سے کام چلے گا-

میں چاہتا ہوں کہ دیش کو بتایا جائے زبان کا معاملہ حل ہو-کمیونل جھگڑے بند ہوں کرپشن ختم ہو-پاکستان کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں-مجھے ڈر ہے مجھ جیسے اندھے جو ہیں یہ تو قتل ہو جائیں گے لیکن یہ بچ جائیں گے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں- ریوالور لئے پولس رہتی ہے کرپشن جو بڑھ رہی ہے-اس کو آپ چیک کریں-میں کہہ چکا ہوں کہ میں چیف لیڈرشپ کا حامی نہیں ہوں-میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں- تاریخیں ہیں-نام میں دے سکتا ہوں-میں نے شریمتی گاندھی کو دئے بھی ہیں-میں نے ڈیڑھ برس تک، میں نے اس کو ڈیڑھ برس تک سیف میں چھپائے رکھا-اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چیف یا پولرٹی کا حامی نہیں-میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے- میں نے چیکوں کا نمبر دیا تھا اور بتایا تھا کہ کس پارٹی نے جاری کئے-کس کانگریس کے نیتا کے نام جاری کئے اور کس برانچ سے اس کانگریس کے نیتا نے ان چیکوں کو وصول کیا-میری بہن نے لکھا کہ میں بھی اس بارے میں کنسرنڈ ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ کس طرح سے اس کرپشن کو کم کیا جائے-میں حیران ہوں کہ وہی تاریخ پھر دوہرائی گئی-میرے پاس چیکوں کے نمبر ہیں-کس پارٹی نے جاری کئے اس کے نام ہیں-جس پارٹی نے وصول کئے اس کے نام ہیں- ۳۰ جنوری کو جس دن باپو کو شہید کیا گیا تھا اس دن یہ چیک جاری ہوئے اور کانگریسی نیتاؤں نے وصول کئے—

ہمارے ہوم منسٹر بہت دور اندیش ہیں-کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو روک نہیں سکتے ہیں-اگر نہیں روک سکتے ہیں تو کیا نتیجہ ہونے والا ہے-آپ ذرا پاکستان کی طرف دیکھیں--وہاں کیا ہوا ہے-ایوب نے اپنے زمانے میں پاکستان کی بڑی خدمت کی یا طاقت دکھائی- لیکن وہ بھی آخر کو مجبور ہوگیا-آپ بھی کیا اپنی طاقت ایک سپاہی کے خلاف دکھائیں گے جو کہ دو روپے رشوت لیتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور اخباروں میں اس کی چرچہ ہونی شروع ہو جاتی ہے--لیکن جب

(شری عبدالغنی ڈار)

سینے میں اس کو چھپائے رکھا ہے-اب میں تنگ آگیا ہوں-آپ کوئی کام نہیں کر سکے ہیں-کیا سا ہو جین گروپ اتنا مضبوط گروپ ہو گیا ہے کہ اس نے جنرل اصغر کو ماس دے دی-کیا ایوب سے بھی وہ مضبوط ہے کہ آپ کا اس پر ہاتھ ہی نہیں پڑتا ہے-کیا اس لئے آپ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے کہ وہ آپ کو لاکھوں روپے دیتا ہے الیکشن لڑنے کے لئے-آپ دیکھیں کہ سی-بی گپت کے لئے شراب کے کارخانے ہیں انہوں نے ڈھول کھول کر رکھ دئے تھے اور کہا تھا کہ بوتلوں میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے-ان ڈھولوں میں سے شراب پلاؤ-موہن بروریز نے لاکھوں روپے خرچ کئے اور آگے پتا نہیں کتنا خرچ کرنے جا رہے ہیں-میں آپ کی خدمت میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک مسلمان اس وقت کہتا ہے کس طرح سے ستائے ہیں یہ بہت ہمیں نظام ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو میں کہونگا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہئے

Shri Y. B. Chavan : I would like to say, Sir that the hon. Member ismaking wild allegations against a person of the status of the Chief Minister of U· P. without auy proof and I do not think such allegations should be made. These are very mischievous and irresponsible allegations.

شری عبدالغنی ڈار-میں نے ہوم منسٹر کو بھی لکھا تھا اس میں سے ہی میں نے یہ سب کچھ کہا ہے-میں نے یہ خط بھی اندرا کو بھی لکھا تھا-میں نے نام کسی کے نہیں لئے ہیں-لیکن میں ضرور کہتا ہوں کہ ڈالمیا جین گروپ ہے اور پنجاب نیشنل بینک ہے جنہوں نے لاکھوں روپے کے چیک دئے ہیں اور لاکھو روپے کے چیک آپ نے وصول کئے ہیں-جس برانچ نے دئے اور جس لیڈر نے وصول کئے ان کے نام اور اڈریس میں دے سکتا ہوں-میں اس کو میز پر رکھ سکتا ہوں-میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسا کرنے کی اجازت دیں-]

श्री कुशोक बाकुला (लद्दाख) : सभापति महोदय, गृह मन्त्रालय की मांगों पर जो बहस में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इन मांगों का मैं समर्थन करता हूं। पुलिस संगठन को मजबूत करना आज के हालात में बहुत आवश्यक है। उसकी संख्या भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसका कारण यह है कि जो हिंसा की घटनायें हो रही हैं, तोड़फोड़ की कारंवाइयां हो रही हैं, उनको रोकने के लिए और उन पर काबू पाने के लिए पुलिस को मजबूत करना आवश्यक है। बाहर से और अन्दर से जो कई बार खतरा पैदा हो जाता है उसका मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस संगठन को मजबूत किया जाए।

मैं गृह मंत्रालय की मांगों पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने दो दिन पहले लद्दाख में जो बड़ी घटनायें घटी हैं उनके बारे में कालिंग एटेंशन नोटिस दिया था। अध्यक्ष ने कहा था मुझसे कि गृह मंत्रालय की मांगे आ रही है और उस पर मैं बोल सकता हूं। इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है।

लद्दाख कितना बड़ा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्र 53,664 मील है और उस में से लद्दाख का 37,753 मील है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है, जिसकी सीमायें पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मिलती हैं। इतना होते हुए भी लद्दाख की तरक्की के लिये कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट 90 प्रतिशत ग्रान्ट देती है, लेकिन उस को लद्दाख के लिये खर्च नहीं किया जाता। मैं इस की तफसील के बारे में कुछ नही कहना चाहता, मैं जब गृह मत्री जी से मिलूंगा तब उन को इसके बारे में बताऊंगा।

दूसरे--मैंने बार बार इस सदन में कहा है कि लद्दाख के लोगों को शेडयूल्ड कास्ट या शेडयूल्ड ट्राइब या बेकवर्ड क्लासेज मे शामिल किया जाय। मुझे कहा गया है कि कुछ कानून ऐसे है, जिनको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया है, वे कानून लागू हैं या नहीं, मैं इसमें नही जाना चाहता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हमारे लोगों को बेकवर्ड शेडयूल्ड कास्ट या शेडयूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाय। हमारा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे है, ये लोग बहुत निर्धन हैं, इन के विकास के लिये जब तक इनको इस कैटेगरी मे शामिल नहीं किया जायगा, तब तक इन का विकास नहीं हो सकेगा।

आप जानते हैं कि हमारा लद्दाख बौद्धों का मुल्क है, लेकिन वहां पर कुछ समय से बौद्ध धर्म को खतरा पैदा हो गया है। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा है लेकिन आज मुझे वहां से जो तार मिला है, उस को मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इस तार का मूल अंग्रेजी में है, लेकिन मैं इस के हिन्दी अनुवाद को आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं—

'हाल में अब्दुल कयूम और मोहम्मद बाकिर ने साबू ग्राम स्थित तारचोक में बौद्ध धार्मिक ध्वजों को उतार फेंका और अनेक लोगों के सामने गाली-गलौच की। लद्दाख के बौद्ध" धर्मावलम्बियों की भावनाओं को इस से गहरी ठेस पहुंची है। स्थानीय शासन अपराधियों को विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रहा। बड़ी संख्या में स्त्री-पुरुष और महामान्य अस कुशोक तोगदान, कुशोक खानपो, कुशोक स्तकना, फियांग के प्रधान लामा, थिकसे और स्तकना मठों के लामा और लद्दाख बुद्ध एसोसियेशन के अध्यक्ष ने प्रदर्शन किया। बौद्धों के प्रति किए गए इस गम्भीर अपराध की निन्दा की तथा उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। लेह में कल और आज हड़ताल रही। स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है। युगों से चली आ रही परम्परायें और परस्पर अच्छे सम्बन्धों को खतरा पैदा हो गया है। अपराधियों को दण्ड देने पर ही स्थानीय जनता को सन्तोष होगा। लद्दाख के बौद्धों की यह मान्यता हो चली है कि धर्मनिरपेक्ष भारत मे उनका पावन धर्म सुरक्षित नही है। यदि एक सप्ताह में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति और बिगड़ कर नियन्त्रण के बाहर हो जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व स्थानीय शासन और सरकार पर होगा।

"अध्यक्ष, लद्दाख बुद्ध एसोसियेशन"

यह तार 25 मार्च का है। इस की कापी में होम मिनिस्टर साहब को दे रहा हूं इस तरह की घटनायें वहां पर हो रही हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। वहां पर पुलिस, कलेक्टर सब मौजूद हैं, पता नहीं कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, इस किस्म की घटनायें वहां पर पहले भी हुई है। कारगिल में लद्दाख के बौद्ध अपना पूजा स्थान और धर्मशाला

[श्री कुशोक बाकुला]

बनाना चाहते थे, लेकिन उनको बनाने नहीं दिया गया। इस पर काफी झगड़ा होने वाला था। जहां बौद्ध मठ हैं, वहां मस्जिदें भी होती हैं और उस पर कोई एतराज नहीं होता है और न एतराज कर सकते हैं। लद्दाख के मुसलमान प्राचीन काल से बौद्धों के साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन अब वह स्थिति बिगड़ने लगी है उस समय मैं मंत्रीमंडल में था, मैंने उस झगडे को रोकने की कोशिश की और समझाने का प्रयत्न किया कि बौद्धों का भी धर्म वहां रहना चाहिये और मुसलमानों का धर्म भी रहना चाहिये और मुसलमानों का धर्म भी रहना चाहिये, और दोनों धर्मों की रक्षा होनी चाहिये। भारत एक धर्मनिर्पेक्ष राज्य है, जिसमें अनेक धर्म हैं, सब धर्मों की रक्षा होती है, फिर लद्दाख में बौद्ध धर्म की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है, यह बड़ा गम्भीर विषय है।

दूसरी बार एक एश्तिहार लगाया था जिस में यह कहा था कि गया लद्दाख से बौद्ध धर्म खत्म किया जायेगा, पाकिस्तान के झण्डे लगाये जायेंगे। उस समय भी वहां बड़ा विरोध हुआ, जलूस निकाले गये, मैं उस समय भी वहां मौजूद था, लेकिन मैंने उन को निकलने नहीं दिया। राज्य सरकार ने हम से कहा कि हम एक्शन लेंगे, एक कमेटी बनायेंगे जिसमें वहां की मुसलमान एसोशियेशन और बुद्धिस्ट एसोशियेशन के लोगों को रखा जायेगा और वे लोग ऐसी बातों को रोकेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ नहीं हुआ।

तीसरी बार अब यह घटना घट रही है। मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में फौरन बातचीत करें। अपराधियों के खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाना चाहिये, वरना लद्दाख में बौद्ध धर्म को खतरा पैदा हो जायेगा। आप जानते हैं कि तिब्बत के बाद हम लद्दाख को दूसरा तिब्बत समझते हैं, इस समय वह बौद्धों का बहुत बड़ा केन्द्र है, बुद्ध धर्म की महायान और हीनयान शाखाओं का एक बहुत बड़ा केन्द्र हम उसको समझते हैं। अगर वहां से हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश की गई तो इस की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर होगी। उस की सरहदें चीन और पाकिस्तान से मिलती थीं, इस वजह से उस क्षेत्र के लिए बाहरी खतरा बहुत बडा था, लेकिन अन्दर कोई खतरा नहीं था, जो अब पैदा हो गया है। इसलिये जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, उनको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, इस समय जम्मू-काश्मीर मन्त्री मंडल में लद्दाख का कोई मन्त्री नहीं है। मैं 10-12 साल तक वहां के मन्त्री मंडल का सदस्य था, लेकिन जब से इधर आया हूं, तब से उस क्षेत्र का कोई मन्त्री नहीं है। इस के न होने से वहां पर गड़बड़ हो रही है और यह गड़बड़ इसी तरह से होती जायेगी। जितना हो सकता है, हम लोग इस गड़बड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना रोक सकेंगे। वहां की जनता कहती है कि हमारा लद्दाख गरीब है, इसलिये उसको सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर लेना चाहिये। लेकिन मैं इस को नहीं मानता हूं और मैंने उनसे यही कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले साल मैंने 14 अगस्त को एक मेमोरेण्डम पेश किया था, जिसमें अनुरोध किया था कि लद्दाख को नेफा पैटर्न पर बनाया जाय। उस समय लोगों ने हम से कहा कि तुम लद्दाख को जम्मू-काश्मीर से काट कर सैन्ट्रल में ले जाना चाहते हो। मेरा यह मतलब नहीं था, वह जम्मू-काश्मीर में ही रहे, लेकिन जैसे नेफा में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्तजाम करती है, उस तरह की व्यवस्था हो। बाद में प्रधान मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी से इस सबंध में बातचीत हुई, हमारे मुख्य मन्त्री सादिक साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी

ऐसा कहने का समय नहीं है, आप इस ख्याल को छोड दो । लेकिन इन घटनाओं को देखते हुए मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है । मैंने 1949 में स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरु जी से भी कहा था कि इस को डाइरेक्टली सेंटर में ले लें। हमारे जम्मू-काश्मीर में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इसको काश्मीर के साथ नहीं रख—हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था, हमारी मांग का उद्देश्य केवल यही था कि लद्दाख बहुत बैकवर्ड है, उसकी तरक्की नहीं हो पाई है, केन्द्र के अधीन आने से उसको तरक्की का मौका मिलेगा । उस समय हम को यही कहा गया कि कुछ कानूनी दिक्कतें हैं, इस लिये इस समय इसको नहीं लेंगे । हमारा उद्देश्य यही था कि लद्दाख मजबूत हो और उसके साथ भारत भी मजबूत हो । तिब्बत को हाथ से छोड़ने में जो खतरा पैदा हो गया है, वह लद्दाख में नहीं है, लद्दाख में कम्यूनिस्टों की हवा भी नहीं है, चीन की हवा भी नहीं है, लेकिन अगर उसकी तरक्की का ख्याल नहीं रखा गया तो वहां भी स्थिति खराब हो सकती है । मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कहे कि इस तरह की घटनाओं से वहां की हालत खराब हो सकती है, इसलिये वह जल्द से जल्द इन्तजाम करे ।

लद्दाख में बिजली भी नहीं है, वहां पर 90 किलोवाट के दो डिजल इन्जिन थे, जिसमें से एक खराब है, एक इन्जिन चलता है, जिससे जनता को बिजली नहीं मिल पाती । कारगिल में मुसलमानों की संख्या बहुत है, उनकी तरक्की करना भी बहुत जरूरी है । वहां पर बिजली पैदा करना कठिन भी नहीं है क्योंकि वहां पर पानी बहुत है, दरियायें बहुत हैं । लेकिन अफसोस है कि अभी तक आपने वहां पर बिजली पैदा करने का कोई काम नहीं किया है । अगर आगे भी आप वहां पर कुछ नहीं करते हैं तो उससे खतरा पैदा होगा । लद्दाख से कोई भी नुमाइन्दा काश्मीर के मन्त्रीमंडल में नहीं लिया गया है । इस वक्त मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मुख्य मन्त्री, श्री सादिक ने कहा है कि बजट सेशन खत्म होने पर वे हमारा नुमाइन्दा लेंगे । अगर वे ले लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो फिर गडबड़ शुरू होगी और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी । क्योंकि जैसा आप कहेंगे वैसा ही राज्य सरकार करेगी । उसको चलाने वाले तो आप ही हैं । लद्दाख के लिए बहुत जरूरी है । कि वहां पर तरक्की हो । उसके लिए पैसा भी मिलना चाहिये ।

16.51 hrs.

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं]

पिछले साल वहां पर एक डिप्टी मिनिस्टर गई थीं और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वहां पर आकाशवाणी का केन्द्र खोला जायेगा । लेकिन अफसोस है कि अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं किया गया है । जब श्रीमती इन्दिरा गांधी मन्त्री मंडल में थी, उस वक्त उन्होंने भी यही कहा था और पिछले साल एक डिप्टी मिनिस्टर ने भी जाकर कहा लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है । वहां पर सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली की है । बहुत से संसद सदस्यों ने वहां पर जा कर देखा है कि बिजली पैदा करने के कितने साधन मौजूद हैं । आपने कह दिया कि वहां पर इतनी बड़ी-बड़ी सब्जी पैदा की गई लेकिन उससे क्या होता है ।

लद्दाख के सम्बन्ध में हमने गजेन्द्रगदकर कमीशन के सामने अपनी मांगें रखी थीं । उन्होंने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी दे दी है । उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि लद्दाख को पैसा कम मिला है और वहां पर तरक्की नहीं हुई है । उन्होंने यह भी सजेस्ट किया है कि लद्दाख से फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर होना चाहिए, वहां पर डिग्री कालेज होना चाहिये और एक पावरफुल डेवलपमेन्ट कौंसिल की स्थापना होनी चाहिये । और भी दूसरी उनकी सिफारिशें हैं ।

[श्री कुशोक बाकुला]

आपको मुकम्मिल तौर पर उन सारी सिफारिशों पर कार्यवाही करनी चाहिये। नहीं करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Madam Chairman, what a pleasure to address the House when you are in the Chair !

The first point which strikes anybody who speaks on these demands is the position of law and order in this country. Much has already been said and I do not want to repeat it. All that I want is that the Home Minister and the Home Ministry should take a greater interest in these things in the sense that they should not wait until information comes or follow the ordinary routine and protocol. But they should themselves be always vigilant to know what is happening in this country and what is to be done in consultation with the local governments. Unless that is done, if they continue the present habit of merely waiting for somebody to report, until a Member of Parliament raises it in the House, the things will not go all right.

There are several reasons why these disturbances are going on. The Home Minister has been giving the reasons. To give reasons is one thing but to act is another thing. We want the Home Minister and the Home Ministry to act more quickly and more expeditiously than they have done so far.

Perhaps, it is not right to say what I myself told him about a particular State as long back as January 23. But nothing was done until January 29. And things went worse and shootings had to take place. It is only now that the Prime Minister is taking some active interest--we see in the papers--and it is only now that the Home Minister is taking active interest. But why should there be so much delay ? My complaint is not that the Home Minister is not acting. But they must act more expeditiously and quickly, particularly in these days, when the things have to be brought under control as quickly as possible because we have got to consolidate our independence. The Government cannot simply sit and think, "Let the report come and see what happens in Nagaland, what happens in Mizo Hills, what happens in Telengana or somewhere else". It is not like that. The situation is more critical now and, therefore, my request to him is that he should take the initiative. Many of the troubles of the Centre-State relationship are coming up, if I may say so, without wounding the feelings of the officers of the Centre or the Ministers of the Centre, because there is a feeling here that we are superiors and that those who are in the State Governments or who are manning the State administrations are subordinates. This kind of feeling must go.

Take, for example, the matter of engineers. The engineers here do not pass higher examination than the engineers who pass and work in our States. They send their proposals here. An enormous amount of time is taken for scrutiny, ticking off with blue pencil and that pencil because that is manufactured in this country and they must use it. Many times, the Planning Commission, the Central Secretariat here, C. W. P. C. ask the State engineers to come and explain proposals. Why should they do so ? Or, take the Finance Department. There also, in the States, it is the I. A. S. officers that are meaning the administration. There also, they have got the Accountant, General. The proposals are sent after being scrutinised by the Finance Department. It may be with regard to loans or something. But the scrutiny takes place here once again and the papers are sent back often for explanations. The reason is, here they feel that they are a superior Government and that the Government in the States are mere colonial governments subject to tutelage; the same thing that was happening in the British days. Madam Chairman, we are sitting in this House with the legacy of British mind. That is the mistake. We should have built a new Parliament House. Perhaps, we would have had a new approach I want, therefore, the Home Minister who is very active-minded gentleman and who has got a lot of imagination, to start

a new chapter in this kind of thing. There must be generated an active living feeling that the Centre at the States are joint partners in a common adventure, the adventure of making India more prosperous and making people more happy and more contened.

With regard to corruption that is going on, two things are primarily responsible for it. This morning, the Lokpal Bill has come. As has already been said, the Lokpal Bill will not be very much of an improvement on the Vigilance Commissioner unless the Government itself removes all the points where corruption is growing. Corruption and nepotism, the twin, brothers, grow on two things, descretionary power and delays.

17 hrs.

The Government takes discretionary powers in every bit of legislation. The second is the scope they give for causing delay. The discretionary powers should be reduced to the minimum. Everybody must be certain about what is going to happen, and it should not depend merely on discretion. For instance, take the age of retirement. They have fixed at 55 years, but if the Government like they can extend an officer's term to 58 years. In States also it is like this. Some proposal was published in the newspapers--I do not know whether it is right or not--to reduce it to 50 years, but at the discretion of the Minister it could be extended further. This particular fact may be right or wrong, but it should not be left to the officers to speculate as to what would happen on a particular date. If they have to retire, they will have to retire. Then there will be certainty and they will not go round the houses of Members of Parliament or around the coridors of the houses of Ministers. On account of this, they lose their indepence in advance. Therefore, I suggest that the discretionary powers in every field wherever they exist now must be reduced to the very minimum. I do not say that all discretion must be taken away. There is a place for discretion, for instance, when there is a question of coming to a particular decision on a quasi-judicial matter. But on other matters there should not be any discretion left.

While talking about Governors and their powers, I would like to say that I have given notioe of a Bill, if the Home Minister agrees, to drop the articles in the Constitution asking the President and the Governors compulsorily to give Addressed to Parliament and Assemblies. No Address of a President or a Governor ever gave any extra light either to the Members of Parliament or to the public. Then what is the purpose in that ? It only adds to the national cost. In fact, the Budget itself provides the occasion when everything can be said. We know what happened in West Bengal recently. And what is likely to happen almost in every State hereafter will be greater friction without giving us any benefit. Therefore, I would ask the hon. Home Minister to consider dropping of those articles from the Constitution. On the other hand, I find that there has been a strong move–because they are prejudiced against the West-Bengal Government–to give more powers to Governors. I specially caution the Home Minister never to accede to that request. If you give more powers to Governors, then what will happen is that there will be two Governments and we will be reverting back to the diarchy of the olden days. Therefore, I want the Home Minister to give thought to this and never to consider giving more powers to Governors. We can imagine what will happen when there is a strong-headed Governor, particularly a gentleman from the ICS cadre. I know, when I was in the Congress, we took objection when an ICS man was appointed as Governor of Orissa; there was an uproar against it. But now it has become an ordinary thing. If you draft a man from the ICS cadre for Governorship what will really happen is that he will introduce diarchy when you give him more powers. Therefore, never think about that.

On the question of language, something has been side. Mr. Kandappan has really voiced what is being felt in non-Hindi-speaking areas. I do not want the senior members here to raise again the whole controversy which we thought came to rest in 1967 wnen the Official Language Amend-

[Shri Tenneti Viswanatham]

ment Bill was passed. We all agreed to that and the Bill was passed and things are going on alright. Therefore, I would request all my frinds not to raise further controversies. But I would say this particular thing. You have a Commissioner for Linguistic Minorities. You have given him a very small status and that status must be raised to that of a Minister of State. Now, I think, he is given the status of a joint Secretary. In fact, if I may say so, it was in one of my private conversations with late Pandit Nehru that the idea of a Commissioner for Linguistic Minorities was developed–some of us sat together; it was a private conversation and then there was the Fazal Ali Commission. . .

SHRI Y. B. CHAVAN : What gave you the idea that the Commissioner for Linguistic Minorities is given the status of a joint Secretary ?

SHRI TENNETI VISWANATHAM : What is his status ?

SHRI Y, B. CHAVAN : His status depends upon the work. It is an office recognised by an Act of Parliament.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : I may tell you why I am saying this, I happened once to reside in the same guest house in which Linguistic Minorities Commissioner stayed. He was an ex-Judge of a High Court. He said that he has got to wait at the doors of the State Ministers. Why is it that such an important person, one of the highest officers appointed under the Constitution, is not given the proper status, I asked. Then he said, 'I am given the status of a Joint Secretary'. That is all. What happens now ? When he is given the status of a Joint Secretary Ministers do not take him with the respect due, his reports are not very much minded. Then also with regard to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, what I would suggest is that his status also should be raised.

Now there is another thing. We have been told that the Planning Commission has been trying to identify all the undeveloped areas in the country. It is good. Instead of leaving it to the States and the vagaries of group politics it is much better that the Central Government itself identify all the undeveloped areas and have some special Commissioner of the same status as other Commissioners to pay special attention to the development of all the undeveloped areas. Just now we have heard a silent gentleman who rarely talks, the hon Member from Ladakh. Now what he has said, we all heard. Only if time is given that will be repeated from the various areas of the country. Therefore, I suggest that a Special Commissioner should be appointed. A Special Commissioner may be appointed to pay special attention to all these undeveloped areas throughout the country.

Now only one point remains. That is the language of Hindi. I do not like to raise any controversy. They say 'one people, one language'. What was the language in those days? We used to call 'Hindustan Hamara'. Then Hindi came. But the Constitution uses the word 'India that is Bharat'. Therefore our official language should be Bharati, that is to say, Sanskrit. I ask the hon Minister, "Will you work for it ?" and conclude.

श्री वीरभद्र सिंह (महासू) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ने मुझे गृह-मंत्रालय की मांगों पर बोलने का मौका दिया। गृह मंत्रालय हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, और आज देश में जो स्थिति पैदा हो रही है उस को देखते हुए इस मंत्रालय की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गयी है। 1967 के आम चुनाव के बाद हमारे देश के राजनीतिक चित्र में एक खास परिवर्तन हुआ हैं और जिस की वजह से राज्यों और केन्द्र के बीच में तनाव बढ़ा है। और आज यह माग की जा रही है कि राज्यों और केन्द्र के बीच के मामलों में उन के आपसी रिश्ते के बारे में फिर से विचार किया जाये और राज्यों को और ज्यादा अधिकार दिये जायें। यह भी मांग की जा रही है कि संविधान के अन्तर्गत जो साधनों

का बटवारा राज्य और केन्द्र के बीच में होना है उसके बारे में फिर से विचार किया जाये। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में लोकतंत्र के लिये और देश की एकता के लिये यह बहुत जरूरी है कि राज्यों और केन्द्र के बीच में किसी प्रकार का तनाव न हो उनके बीच में अच्छे रिश्ते हों, उन के बीच में परस्पर सहयोग हो और अपने बीच में वह ठीक तरह से काम कर सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि जितने भी यह तनाव के कारण हैं हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम उन कारणों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करें। मगर इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम कोई भी ऐसा कदम न उठायें जिसकी वजह से केन्द्र कमजोर हो जाता है।

जहां मैं इस बात के हक में हूं कि राज्यों और केन्द्र के बीच जो तनाव है उसको जितना भी मुमकिन हो सके कम करने की कोशिश की जाये वहां मैं इस बात को भी चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाये जिससे कि केन्द्र कमजोर हो जाये। मैं समझता हूं कि एक सुदृढ़ और शक्तिशाली केन्द्र ही भारत की अखडता एकता को कायम रख सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस ओर ध्यान दे। अब समय आ गया है कि संविधान की धारा 263 में जिस इंटरस्टेट कौंसिल का प्राविजन किया गया है उस कौंसिल को बनाया जाये ताकि इस केन्द्र और राज्यों के रिश्ते के बारे में विचार कर सके। जो भी झगड़े की बातें केन्द्र और राज्यों के बीच में हैं, जो भी तनाव की बातें हैं उन पर वह विचार कर सके और दूसरे भी जो राज्यों के अपने बीच में झगड़े हैं चाहे पानी का झगड़ा हो, चाहे सरहद के बारे में झगड़ा हो उन सब के ऊपर भी यह कौंसिल विचार कर सकती है। इस बारे में पहले भी कई दफा सदन के दोनों ओर से मांग की गई है कि उस कौंसिल का गठन किया जाये उसका निर्माण किया जाये। मैं समझता हूं कि समय आ गया है, जबकि इस बारे में बड़े गौर से और बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर राज्यों और केन्द्र के बीच मे जो तनाव है और जो कि मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में और भी उभरेगें, वह तनाव कम हो सकें।

17.12 hrs

[श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए]

गृह मंत्रालय का और बातों के साथ साथ जो केन्द्र प्रशासित क्षेत्र हैं उन के साथ उस का सीधा सम्बन्ध है। मैं आज हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य की मांग के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। आप को मालूम है कि हिमाचलप्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को लगभग 30 पहाड़ी रियासतों को मिला कर हुआ था और शुरू से ही हिमाचलप्रदेश की जनता को अपने राजनैतिक भविष्य के बारे में कोई भी संदेह नहीं था। उस वक्त के उपप्रधान मंत्री और मिनिस्टर आफ स्टेट्स स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने हिमाचलप्रदेश की जनता को आश्वासन दिया था कि आगे चल कर हिमाचल प्रदेश को दूसरे राज्यों की तरह एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा। इस सिलसिले मे सरदार वल्लभभाई पटेल ने डा० पट्टाभि सीतारमैय्या को जो एक मात्र लिखा था। सरदार पटेल ने 10 मार्च, 1948 को डा० पट्टाभि, सीतारमैय्या को पत्र लिखा था उस में से मैं कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"The ultimate objective is to enable this area to attain the position of an autonomous province of India. This objective would be attained in two stages. The area will, in the first instance be administered by an Administrator, probaly an officers of the Chief Commissioner's status assisted by an Advisory Council consiting of Rulers and representatives of the people appointed in such a manner and with such functions as the Central Government may decide. Subsequently subjects to the decision of the Constituent Assembly it is proposed that the

[श्री वीरभद्र सिंह]

administration should be put in charge of a Lieutenant-Governor assisted by an Advisory Council, representing the Princes and a Legislature in the Province. In the final stage, after this area is sufficiently developed in its resources and administration, it is proposed that its constitution should be similar to that of any other province."

यह स्पष्ट आश्वासन स्वर्गीय सरदार पटेल ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया था कि तीसरी स्टेज पर पहुंचने के बाद हिमाचल प्रदेश को दूसरे राज्यों की तरह एक पूर्ण राज्य बनाया जायगा। मैं आज गृह मन्त्रालय से और खास कर अपने गृह मन्त्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि स्वर्गीय सरदार पटेल ने हिमाचल प्रदेश की जनता को जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन को वह पूरा करें। जितनी भी शर्तें उन्होंने लगाई थी, हिमाचल प्रदेश ने उन शर्तों को आज पूरा कर दिया है।

श्रीमान्, जब भी हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का सवाल आता है तो आम तौर पर तीन बातें सामने रक्खी जाती है। एक रकबा दूसरी आबादी और तीसरी फाइनेंशियल वाएबिलिटी की। अब जहां तक रकबे का सवाल है मैं बतलाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश आज रकबे में पंजाब हरियाणा और केरल राज्यों से बड़ा है। हिमाचल प्रदेश का रकबा 22000 वर्गमील है जोकि इन तीनों राज्यों से बड़ा है। मैं नागालैंड की बात ही नहीं करता वह तो एक जिले के बराबर है। जहां तक आबादी का सवाल है आज हिमाचल प्रदेश की आबादी 30 लाख के लगभग है जोकि जम्मू और काश्मीर की आबादी के बराबर ही है। जहां तक यह रकबे और आबादी की दलीलें है मैं समझता हूं कि यह दलीलें आज काम नहीं करतीं। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय भी इस बात को मानता और समझता है कि आज इन दो दलीलों में कोई भी वजन नहीं है। पिछले दिनों में जब यह मामला राज्य सभा में उठा था उस समय माननीय विद्या चरण शुक्ल जी ने अपने भाषण में इस बात को माना था कि जहां तक आबादी और रकबे का सवाल है यह अब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अब सिर्फ प्रश्न यह है कि एकोनामिक वाएबिलटी की शर्त पूरी होती है या नहीं! एकोनामिक वाएबिल्टी की शर्त अगर पूरी होती है, तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना लेगें। सिद्धान्त: भारत सरकार ने इस बात को मान लिया है कि अगर यह शर्त पूरी हो जाये तो हम हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनायेंगे। श्री शुक्ल ने 9 अगस्त, सन् 1968 को राज्य सभा में जो भाषण दिया था उस में से कुछ अंश मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा :

> We have full sumpathy for the demand (that is the demand for statehood) We do not want to hold back statehood for Himachal Pradesh for a day longer than necessary. As a matter of fact, it is our firm policy to help Himachal Pradesh with financial resources as quickly as possible and once the financial resources become equal to their requirements and they obtain the condition of financial viability we would not hesitate to give it Statehood.

इस से सीधा मतलब यह है कि जहां तक सिद्धान्त का सवाल है भारत सरकार ने इस बात को मान लिया है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया जायेगा। सवाल सिर्फ फाइनेंशियल वाएबिल्टी का है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा यह दावा है कि फाइनेंशियल वाएबिल्टी के लिये जो भी शर्तें हैं आज हम उन को पूरा करते हैं। हिमाचल प्रदेश आज उसी मापदंड से फाइनेंशियली वाएबुल है जिस से कि दूसरे राज्य हैं। वैसे तो क्या आज कोई भी ऐसा राज्य है जिसको आप कह सकते हैं कि वह सही मायनों में फाइनेंशियली वाएबुल है ?

कोई भी ऐसा राज्य देश में नहीं है जो कि अपनी ही आमदनी से अपने प्रदेश का खर्चा चला रहा है। हिन्दुस्तान के सारे राज्य चाहे वह मद्रास हो, यू० पी० हो, अथवा मध्यप्रदेश हो जम्मू कश्मीर और असम की तो मैं बात ही नहीं करता, उन को तो 70–80 फीसदी तक सेंट्रल ग्रान्ट मिलती है, लेकिन मैं और दूसरे बड़े बड़े राज्यों की बात करता हूं, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो कि दावा कर सके कि वह अपने पांव पर खड़ा है वह अपनी ही आयदानी से अपना खर्चा चला सकता है। इस माने में अगर फाइनेंशियल वाएबिल्टी को बहुत ज्यादा खींचा जाये तो फिर हमारा देश भी फाइनेंशियली वाएबिल नहीं है। हम बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रिय सस्थानों–,वर्ल्ड बैंक और रूस अमरीका आदि देशों से कर्जा लेकर अपनी विकास योजनाओं को चला रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल वाएबिल्टी की बात को ज्यादा खीचना एक उचित बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश भी उतना ही फाइनेंशियली वाएबुल है जितने कि दूसरे राज्य हैं और हम यह चाहते है कि एक पूर्ण राज्य बनाने के बाद आप हम को उसी स्तर पर और उन्हीं शर्तों पर कर्जा और अनुदान आदि दीजिये जैसे कि आप दूसरे राज्यों को देते है। यही हमारी आप से दरख्वास्त है।

श्रीमान् जहां तक पूर्ण राज्य की मांग है यह कोई एक व्यक्ति विशेष की मांग नही है, एक राजनैतिक दल की मांग नहीं है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की मांग है, सारी राजनैतिक पार्टियों की मांग है। इस वास्ते मैं सदन का ध्यान आकर्पित करना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश में विधान सभा नहीं थी जब वहां पर क्षेत्रीय परिषद् थी उस वक्त भी वहां पर टैरिटोरियल कौंसिल ने इस बारे में सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास किया था। उसके बाद हिमाचलप्रदेश विधानसभा ने भी सर्वसम्मति से इस विषय में रेजोल्युशन पास किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से और इस माननीय सदन् में मांग की गई है कि हिमाचल प्रदेश की जनता की इस मांग को जल्द से जल्द स्वीकार करें।

श्रीमान, एक प्रश्न हमेशा उठाया जाता है कि अगर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया जाय तो दूसरे केन्द्र प्रशासित प्रदेशों का क्या होगा?

मणिपुर में क्या होगा, त्रिपुरा में क्या होगा, गोआ में क्या होगा, इत्यादि। इस बारे में सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश को दूसरे केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। उनके समकक्ष नहीं रख सकते। क्योंकि शुरु से ही भारत सरकार ने यह माना है कि जहां तक हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश का सवाल है वह दूसरी यूनियन टेरिटरीज से अलग है।

जिस दूसरी बात की तरफ में इस सदन का ध्यान आकर्पित करना चाहता हूं वह यह कि जितने केन्द्र प्रशाशित राज्य हैं उनका निर्माण भिन्न भिन्न राजनैतिक तथा एतिहासिक कारणों से हुआ था। अलग अलग कारण थे और उनके भविष्य का फैसला करने के लिये उनको एक ही थैली में नहीं डाला जा सकता। उन का समाधान अलग अलग तरीकों से करना होगा। मणिपुर की जनता क्या चाहती है, गोआ की जनता क्या चाहती है, दूसरे केन्द्र प्रशासित राज्यों की जनता क्या चाहती है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उन की मांगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिये, लेकिन जहां तक हमारी जनता का सवाल है, वह पूरी आशा लगाये हुए हैं, और भारत सरकार की शीघ्रातिशीघ्र उन की मांगों को पूरा कर के पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिये।

अन्त में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जहां पूर्ण राज्य की हम मांग करते हैं वहां पर

[श्री वीरभद्र सिंह]

हम भारत सरकार के और गृह मंत्री जी के आभारी भी है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिये, उसको आगे ले जाने के लिये, बहुत मदद की है, बड़ी उदारता से मदद की है। मगर साथ साथ हम समझते हैं कि हम बीस साल तक नाबालिग रहे। हिन्दुस्तान के कानून के अनुसार भी 18 साल के बाद नाबालिग बालिग बन जाता है। हम भी अब बालिग हो गये हैं। हम चाहते हैं कि अपने घर के इन्तजाम अब हम खुद चलायें। इस की वजह यह नहीं है कि हमें भारत सरकार पर विश्वास नहीं है या उन के ऊपर हम को कोई नाराजगी है। बल्कि हम चाहते हैं कि हम को बालिगाना हक मिले और अपना काम हम खुद चलायें।

इन शब्दों के साथ में मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं

श्री केदार पासवान (रोसेरा) : सभापति महोदय, में सदन का बहुत आभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका मिला, लेकिन में श्री चव्हाण का भी आभारी हूं जिन्होंने गरीबों पर सहानुभूति नहीं दिखलाई। में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 50 प्रतिशत बेईमानी और भ्रष्टाचार पुलिस के द्वारा होता है। जो गरीब दूसरों के खेत में काम करने के लिये नही जाते हैं उन को वह रात दिन तग करती है। धनिकों का पक्ष लेकर पुलिस चौबिसों घटे दफा 109 या दूसरी दफाओं मे उन को तग करने के लिये तैयार है, जिस का मैं उदाहरण दे रहा हूं। बिहार में दरभगा जिले में एक थाना बहेड़ी है जिसके अन्तंगत नडोगा गांव है वहां एक जमींदार गांव के एक हरिजन को जबर्दस्ती 379 में फंसा कर ले गया और पुलिस ने उस को जेल में रख दिया। इसी तरह से बिहार के बहेड़ी थाना में हाबी मोआर गांव है, वहां के एक हरिजन को जबर्दस्ती फसा कर रख दिया। इस तरह से 50 फी सदी बेईमानी पुलिस कर रही है। इस के लिये हमारे श्री चव्हाण कुछ नहीं कर रहे हैं।

मेरा कहना यह है कि जितने संसद्-सदस्य हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, अगर वह पुलिस द्वारा बेईमानी या डकैती की रिपोर्ट करते हैं तो उन की जांच कौन करता है? वही इन्स्पेक्टर और दरोगा। मगर जहां दही होता है वहां बिलाई भडारी नहीं हो सकती। संसद-सदस्य के लिखने पर इन्स्पेक्टर या दरोगा एन्क्वायरी करें यह बात मेरी समझ में नहीं आती। चव्हाण साहब को इस के लिये दूसरा इन्तजाम सोचना चाहिये। अगर किसी मुकदमे में पुलिस चार्जशीट दे और कोई संसद-सदस्य या कोई विधायक उस के बारे में कोई लिखा पढ़ी करता है तो उस मुकदमे में भ्रष्टाचार निरोध समिति द्वारा जांच कराई जाये।

आज हमारे देश में भाषा का बड़ा भारी झगड़ा चल रहा है। एक आदमी कहता है कि यह भाषा चलनी चाहिये। दूसरा आदमी कहता है कि यह भाषा चलनी चाहिये। मैं उन सबका विरोध करता हूं क्योंकि इस देश की भाषा हिन्दी है। सारे देश की मातृ-भाषा हिन्दी है। अगर कोई और भाषाओं का सवाल उठता है तो इस से देश खण्ड खण्ड हो जायगा। इस से देश की अखण्डता बढ़ेगी नहीं। आज सारे देश में हिन्दी भाषा ही रखनी चाहिये। अगर यह न माना जाय तो देश के सब प्रान्तों की अपनी अपनी भाषा को मान्यता दी जाये तो बिहार में दो करोड़ निवासियों की भाषा मैथिली को अवश्य मान्यता मिलनी चाहिये।

आज देश में जो सब से बडी बेईमानी हो रही है वह यह कि जो गरीब तबके के आदमी हैं उन को खाना ठीक से नहीं मिलता है। चौकीदार की तन्ख्वाह तो है 17 रुपये और उस के अफसर की तन्ख्वाह है 1750 रु०। जिस रूप में यह बात चल रही है आखिर कब तक उसी तरह से चलती जायेगी? मैं चाहता हूं

कि आप को वेतनों में इस प्रकार से सुधार करना चाहिये कि किसी को भी 17 रु० नहीं मिलने चाहियें। आज तो 17 रु० में 17 सेर चावल भी नहीं मिलता है। वह रात दिन पहरा देता है, गश्ती लगाता है। इतने कम रुपयों में उस का काम कैसा चलेगा ? श्री चव्हाण को इस पर सोचना चाहिये।

इस के बाद मैं जिस को हिन्दुस्तान में ब्लाक कहते हैं उस के बारे में कहना चाहता हूं। वहां बी० डी० ओ० इतना अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग लिखते लिखते थक गये। बिहार में राष्ट्रपति शासन हो गया था। बिहार में नित्यानन्द कानूनगो थे उन्हें नित्यानन्द न कहा जाय, उन्हें अनित्यानन्द कहा जाय। इतनी** उन्होंने की। बिहार की सरकारें उन्होंने कई बार तोड़ दी केन्द्रीय सरकार की इजाजत से। बीच में सरकार बनी उस को तोड़ दिया। इस लिये उन्हें अनित्यानन्द कहा जाय।

सभापति महोदय : आप को और जो कुछ कहना हो वह कहें लेकिन गवर्नर के बारे में कुछ न कहें।

श्री केदार पास्वान : वहां पर पहले गवर्नर का शासन था इस लिये क्यों नहीं कहेंगे ?

सभापति महोदय : आप कह सकते हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री केदार पास्वान : आज आप देखिये कि इस देश में गरीबी की क्या हालत है। आज पुलिस को चोरी करनी पड़ती है। पुलिस की तनख्वाह आज 150 रु० है, लेकिन उस के बड़े अफसर की तनख्वाह बहुत ज्यादा है। आज देश में वेतनक्रम इस तरह से होना चाहिये कि 100 रु० से कम नहीं और 1,000 रु० से ज्यादा नहीं। आज हमारे देश में....

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, I think that remark about the Governor was uncalled for.

AN HON. MEMBER : Uncharitable.

SHRI Y. B. CHAVAN : He was making a very drastic allegation against the Governor who should not be discssed on the floor of the House. I request you to think about expunging those remarks.

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi) : He said**

It is unparliamentary and so it should be removed from the records.

SHRI Y. B. CHAVAN : He is a highly respected person in public life. He was a Member of this hon. House. He was a Minister here and he was Governor of another State. I think to make such lighthearted remarks about a respected person is not very good.

MR. CHAIRMAN : That word may be expunged from the records.

श्री केदार पास्वान : सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि आज इस देश में किसी आदमी के पास 2,000–4,000 बीघे जमीन है और किसी के पास थोड़ी भी जमीन नहीं है। इसलिये हमारी उपज बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि जमीन का समान बटवारा कर दिया जाये। जैसे पहले एक आदमी के पास 40 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिये ऐसा कानून पास किया गया था, उस को ही लागू कर दिया जाये। आज किसी के पास 500 बीघे है, किसी के पास 1,000 बीघे और किसी के पास 2,000 बीघे है, और नौकरी भी उसी के आदमी को मिलती है। इसलिये देश में बेकारी बढ़ रही है कि जमीन भी उसी आदमी के पास है और नौकरी भी उसी के आदमी के पास है। आज यह नियम कर दिया जाना चाहिये कि जिस आदमी के पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन

**Expunged as ordered by the Chair.*

[श्री केदार पास्वान]

होगी उस आदमी को सरकारी नौकरी चाहिये। इसी तरह से हमारे यहा बेकारी दूर हो सकती है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि हम सब को रोजी रोटी देंगे और सब के घर में दीप जलायेंगे। लेकिन आज दीप जलने के बदले किसी के घर में भगजोगनी भी नहीं जलती। किसी को आज खाने को अनाज नहीं मिल रहा है और किसी के घर में अनाज सड़ता है। आज इस के लिये हमारे खाद्य मंत्री कोई इन्तजाम नहीं कर सके है।

DR. P. MANDAL (Vishnupur) : Sir, I thank you for giving me time to speak on the Home Ministry's demands. In my speech on the budget. I have spoken about cutting the expenditure on the departments. So, I request the Home Minister to curtail extravagant expenditure on administration. Thereby the additional taxation of Rs 150 crores will be minimised and there will be no deficit of Rs. 250 crores.

Police administration is there to help the people and give protection, but nowadays the police are only used for threatening. The police should be trained to help the public and make themselves friends by their cordial behaviour. If theft and burglary take place in rural areas. the people do not bring it to the notice of the police, because they know that they will get no help from the police. Rather they will be tortured and forced to supply foods etc. Border police are much-more corrupt. In the checkposts, corrupt practice is going on rampantly. The purpose for which the border police and other police are posted in check-posts is not served. Most of them are running behind corrupt practices. So, I request the Home Minister to look into this matter seriously. There is a proverb in Bengali.

"ये सरिशा दिये भुत ताड़ान हच्छे सेई सरिशार भितर भुत ढुके छे।"

Ghost is driven away by mustard, but ghost is within the mustard. So, nothing appreciable is coming out by the above arrangement, because the police is not serving national interest.

State-Centre relations should be cordial. There is a hue and cry in the press daily that the relation is not cordial. The States want more power. Proper thought should be given to this issue in the near future, so that non-Congress governments do not think that they are treated step-motherly. It is an urgent need of the day.

I come to welfare of backward classes. The weaker sections and scheduled castes and scheduled tribes are harassed too much nowadays. Several examples of torture have been discussed on the floor of the House. Yet, these tortures are coming in repetition. Proper attention should be given to this matter, so that such things may not happen in the near future and thereby the weaker sectinos feel secure and safe. *Satabdi* celebrations of the Father of the Nation are coming. He had devoted his whole life for the removal of torture of these weaker sections who have been down-trodden But no such programme has been taken up to solve even the acute problems. Water-supply and minimum land for housing are not yet available to these classes. Untouchability is still prevailing even in the birth place of Mahatma Gandhi, ie. Porbander in Gujarat. From the papers we come to know that Government is trying to do so many things for the welfare of these backward classes. but the Government is not interested in their implementation.

In Government service the percentage of reservation in paper or in advertisements is all right. But, in actual recruitment, they are served with letter of regret that they are technically unfit. This is the misfortune of the backward classes.

Recently there was a circular from the Home Ministry to all the Ministries that there will be reservation in class II and class I post for Scheduled Tribes and Castes on promotion. But several cases have come to notice where this circular is not strictly followed or adhered to. I have myself brought

several cases to the notice of the Social welfare Ministry for necessary action. It is specifically mentioned in the circular that if members of the Scheduled Castes or Tribes are not promoted in those reserved vacancies the reason for the same has to be reported to the Home Ministry. May I know whether the Home Minister has ever received any such papers from other Ministries ? There are several cases where members belonging to the Scheduled Castes and Tribes have been denied promotion even in reserved vacancies. If the Home Minister so desires, I am prepared to supply him the relevant papers for taking necessary action. If he does not show any interest in the implementation of this circular then the only conclusion will be that it is only an eye-wash on paper. So, I would request the Home Minister to post one Scheduled Caste or Tribe member in the UPSC, selection committees of the various Ministries for promotion, State Public Service Commissions and Railway Service Commissions to look after the interest of the backward classes; otherwise, these circulars will remain only on paper.

Then, there should be reservation for scheduled caste and scheduled tribe members in the various corporations, public sector undertakings, private industries, import and export business, transport etc. Otherwise, their economic condition cannot be improved.

Then, giving *khas* land to landless labour will not solve their problems. In addition to land, they should also be given monetary help so that the owner of the gift land may purchase bullocks and meet the expenditure for one harvesting season. Otherwise, the scheme will be a total failure. Because, the labourers earn their livelihood by daily labour. If they work in their own fields, from where will they get money for buying food until the harvesting season. So ? both land and monetary help have to be given, and that too as a grant and not as a loan. Then alone will the scheme be a success. So, I would request the Government to consider carefully the loopholes and defects in the scheme.

Then I come to the question of stipends to members of the backward classes. Pre-matric stipend is not given to all students belonging to the Scheduled Castes and Tribes in West Bengal. Then, even to those to whom it is given it is not given in time; it is very much delayed. The amount of post-matric stipend should be increased. I have received a letter from the Principal of Ramananda College, Bishnupur that he has not yet received stipends for the students even thought ten months have passed, As a result, the boys are not able to pay their dues to the college hostel and the Principal is in great difficulties. I would earnestly request the Minister to expedite the payment so that such difficulties may not arise in future. When there is an arrangement for advance payment of stipend to medical and technical students, I do not know why that facility may not be extended to arts and science students also. This advance money will be ajdusted in final pavment this arrangement was there when disbursement was done from the Centre, but after giving the power of disbursement to the States, such difficulty is arising in West Bengal at least. I know it from the inception of the transfer. So, please do the needful so that the difficulty of students and the Principal may go immediately.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : समापति जी, मैं अपने कुछ उन मित्रों से सर्वथा सहमत हूं, जिन्होंने कहा है कि भाषा के प्रश्न को लेकर देश में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण नहीं करना चाहिए जिससे देश की एकता पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े। परन्तु साथ ही साथ में यह बात भी गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जिस समय संविधान में राजभाषा का प्रश्न आया था और सर्वसम्मत्ति से हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था उसी दिन से यदि अपेक्षित प्रयत्न प्रारम्भ से किये गये होते तो यह प्रश्न इतना न उलझाता। इस समय स्थिति इस प्रकार की है कि देश में सात राज्य ऐसे हैं जिन्होंने उसी भाषा के माध्यम से अपने प्रांत का काम करना शुरू किया है जिसको संविधान में राज भाषा माना गया है। लगभग चार-

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पांच राज्य ऐसे हैं, जिनमें पंजाब, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा शामिल है, जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है-अपनी प्रांतीय भाषाओं में अपने प्रांत का काम करते हुए। तो इस दृष्टि से जब इतने बड़े क्षेत्र ने राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर कर लिया है तो फिर गृह मन्त्रालय का निश्चित रूप से यह दायित्व हो जाता है कि उस के विकास के लिये अपेक्षित रूप से प्रयास प्रारम्भ करे। अभी गृह मन्त्रालय से जो प्रतिवेदन हमें मिला है, इसमें लिखा है कि अब तक लगभग 2 लाख 19 हजार कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मैं अगर भूल नहीं करता हूं तो ये 2 लाख 19 हजार कर्मचारी वे हैं जो हिन्दी भाषी राज्यों के निवासी नहीं है। केन्द्रीय सरकार की नौकरी में 24 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, इन में से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निकाल दें तो इन की संख्या लगभग आधी-12 लाख के लगभग रह जाती है। दो लाख 19 हजार कर्मचारी वे हैं, जिनको विधिवत आपने हिन्दी का प्रशिक्षण दिया है और इन से लगभग दुगने वे हैं जो प्रारम्भ से ही हिन्दी जानते हैं। जब केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में आधे कर्मचारी वे हैं जो हिन्दी की परीक्षायें पास कर चुके हैं, जिनको हिन्दी का प्रशिक्षण देने पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है तो इस अनुपात से आधा काम राजभाषा में प्रारम्भ होना चाहिये था, लेकिन इस प्रतिवेदन को देखने से इस के सम्बन्ध में कोई जानकारी हम को नहीं मिली।

एक और सुझाव मैंने कुछ दिन पहले गृह मन्त्रालय को दिया था और कई बार इस सदन में उसकी चर्चा भी हुई है। जब आप हिन्दी को इस देश की प्रमुख राजभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके है तो इस में आपको क्या आपत्ति है कि संसद में जितने अधिनियम या विधेयक आयें वह मूलपाठ के रूप में दोनों भाषाओं में आयें। गृह मन्त्री जी ने इस विषय में अपने मन्त्रालय के द्वारा कुछ अनुसंधान भी कराया था कि क्या दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जहां अधिनियम या विधेयक दो भाषाओं में आते हैं सभापति जी! कनाडा में इस प्रकार की स्थिति है, वहां दो भाषाओं में आ . हैं। जब वहां दो भाषाओं में मूलपाठ आते हैं, तो उसी प्रकार की स्थिति हमें इस संसद में भी स्वीकार कर लेना चाहिये। जिस समय राजभाषा के रूप में सारे देश में हिन्दी चल पड़े, उस समय केवल हिन्दी में ही आयें। परन्तु जिस समय तक ऐसी स्थिति नहीं है, उस समय तक दोनों भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में आयें, केवल अनुवाद के रूप में न आयें। इस समय राजभाषा विधायी आयोग के अन्तर्गत तमाम पुराने कानूनों का हिन्दी अनुवाद हो रहा है। लेकिन जो इस समय नये कानून पास हो रहे हैं वह अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। उन का फिर से हिन्दी अनुवाद करके सरकारी गजट में प्रकाशित करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि इस विपरीत परम्परा को प्रारम्भ न कर के, यदि अभी से ही उन का प्राधिकृत पाठ हिन्दी में भी आ जाय तो अधिक अच्छा होगा।

अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि हिन्दी का वह स्वरूप होना चाहिये, जिसे हिन्दुस्तानी कहते हैं। दक्षिण भारत के हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि हिन्दी का वह स्वरूप होना चाहिये जो संस्कृत के अधिक निकट है। दक्षिण के लोग उस हिन्दी को स्वीकार करते हैं जो संस्कृत के निकट है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा हैदराबाद का उस हिन्दी को स्वीकार करता है जो उर्दू और फारसी के अधिक निकट है। मैं चाहता हूं कि भाषा के स्वरूप पर किसी प्रकार की खेंच-तान नहीं होनी चाहिये। भाषा अपने स्वरूप को मंजते-मंजते अपने आप निर्धारित कर लेती

है । मैं तो उस हिन्दी को भी हिन्दी कहने के लिये तैयार हूं जिसमें कोई आदमी कहे–मैं संडे–मॉर्निंग को स्टार्ट हो रहा हूं । कम से कम मैं और हो रहा हूं तो उस में हिन्दी के हैं । आगे चल कर वह धीरे धीरे अपना स्वरूप स्वयं बना लेगी । मैं हिन्दी का इस प्रकार का कट्टर और कठमुल्ला समर्थक नहीं हूं जो हिन्दी के साथ उस के शब्दों और उस के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई खेंचतान प्रारम्भ से ही करना चाहते हैं । शब्दों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न की जाय । भाषा को अपना स्वरूप स्वयं बनाने का अवसर दिया जाय ।

दूसरी बात मैं कश्मीर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी को जानकारी है कि अभी कश्मीर की जो वर्तमान सरकार है, उस की दुर्बल नीति का लाभ उठा कर फिर कुछ घुसपैठिये काश्मीर राज्य के अन्दर आने प्रारम्भ हो गये हैं । यह जानकारी भी आपको है कि काश्मीर राज्य में कुछ इस प्रकार के कर्मचारी हैं जो पाकिस्तानी तत्वों का समय-समय पर समर्थन करते रहते हैं । उदाहरण के लिये श्रीनगर जेल से कुछ पाकिस्तानी कैदी भाग गये । हमारी सी० आइ० डी० श्रीनगर के आसपास चक्कर काटती रही । लेकिन वह सीधे पाकिस्तान चले गये और वहां जा कर उन्होंने समाचार दिया कि हम तो यहां पर आ गये हैं, क्यों तुम श्रीनगर के आसपास परेशान हो रहे हो ।

शेख अब्दुल्ला ने नई विष-वमन की नीति अख्तियार की है और फिर से विषाक्तता लाने का प्रयास प्रारम्भ किया है । मैं चाहता हूं कि इस के लिये काश्मीर समस्या का कोई स्थायी समाधान होना चाहिये । मेरी अपनी दृष्टि में काश्मीर का स्थायी समाधान यह है कि काश्मीर को एक पृथक टुकड़े के रूप में न रखा जाय । मैं भारत सरकार की उस नीति का कट्टर विरोधी हूं कि चन्द लाख लोगों के अलग अलग प्रांत बना कर खड़े किये जायें और इस तरह से देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाय । विशेष कर सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ लाख लोगों के प्रांत बनाने की प्रवृत्ति को मजबूती के साथ रोकना चाहिये । इस के लिये मेरा अपना सुझाव यह है जैसा अभी हमारे एक मित्र हिमाचल प्रदेश को बड़े व्यवस्थित शब्दों में एक स्वतन्त्र राज्य बनाने की कल्पना कर रहे थे, वह क्षमा करें, मेरा अपना विचार तो है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर और पंजाब-तीनों को मिलाकर एक मजबूत इकाई के रूप में सीमावर्ती सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया जाय । यह बात दूसरी है कि जैसे महाराष्ट्र विधान सभा का अधिवेशन कभी बम्बई में होता है तो कभी नागपुर में होता है, उसी तरह से इन का अधिवेशन भी कभी शिमला में हो जाया करे, कभी श्रीनगर में हो जाया करे । इस से चण्डीगढ़ की समस्या का भी हल हो जायगा । हरियाणा वाले भी चण्डीगढ़ के लिये लड़ रहे हैं, उनको चण्डीगढ़ दे दीजिये । इधर उन को यह शिमला और श्रीनगर मिल जायगा । दोनों ही पहाड़ी स्थान हैं और ठण्डे प्रदेश हैं । इस लिये एक सीमावर्ती मजबूत राज्य की स्थापना वहां पर होनी चाहिये ।

एक बात मैं केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । केन्द्र और राज्यों के सम्बध में विशेष रूप से–सभापति जी–मुझे कहने की आवश्यकता यों पड़ी कि मध्यावधि निर्वाचनों ने देश के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है ? अनुमान यह था कि पिछली संविद सरकारों का लाभ उठा कर इन राज्यों में फिर से कांग्रेस अपना स्थान बना लेगी । उत्तर प्रदेश में जैसे तैसे जोड़ तोड़कर कांग्रेस ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है, नहीं कहा जा सकता, कब तक वह चल सकेंगे ? लेकिन बाकी राज्यों में परिणाम ज्यों का त्यों रहा । उन में अभी भी भिन्न भिन्न दलों की सरकारें बनी हैं । कभी राज्यपाल को लेकर, कभी रिजर्व पुलिस

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

को लेकर, कभी रेडियो को लेकर उनमें भी झगड़े शुरू हो गये हैं। अभी तो प्रारम्भ ही है, आगे चल कर इस की परिणति कहां होगी, कहा नहीं जा सकता ? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जो जनतन्त्र में आस्था रखनेवाले दल हैं समय रहते उन का सम्मेलन बुलाइये और इन परिवर्तित परिस्थियों में देश के जनतंत्र की रक्षा कैसे करनी है, इस विषय में कुछ मजबूत निर्णय लें।

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई–भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष–श्री कामराज ने मद्रास के प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन का उदघाटन करते हुए इस प्रकार का सुझाव दिया है कि बजाय इस के कि 1972 के बाद जब केन्द्र में कांग्रेस का बहुत बहुमत नहीं होगा, तब इस पर विचार हो, अभी समय रहते इस पर विचार किया जाय। 1970 में राज्य सभा में भी कांग्रेस का बहुमत समाप्त होने वाला है। उस के बाद यहां से विधेयक पास हो कर वहां जाया करेंगे और फिर वहां से यहां वापस आयेंगे। क्या आप रोज–रोज ज्वाइन्ट सेशन बुलाया करेंगे। आज मौका है कि आप इस समस्या पर विचार करें और इस का निदान ढूंढें ताकि हमारे जनतन्त्र के लिये इस प्रकार कोई गंभीर समस्या पैदा न हो।

एक बात शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और विशेष रुप से अपने प्रदेश–उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री जी को मैंने एक पत्र लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि मैंने गृह मन्त्री जी को भी भेजी है। उस पत्र में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालते ही किस तरह से राजनीतिक बदले लेने प्रारम्भ कर दिये हैं। वहां की विधान सभा के सदस्य इस प्रकार के पत्र लिख रहे हैं। पटियाली एटा जिले का एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से श्री तिरुमल सिंह ने मुझे पत्र लिखा है कि मेरे मारने के लिये, कत्ल करने के लिये कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। मेरे सहयोगियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह मेरठ जिले के जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं–आपको जानकर आश्चर्य होगा–300 व्यक्तियों के खिलाफ वहां पर रिपोर्टें दर्ज हैं। उन 300 व्यक्तियों में एक हमारे संसद के सदस्य श्री रघुवीर सिंह शास्त्री की धर्मपत्नी का का नाम है। उन का अपराध यह था कि वह बेचारी निर्वाचन के दिन अपना मत देने के लिये अपने गांव चली गई और सायंकाल अपने पति के साथ लौट कर चली आई। इस प्रवृत्ति से क्या राज्य में शान्ति और व्यवस्था कायम रह सकेगी। मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता कि मुजफ्फरनगर में जिस कांग्रेसी प्रत्याशी की हत्या हुई थी-उस को अच्छा कहूं। यह मेर स्वभाव के विपरीत है। लेकिन तथ्यों की तह में जाना चाहिये।

मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं–अभी गोरखपुर के अन्दर भारतीय क्रांति दल के दो कार्यकर्ताओं की हत्या एलेक्शन के बाद में हुई है। उसके सम्बन्ध में आप एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण की नियुक्ति करें जो कि इन सारी घटनाओं की तह में जा सके। राजनीतिक बदले की भावना से यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियां प्रारम्भ हो गई और जनता ने शांति और व्यवस्था का अधिकार अपने हाथों में ही ले लिया तो मेरा अनुमान है कि प्रांतीय सरकार को भी कठिनाई पड़ेगी और केन्द्रीय सरकार को भी कठिनाई पड़ेगी। आज इस बात को मिल कर सोचने की बड़ी आवश्यकता है।

एक बात मैं राज्यों के पारस्परिक झगड़ों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार की कुछ ऐसी नीति बनती चली जा रही है कि इस प्रकार के विषयों को टालो, टालो,

टालो, शायद अपने आप भूल जायेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वे और अधिक उग्र रूप में सामने आयेंगे। आज आप जो मैसूर-महाराष्ट्र का विवाद है उसको देख लीजिए, कृष्णा–गोदावरी विवाद को देख लीजिए, नर्मदा के विवाद को देख लीजिए या चंडीगढ़ विवाद को देख लीजिए। ऐसे सारे प्रश्नों को आप टालना चाहते हैं और यह समझते हैं कि लोग उनको भूल जायेंगे या उनके मस्तिष्कों की उग्रता समाप्त हो जायेगी। परन्तु मैं समझता हूं आप उनके मस्तिष्क की उग्रता को और प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए वीरता के साथ, बहादुरी के साथ आप इन प्रश्नों का समाधान कीजिए, उनका कोई न कोई हल ढूंढिये।

श्री स० मो० बनर्जी : एक विवाद और है–चन्द्रशेखर और मोरारजी का झगड़ा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वह उनका घरेलू झगड़ा है।

तो इन तमाम बातों को लेकर उनका समाधान कीजिए। इस प्रकार से इन समस्याओं को टालने की जो प्रवृत्ति है वह कोई समझदारी की बात नहीं है। उनका कोई न कोई हल आपको अवश्य ढूंढना चाहिए।

स्वतंत्र पार्टी के एक हमारे मित्र श्री लोबो प्रभु जिन्होंने गृह मन्त्रालय की अनुदानों पर चर्चा प्रारम्भ की थी, उन्होंने एक बात कही जिससे मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि इस देश में बहु-संख्यकों को अल्प–संख्यकों पर अविश्वास करने की आदत सी होती जा रही है। मैं नहीं समझता उन्होंने यह बात किस आधार पर कही? उन लोगों पर तो निश्चित रूप से अविश्वास है जो रहते तो यहां हैं, खाते-पीते तो यहां हैं, हवाओं में यहां की सांस लेते हैं लेकिन हित की कल्पना कराची की करते हैं या पीकिंग की करते हैं। उन लोगों पर निश्चित रूप से अविश्वास है। भारत में अराष्ट्रीय कार्य करनेवाले कुछ विदेशी क्रिश्चियन मिशनरीज, जिनमें पादरी फेरर हों या कोई और हों, उनकी आलोचना तो होती है परन्तु क्या कभी आपने देखा कि भारत के अल्पसंख्यक पारसियों की भारत के किसी कोने में आलो–चना हुई हो? कारण यह है कि उन्होंने इस देश के राष्ट्रीय जीवन में अपने को इतना आत्मसात कर लिया है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा ही नहीं होती। आलोचना तो केवल उनकी होती है जो कि यहां पर हमारी राष्ट्रीयता को धर्म प्रचार की आड़ में चुनौती देते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 1968 के अन्त में हमारे देश में 6,393 विदेशी इसाई प्रचारक हैं। गांधी जी ने लिखा था कि जो विदेशों से मिशनरी यहां पर आकर काम करते हैं उनकी सेवा उसी प्रकार की है जैसे मछली पकड़ने वाला कांटे के अगले हिस्से में आटा लगाकर तालाब में डालता है। उस में उसका उद्देश्य मछली का पेट भरना नहीं होता है बल्कि उसके पीछे उसका उद्देश्य कुछ और ही होता है। तो इस प्रकार से जो लोग धर्म परिवर्तन की आड़ में राष्ट्रीयता में भी परिवर्तन करना चाहते हैं, मेरा कहना है कि उन व्यक्तियों को यहां से हटाना चाहिए। विदेशी धर्म प्रचारकों के स्थान पर, जबकि भारत में ही इसाइयों की इतनी संख्या है, उन्हीं में से आप उन धर्म प्रचारकों की पूर्ति क्यों नहीं करते हैं? विदेशी प्रचारकों में ही ऐसे कौन से लाल लगे हैं कि उन्हीं को बुलाकर आप प्रचार करना चाहते हैं।

अन्त में दो एक बातें विशेष रूप से और कहना चाहता हूं। एक बात कहूंगा मद्यनिषेध के सम्बन्ध में। यह गांधी शताब्दी का वर्ष है। इस वर्ष में सन 64 की टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट पर आपने निर्णय लेना है। मेरा कहना है कि या तो आप हिम्मत से कह दीजिए कि गांधी जी ने जो हमको तीन काम दिये थे, खादी का, मद्यनिषेध का और हिन्दी की प्रगति

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

का, उनके आदर्शों से हम हट रहे हैं। ताकि देश जान तो ले कि आप कहां खड़े हुए हैं। एक ओर तो आप गांधीजी का नाम लेते हैं और दूसरी ओर गांधीजी के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। याद रखिए, 1969 के इस वर्ष में जोकि गांधी शताब्दी का वर्ष है, यदि आपने मद्यनिषेध के सम्बन्ध में किसी प्रकार से अपनी निश्चित नीति की घोषणा नहीं की, जिसको संविधान में भी आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं। उसके लिये भले ही आप गांधीजी की जय के नारे लगाते रहें परन्तु निश्चित रूप से देश यहां कहेगा कि आप गांधीजी का नाम तो लेते हैं लेकिन गांधीजी के कामों से बहुत दूर जा चुके हैं। इसलिए इन समस्याओं पर आपको विचार करना चाहिए।

अन्त में एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। मेरे पास लगभग 14 केसेज इस प्रकार के हैं जिनमें संघ लोक सेवा आयोग ने अवैध रूप से नियुक्तियां की हैं। उन केसेज को मैं निजी रूप से गृह मन्त्री के पास भेजूंगा। मेरा कहना यह है कि संघ लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष निर्णय की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उसकी पवित्रता बराबर बनी रहे, इस दिशा में भी आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए।

SHRIMATI ILA PALCHOUDHARI (Krishnagar): I thank you Sir, for giving me time to participate in this discussion.

The Home Ministry's demands for grants are being discussed today in a shaow. What is happening in West Bengal today and viciates the atmosphere there, I do not suppose, reaches Delhi,

I am very happy that the Ministry has increased the grants under the Central Reserve Police, under the Border Security Forces and also under the Central Industrial Security Force which has been newly created. I congratulate the Home Minister. This was entirely necessary. What is happening to the people in West Bengal can be realised when I say that when the students go and break up the B. Sc. examination, the Police stand by. When squatters go and occupy the banks of the canals of the irrigation works, the Police simply stand by. When people are threatened to leave their houses within twenty four hours or be killed, the Police stand by. "We are very sorry", they say, "but we can do nothing." What is the attitude of the Government over there ? We say that the State-Centre relations should be cordial. How can it be cordial when things like this are said at public meetings ? I will quote one or two choice bits for the knowledge of the House. In public meeting, Shri Jyoti Basu has said the other day that "the movement in Pakistan is welcome and the people of Bengal should join hands with them. " Secondly the joint convener of the United Front Shri Sudhin Kumar said "We have conquered Bengal, we will soon conquer Delhi. " Thirdly, Shri Narain Das of the SSP said, "Our next move would be to overthrow the present Central Government in Delhi. "

SHRI GEORGE FERNANDES : What is wrong with that ? (*Interruptions*).

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : When these "sort of things are said, it is time that all forces that lead to peace for the people should be strengthend. My submisson is that the police force must be under independent control, and not under political control. They must protect; and maintain, law and order. The Central Reserve Police should on no account be withdrawn from West Bengal.

I have brought to the notice of the Chief Minister of West Bengal 35 cases of murders and arson having taken place and all the answer that I have got from him is "I am asking the appropriate authorities to examine these cases" . That is all ! (*Intrruptions*) When it is an acute case of people getting killed, the "appropriate authority" should have examined them and taken some decision by this time.

SHRI S. M. JOSHI (Poona) : All these cases occurred when you were in power.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHARI : No, after you and the U. F, Government came to Power. I have cited 35 cases of murder and arson, there are many more.

AN HON MEMBER : It should open your eyes.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHRUI : Yes it is true, it should open their eyes. While the Government are looking into it, many more people are getting Killed !

One point I would like to bring to the notice of the Home Minister. *(Interruption)*. You have your own time. You can contradict me later if you can, but I will give you the facts. I would just like to bring to the notice of the Minister that I come from a border area. What is happening in Pakistan and what is the attitude of the Government there ? The borders must really be secure and I would request that the Border Security Forces may be strengthened still further without any delay. Sir, already Pakistan flags are being distributed in the border areas, though some of these have, I am glad to say, been burnt, and not accepted ! When you make the Border Security Forces stronger.which you must do, please look to the border roads because the Border Security Forces in Nadia have told me that should anything happen, some of the border roads are so impassable that they cannot be used effectively if there is even a slight shower of rain. Both Pakistan and China have all weather roads to the borders of India. We need all-weather roads wherever we have our border with China and Pakistan.

Secondly I wish to bring to the notice of the Minister a vital problem. There are minority communities in my area living on the borders. They are honest and loyal citizens of India. They have asked for India citizenship. It has gone through vicissitudes because citizenship has some technical difficultes. There may be some difficulties-I do not know. However, they should feel secure, they should feel secure to live in India and there should not be any harassment and if they ask for citizenship, that should be granted without any delay. I would appeal to the hon. Minister that when I bring specific cases, I hope he will kindly look into them, and see that citizenships asked for are given we want the minority Community, the Muslims, to feel secure, with every right as Indian citizens safe guarded for them, Then, Sir, I want to say that the U. F. Government has made a very funny suggestion, the other day. The subject of corruption is being talked about so much from the opposition benches.

18 hrs.

But what have the UF Government in West Bengal said about it ? About Anti-corruption tribunal, it is stated that there was a controversy over the matter and at the UF sitting held on Sutarday they said that they wanted to take a lot of time to consider the setting up of such an anti-corruption tribunal. In contrast to that, what has our Government done in the Centre ? The Central Bureau of Investigations, I must say, must be congratulated. Because. Sir, they have gone into cases of corruption. Upto date they have got 50 Government servants, including 2 gazetted officers and 57 private persons, convicted and Rs. 1,24,302 has been levied as fines. On top of that, there are departmental punishments, in 238 cases, There were 297 public servants including 49 gazetted officers who were punished, as they deserved. That shows the attitude of the congress Government and of the U. F. Government. The U. F. Government would wish to take a lot of time to consider the matter of eradicating corruption, while the Congress Government at the centre has taken action.

Next, I would like to bring to the Home Minister's notice the accumulation of cases in the courts. It is really a hard thing for the public. Government have given some statistics in answer to my question and certain information has been furnished on the Floor of the House I would like to bring to the Minister's notice that there are 3,56,831 cases pending in the courts and in the Calcutta High Court 61,541 cases are pending. This is a very great hardship if cases are not disposed of quickly. Mr, Justic J. C. Shah, the Judge of the Supreme Court of India has made a remark that the whole judicial system would break down unless the

[Shrimati Ila Palchoudhrui]

cases are disposed of quickly. I hope the hon Home Minister will find some way of doing it. A good number of the cases are incometax cases and I would like to bring to the notice of the House that income-tax arrears as on 1st April 1968 stood at Rs. 374.52 crores and this includes, Rs.79 61 crores as arrears out of demand made during 1967-68, If all these arrears are collected most of our fiancial difficulties would be over. Justice should be dispensed quickly. Sir, justice delayed is justice denied.

AN HON. MEMBER : As it is in U. F. Government in Bengal.

SHRIMHTI ILA PALCHUDHURI Yes I agree with that. Next I would like to make a point regarding the freedom fighters who have given their lives for the country. Now, they get a certain pension. These pensions are very paltry sums. I think most of them get Rs. 30 or even less. We have our freedom fighters who have been disabled, some of them are blind; some of them are living in utter poverty. They have given their all for India, I know of a number of persons whose pensions are going to end in Jurc or July, If the Government Servant1969. gets a pension for life, should not a freedom-fighter get his pension as long as he lives ? I hope this will be done.

And, lastly, Sir, about the cellular jail in the Andamans. This has remained in the memory of the people for a long time. I would appeal to the Home Minister that the cellular jail in the Andamans should be treated as a national monument because there, the future generations could go and get new inspiration. For the love of India, men have been sent there who have given their lives. The cell of Vir Savarkar is preserved there, The cell where Beren Ghose, the great revolutionery of Bengal lived is also there. There are variours freedom-fighters from Bengal and India, who have suffered sentences in the cellular jail. Their names should be written in letters of gold on stone and not on a black-board with white paint, as has been done.

Let this be declared as a national monument, Let the Home Minister himself take this matter up because many people have given their lives and served their sentences in that Cellular Jail and therefore let that not be demolished, but on the other hand let in remain as a beacon of fire to inspire others, Our leaders have suffered for India, for these who did, They consider death as the carrying on of the torch of freedom, those who were sent to that jail, have given the fire of their heart there, I hope the Cellular jail will be named as a national monument and will be preserved and not demolished, Hospitals, Sir, can be bulit anywhere else. I heard that the Cellular Jail in going to be made into a hospital. I strongly oppose this idea. Let it remain as a monument with the names of the people who served their sentences there and served India in the process, a place of pride and a place of pilgrimage for all Indians, I warmly support the grants.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : सभापति महोदय, आज मैं एक ऐसे आन्दोलन की ओर सकेत करना चाहती हूँ जो आंध्र प्रदेश में चल रहा है, परन्तु उस की गूंज भारत के कोने कोने में पहुँच रही है, ग्रोर भारत की एकता को चुनौती दे रही है ।

इस आन्दोलन का आज का स्वरूप भी कुछ ऐसा विलक्षरण है कि सरकार तथा जनता को इस पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये । जैसा हम सब जानते हैं, तेलगाना एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और उस की उन्नति के लिये विशेष ध्यान देने की ग्रावश्यकता है । यह आवश्यकता मुद्दत से रही है और आगे भी मुद्दत तक रहने वाली है ।

राजनीतिक तथा आर्थिक विकास क्रम में मौलिक अन्तर यही है कि राजनीतिक परिवर्तन एकाएक हो सकते हैं, जो देश आज परतन्त्र है, कुछ ही दिनों में स्वतन्त्र हो सकता है, यदि इस के लिये ग्रनुकूल परिस्थिति एकाएक उत्पन्न हो जाये तो सरकारें देखते देखते बनती हैं और समाप्त भी हो जाती हैं । नेताओं का उत्थान और पतन, साम्राज्यों का निर्माण

और पतन, साम्राज्यों का निर्माण और विघटन—ऐसी कई घटनायें बड़ी क्षिप्र गति से घट सकती हैं और घट रही हैं। परन्तु आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आते हैं वे बहुधा दीर्घकालीन ही हुआ करते हैं। दशक ही नहीं शताब्दियों के बीतने पर भी किसी समय जनता की आंखों को चकाचौंध करने वाला आर्थिक विकास एकाएक नहीं हो सकता। आर्थिक प्रगति किसी भी देश मे क्रमिक ही हो सकती है। ऐसा होना अनिवार्य है।

तेलंगाना प्रान्त का इतिहास सामन्तशाही शोषण का रहा है। आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से यह प्रान्त सदियों से पिछड़ा हुआ रहता आया है। निजामशाही में जो भी प्रगति हुई वह इतनी थोड़ी और अपर्याप्त रही कि जनसाधारण ने किसी विशेष लाभ का अनुभव ही नहीं किया। निजामशाही के अन्त होने के उपरान्त सन्धिकाल की समस्याओं की इतनी भरमार रही कि जनता की सरकार को जमकर आर्थिक प्रगति के कार्यक्रमों को तेजी और लगन से आगे बढ़ाने का अवसर ही नहीं मिला। इतने में भाषावार राज्यों की रचना की मांग आई और तदनुसार विशाल आन्ध्रप्रदेश बना और तेलुगू बोलने वाली चार करोड़ जनता जो कई राज्यों बिखरी हुई थी, उस का अधिकांश एक राज्य शासन में आ गया। समूचे आन्ध्रप्रदेश की उन्नति और विकास का इतिहास प्रारम्भ हुआ।

आन्ध्र प्रदेश के बनते समय आन्ध्र और तेलगाना प्रान्तों की आर्थिक तथा अन्य बातों में असमानता के बारे में काफी सोच विचार किया गया था और उसी के परिणामस्वरूप एक समझौता बना जो जेन्टुलमैन्स ऐग्रीमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते में तेलंगाना प्रान्त को कुछ विशेष सुविधायें दी गई थीं और आन्ध्र प्रदेश सरकार को उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश दिया गया था। इस समझौते को एक मुख्य बात यह थी कि तेलंगाना प्रान्त की नान-गजेटिड मुलाजमतों पर उसी प्रान्त के निवासियों की नियुक्ति की जायेगी। साथ ही उस में यह भी था कि तेलंगाना प्रान्त से सरकार की जो आय होगी, वह सारी उसी प्रान्त पर खर्च की जायेगी। इसके साथ साथ तेलंगाना के लिये उस प्रान्त से चुने गये विधायकों की एक प्रान्तीय समिति भी बनाने का सुझाव हुआ और आगे चल कर ऐसी प्रान्तीय समिति बनी भी थी।

इस समझौते के आधार पर यह आशा की गई थी कि दोनों प्रान्तों की प्रगति और आपसी मेलजोल बढ़ता जायेगा और भावनात्मक एकता दृढ़ होगी।

आंध्र प्रदेश उन इने गिने राज्यों में से एक है जहां शान्ति और स्थिरता का कई वर्षों से दौर दौरा रहा है। राज्य अमन और प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। राज्य के सभी प्रान्तों के बीच भावनात्मक एकता मजबूत होती गई और राज्य के सारे लोग बड़ी हद तक आपस में घुल मिल कर रह रहे थे। परन्तु आज बारह बरस के बाद दुर्दैव से हम आंध्र प्रदेश का कुछ और ही चित्र पाते हैं। अचानक प्रान्तीयता की भावना उमड़ पड़ी है और कई जगहों पर हिंसात्मक वारदातें हुई हैं। जो घाव हरा हुआ है उसके कारणों की छानबीन करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा नहीं किया गया तो भय इस बात का है कि आंध्र प्रदेश के दोनों प्रान्तों का वैमनस्य बढ़ता ही जायेगा और समूचे राज्य की प्रगति में कई प्रकार के विघ्न आ पड़ेंगे।

मैं अभी कह चुकी हूं कि 1956 में किये गये समझौते की एक शर्त यह थी कि तेलंगाना प्रान्त की नान-गजेटिड मुलाजमतें उसी प्रान्त को दी जानी चाहियें। आज दस बारह साल के बाद यह पाया गया कि एक हद तक इस शर्त का उल्लंघन हुआ है और कोई दो तीन हजार तेलगाना प्रान्त की मुलाजमतों पर आंध्र प्रान्त के लोगों की नियुक्ति हुई है। सारे

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा]

प्रान्त की दृष्टि से यह संख्या बहुत अधिक तो नहीं कही जा सकती तथापि समझौते की खिलाफवर्जी की दृष्टि से काफी गम्भीर है।

इसके अलावा आज देश भर में और विशेष कर आंध्र प्रदेश में उद्योगों के अभाव में जो बेरोजगारी फैली है उस पृष्ठभूमि में यह समस्या अत्यन्त असन्तोषजनक हो गई है जो मेरी राय में बड़ी हद तक स्वाभाविक है।

अब मैं समझौते की दूसरी शर्त पर आती हूं। वह यह थी कि तेलंगाना प्रान्त में जो राजस्व वसूल होगा उसे वहीं खर्च किया जायेगा। दुर्भाग्य से इस शर्त का भी उल्लंघन होता आया है जो अवश्य शोचनीय है। प्रान्त प्रान्त के बीच जो आर्थिक असन्तुलन है उसे निकाल देने के लिये पिछड़े हुये प्रान्तों पर विशेष ध्यान देना चाहिये, यह बात सभी को मान्य है। परन्तु प्रत्यक्ष में ऐसा बहुत कम हुआ करता है। कई कारणों और दबावों के परिणामस्वरूप जिस प्रान्त में प्रगति पहले ही हो चुकी होती है उसी प्रान्त में आगे भी अधिक सुगमता से प्रगति हो जाती है। जो प्रान्त पहले से पिछड़ा हुआ होता है वह साधारणतया पिछड़ा हुआ ही रह जाता है। यदि इस परिणाम को रोकना हो तो राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक तीनों स्तरों पर अटल निर्णय लेने होगे और ईमानदारी से उन्हें कार्यान्वित करना होगा। अनुभव बताता है कि यह कोई आसान काम नहीं है। तथापि आज की स्थिति में यही प्रयत्न करना अनिवार्य है। कोई और विकल्प हमारे सामने नहीं है।

तेलंगाना प्रान्त से जो राजस्व प्राप्त होता रहा, उस का कुछ भाग अन्य प्रान्तों में खर्च किया गया और उस हद तक तेलंगाना की प्रगति कम हो गई, यह बात अब स्पष्ट हो गई है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि पिछले बारह बरस में तेलंगाना प्रान्त में जो कुछ प्रगति हुई है वह कोई कम नहीं है। लेकिन इस के बावजूद भी यह प्रान्त आज तक पिछड़ा हुआ है और इसी लिये यहां के लोग सोचते हैं कि कम से कम इस प्रान्त में वसूल होने वाली आय यहां खर्च की जाती तो प्रगति अधिक होती। उन का ऐसा सोचना भी स्वाभाविक है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि तेलंगाना प्रान्त का राजस्व जितना आज तक खर्च नहीं हुआ है, उसे चौथी पंचवर्षीय योजना काल में खर्च किया जायगा। यह निर्णय उचित है। परन्तु निर्णयमात्र से जनता का सन्तोष नहीं होगा। इस के लिये एक ऐसा कार्यक्रम बनना चाहिये जिस के अनुसार प्रत्येक वर्ष में इस बात पर कड़ी नजर रखी जायगी कि तेलंगाना प्रान्त की प्रगति के लिये जो रकम रखी जाती है, वह अवश्य इसी प्रान्त में खर्च हो और उसी वर्ष में हो। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है और मैं आशा करती हूं कि वह व्यवस्था सफल होगी।

सभापति महोदय, यह जो समझौता हुआ है, इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। यह समझौता शर्तिया नहीं था और न ही वह सर्वकालीन था। एक पिछड़े हुये प्रान्त की प्रगति को शीघ्रतर करने का ही इस समझौते का उद्देश्य था। तेलंगाना में जो असन्तोष पैदा हुआ है, उन त्रुटियों को सुधारने की तुरन्त चेष्टा की जाय और उसे राजनीतिक नारेबाजी से अलग रखा जाय। दरअसल इस मामले में राजनीतिक नारों की कोई गुंजायश ही नहीं है। यह एक आर्थिक समस्या है, पिछड़ेपन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, विकास की समस्या है। इस का राज्य रचना या पुनर्रचना से कोई सम्बन्ध नहीं है और ऐसा सम्बन्ध करने की चेष्टा व्यर्थ है, अर्थहीन है। अलगाव की प्रवृत्ति आज देश में यत्र-तत्र बढ़ रही है, इस का हम सब को मान है। इस लिये यह प्रश्न अकेला तेलंगाना का नहीं है, इस बात का भी

हमें पूरा पूरा भान होना चाहिये । यह प्रश्न है सारे भारत का, भारत की एकता का । भारत में 16 या 17 राज्य हों या 50 या 60 राज्य बना कर भी और अधिक की मांग सदा के लिये बनी रहेगी तथा प्रान्तीयता और उपप्रान्तीयता का विष देश को छिन्न-भिन्न कर देगा । स्पष्ट है कि कोई भी देश का हितचिन्तक इन खतरनाक प्रवृत्तियों को सहन नहीं करेगा । मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इन प्रवृत्तियों को उभरने न दें और उन समस्याओं को हल करने की चेष्टा करें जिन के कारण ये प्रवृत्तियां पैदा होती हैं ।

देश भर में कई ऐसे प्रान्त और इलाके हैं जो और इलाकों से बहुत पिछड़े हुये हैं । कोई भी राज्य ऐसे इलाकों से खाली नहीं है और न ही रह सकता है । राज्यों की रचना चाहे जैसे की जाय, परन्तु यह स्थिति बनी रहेगी । इस लिये पिछड़े इलाकों के भी अलग राज्य नहीं बन सकते और न विकास प्राप्त इलाकों के ही बन सकते हैं । ऐसी मांग एक दम फिजूल है, हानिकर है । होना यह चाहिये कि योजना कमीशन ऐसे पिछड़े हुये इलाकों की स्थिति की पूरी छानबीन करे और उन के पर्याप्त और समयबद्ध विकास के लिये विशेष योजना बना कर राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित कराये । इस योजना के लिये पैसा अलग रखा जाना चाहिये और उस का किसी और काम में उपयोग करने की पाबन्दी होनी चाहिये ।

इस प्रकार की विशेष योजना 10-12 वर्ष पहले की जाती तो आज देश में जो आर्थिक विषमता बढ़ती हुई मात्रा में पाई जाती है, उस की रोकथाम हो जाती, पर ऐसा नहीं किया गया । मैं मानती हूँ कि अब इस मामले में विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

आन्ध्र प्रदेश उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम कर रहा है । इस दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश का अपना विशेष महत्व है । भारत के भावनात्मक एकीकरण में आन्ध्र प्रदेश भरसक प्रयत्नशील है और रहेगा । इस एकीकरण को आगे बढ़ाने के सब प्रयास करने होंगे । मेरा विश्वास है कि हाल में जो अवांछनीय वातावरण आन्ध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उस से तुरन्त ही मुक्ति मिलेगी और राज्य की प्रगति यथा सम्भव शीघ्रतिशीघ्र आगे बढ़ेगी ।

धन्यवाद ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, सबसे पहले मैं होम मिनिस्टर साहब का न सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूं बल्कि उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं । आसाम के इतने बिगड़े हुये मसले को उन्होंने इतनी खुश अस्लूबी से, इतने शानदार तरीके से, सारी पार्टीज को साथ लेकर जिस तरह से उन्होंने सुलझाया, पहले तो इस बात पर मैं होम मिनिस्टर साहब की तारीफ करता हूं । दूसरी बात यह कि जो नागालैंड का बिगड़ा हुआ मसला था जोकि बीस साल से बस में नहीं आता था, न मिलिट्री के बस में, न लोकल गवर्नमेंट के बस में, न पार्टीज के बस में, वहां पर जो तब्दीली आई है, वहां की पापुलेशन और वहां के अनासिर का अमन की तरफ जो रुझान हुआ है उसके लिये जहां सारी सरकार जिम्मेदार है इतना अच्छा माहौल लाने के लिये उसमें ज्यादा जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है । इस बात के लिये भी मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं ।

तीसरी बात यह कि कश्मीर के मसले पर शेख अब्दुल्ला साहब जो अकड़े फिरते थे, बात ही नहीं करते थे, इनसान को इनसान नहीं समझते थे, उनका जो दिमाग सही हुआ है और वहां पर पहले के मुकाबले में जो अमन का माहौल कायम हुआ है और साथ ही साथ वहां पर जो विदेशी अनासर और कुछ वहीं की फिरकापरस्त ताकतें काम करती थीं उसके मुताल्लिक जो हालात सुधरे, उसमें ज्यादा हिस्सा होम मिनिस्ट्री का ही है । इसके लिये भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं ।

[श्री रणधीर सिंह]

इससे भी जरूरी एक बात और है। इस देश की 9 स्टेट्स में इस गवर्नमेंट और कांग्रेस की मुखालिफत थी, उनमे से चार पांच स्टेट्स में निहायत पुर-अमन हालात में एलेक्शन्स हुये हैं, चाहे एलेक्शन कमीशन की मार्फत या गवर्नमेंट की मार्फत, वहां पर फ्री ऐन्ड फेयर एलेक्शन्स कराये गये हैं। मेरे भाई कोई भी बात कहें लेकिन अब इनके पास कोई जवाब नही है। इसके लिये भी मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देता हूं।

इससे भी बड़ी एक मुबारिकबाद और है। इस देश का जो उलझा हुआ जबान का मसला था जोकि पंडित जी के जमाने में भी सुलझाने में नहीं आता था, लैंग्वेज बिल जोकि बहुत कन्ट्रोवर्शल बिल था, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर ने जिस तरह से तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर, इस देश के सबसे बड़े जबान के मसले पर जो कुछ थोडा बहुत किया है-हालांकि कुछ थोड़े बहुत झगड़े हुये हों, कुछ नारे बुलन्द हुये हों, कुछ जगह आग भी लगी हो, रेलें भी जलाइ गई हों- इसके लिए भी मैं होम मिनिस्ट्री को मुबारिकबाद देता हूं।

इससे भी ज्यदा जरूरी बात एक और है। सेन्टर और स्टेट्स की जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात हैं, हमारे भाई कुछ भी कहें वेस्ट बंगाल के हमारे यूनाइटेड फ्रन्ट के भाई कुछ भी कहें या केरल वाले भाई कुछ भी कहते फिरें लेकिन जिस जब्त के साथ, जिस काबिलयत के साथ, जिस शराफत के साथ और जिस अक्लमन्दी के साथ सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उन के साथ व्यवहार किया है, उन को फ्री ऐक्सेस दी है और जिस तरीके से हिन्दुस्तान में सेन्टर और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में होम मिनिटर साहब ने रोल अदा किया है वह सराहनीय है।

इस से भी ज्यादा जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनर की जो रिपोर्ट आयी है अनुसूचित और जनजातियों के बारे में और उस के लिये पार्लियामेंट के मैम्बर्स की जो एक वाच डौग कमेटी बनी है, उस के लिये भी मैं मंत्री महादय को बधाई देता हूं। और चाहूँगा कि जो गरीब तबके के लोगों और हरिजनों की 1948 से ले कर आज तक बाहर और अन्दर की सर्विसेज में जो कमी हैं, जो उन का डिजायर्ड रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, वह कमी दूर की जाय, उन की शिकायतें दूर की जायें। और जो कमेटी मुकर्रर की है होम मिनिस्टर साहब ने उस के लिये भी मैं उन को मुबारकबाद देता हूं।

मुबारकबाद तो दे ली, अब में कुछ बात भी कहना चाहूंगा। एक बात तो यह कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब बड़े नरम दिल हैं, सूझ बूझ के मालिक हैं, दिल्ली पुलिस में हरियाणे के नौजवानों के, करीब हजार, बारह सौ जवानों के केसेज अभी भी पैंडिग हैं। जब आप डिफेंस मिनिस्टर थे आप के हुक्म पर इस इलाके के लोग जान देते थे, और आज भी देते हैं, हम चीन और पाकिस्तान का मुंह लम्बा बना देंगे आपके हुक्म पर, इन लोगों के हजारों की तादाद में केसेज चल रहे हैं। मैं समझता हूं मेरी बात का असर जरूर होगा, आप की मजबूरियां हैं, लेकिन मैं बारबार प्लीड करूंगा कि उन केसेज पर आप फिर से गौर करें, हमदर्दाना गौर करें और हजारों कुनबे जो बेरोजगारी का शिकार होते जा रहे हैं उन की तरफ ख्याल करें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, पिछली दफा भी कहा था, मेरे पास अब भी शिकायत आयी है, मुझे मालूम है कि आप की हमदर्दी है, और आप नहीं चाहते कि किसी के साथ बेइन्साफी हों, क्या वजह हैं कि रोहतक और हरियाणा के जोपुलिस में लड़के भरती किये जाते हैं, हजार, बारह सौ जो भी भरती किये जाते हैं, ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा के पांच, सात या

दस लड़के ही लिये जाते हैं? और मैं चाहूंगा कि आप उन अफसरान की गर्दन पकड़ें जो जय जवान और जय किसान इलाके के लड़कों को नहीं ले रहे हैं। जो बेहतरीन जवान आप को मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिये तैयार हैं उन को यहां दिल्ली पुलिस में नहीं लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि यहां की पुलिस में सब जगह के लड़के आयें, वेस्टर्न यू० पी० के भी आयें, लेकिन इस राजधानी की हिफाजत के लिये, यहां की सेवा करने के लिये, आप की सेवा करने के लिये उन लड़कों को क्यों सर्विसेज से डेप्राइव किया जाय? मैं चाहूंगा कि आप इस की तरफ भी देखें।

MR. CHAIRMAN : I would like to know whether the hon. Member would like to conclude his speech in another one or two minutes, because at 6.30 we have to take up the half-an-hour discussion.

SHRI RANDHIR SINGH : Sir, I will conclude on the next day.

MR. CHAIRMAN : The hon.Member may continue his speech on the next day.

18.29 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Income-tax Appellate Tribunal for Mysore

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka) : Mr. Chairman, Sir, in raising this half-an-hour discussion my only object is to draw the attention of the House to the policies governing the setting up of new benches of the Income-tax Appellate Tribunal that which is one of the most important institutions in the Tax administrative set-up of our country.

Sir, at the outset I would like to state that I have no grudge against the setting up of a new bench at Mysore or, in fact, in any other State. But it is not a piece of decoration which should be attached to every State. These Tribunal Benches are meant for some type of work and they should be established and set up in places where there is sufficient work for them.

In reply to a question of mine, No. 2509 dated 28-11-68 the hon. Law Minister had stated that there were 14,749 appeals pending in West Bengal, while the pendency at Bombay was 10,488 and in Mysore it was only 819. On 1-9-69 in reply to my supplementary to Starred Question No. 392 when I had enquired of the hon. Minister what was the reason for setting up a Bench at Mysore where the pendency was only 819, he stated in reply :

> "....that a Bench of the Income-tax Appellate Tribunal was opened in Bangalore in order to help assessees in Mysore State so that they need not go to Bombay or Madras in order to have their cases tried. . .Bombay and Calcutta are the Centres where there are the largest number of income-tax cases, but there is no use of adding to the number of Benches in those places because there is no proportionate increase in disposal of work for want of departmental officers and for want of advocates who will be called in one Bench and who will then ask for adjournment in the other Benches."

Sir, I really fail to understand the argument of the hon. Minister. In the present situation of educated unemployment, it is rather, sheer foolishness to talk of lack of officers. It is equally ludicrous to talk about advocates wanting adjournment for their engagements before other Benches. In my humble submission, Sir the opening of new Benches where there is much backlog of pendency will not only celar up the pendency but will give employment to more officers and lawyers. Why the hon. Minister should grudge the appointment of new officers, or engagement of new lawyers, passes my comprehension.

It is not only necessary that justice should be done, but it is equally necessary